खण्ड-183, अंक-6
मंगलवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1879
(7 मई, 1957 ई0)

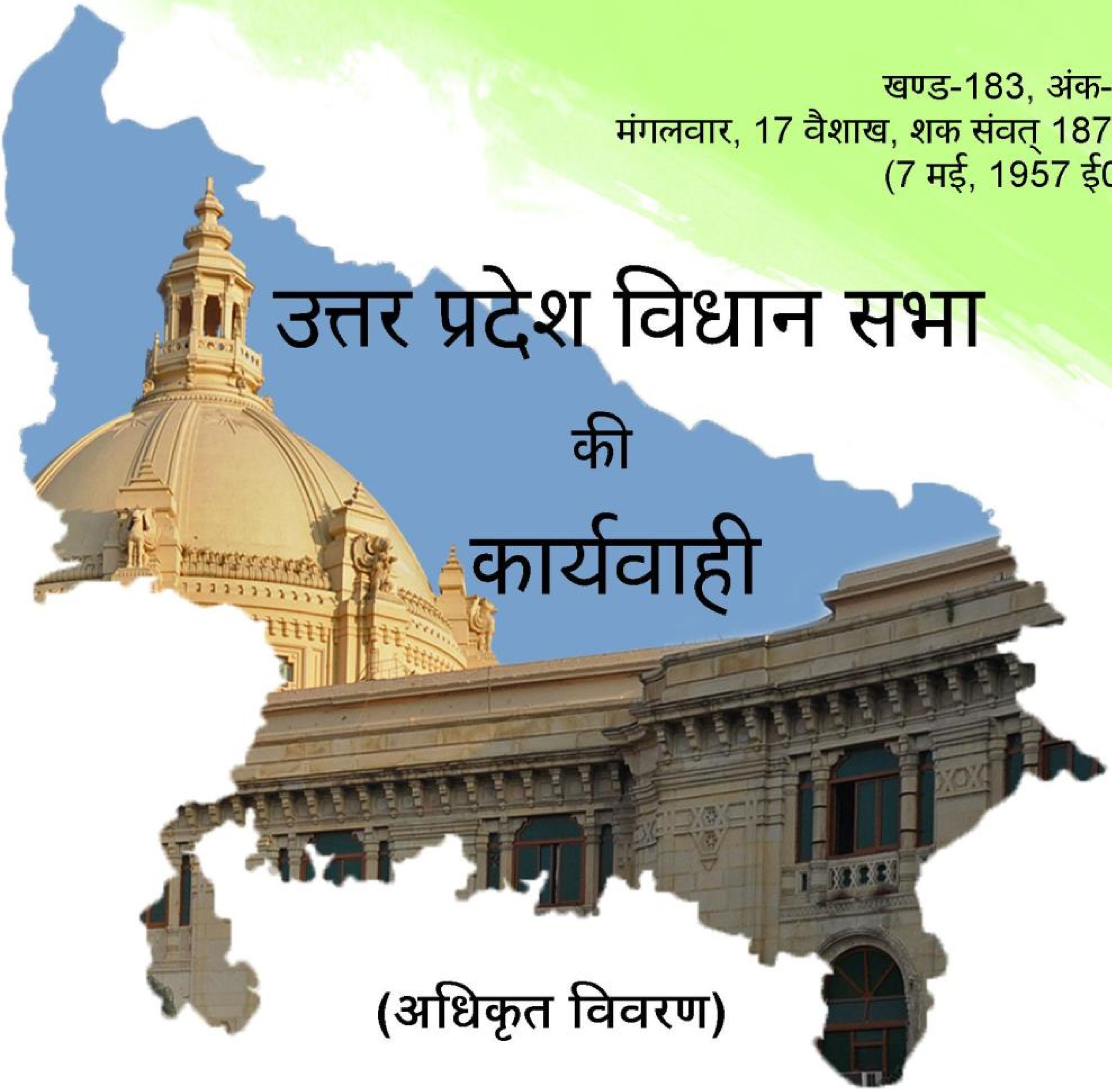

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	४००
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया)	४०१
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में संशोधन के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	४०१–४०२
कार्यक्रम में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४०२–४०३
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	४०३–४३०
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में संशोधनार्थ प्रवर समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४३०–४३१
कार्यवाही विलम्ब से प्रारम्भ होने के संबंध में स्पष्टीकरण ..	४३२
नत्थियां	४३३–४४१

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३८८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाँडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री

नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस" श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीर राम, श्री

रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामशरोमणि भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूपवर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, ी
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ७ मई, १९५७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की विस्तार योजना

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के किन-किन जिलों में, कहां-कहां सीमेंट के कारखाने, कब-कब, कितनी कितनी-लागत के खोलें जा रहे हैं ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में केवल राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क के विस्तार की योजना सम्मिलित है। इस पर लगभग ढाई करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ढ़ाई करोड़ रुपया खर्च किया जायगा, उसके विस्तार की योजना क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस वक्त उसके डिटेल्स तो मेरे पास हैं नहीं, नोटिस की जरूरत होगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल सीमेंट का जो अभाव है, इसकी तुरन्त पूर्ति करने के क्या उपाय वे सोचे जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--सीमेंट फैक्टरी की कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना इन्हीं जरूरियात को पूरा करने के लिये रखी गयी है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिदिन प्रोडक्शन, इस फैक्टरी का, इस वक्त कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--६००-७०० टन के बीच में है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सत्य है कि उद्योग मंत्री ने पिछली असेम्बली में यह वचन दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देहरादून में सीमेंट फैक्टरी खोली जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, इसको देखा जा रहा है। बल्कि हिन्दुस्तान शुगर फैक्टरी, जो गोला गोकरन नाथ में है, उसको वहां फैक्टरी कायम करने के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का लाइसेंस भी मिल चुका है और वहां सर्वे हो रहा है कि कंकर मिलने वाला हो तो वहां एक फैक्टरी और भी खोली जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फैक्टरी का विस्तार हो जाने के बाद प्रतिदिन कितना सीमेंट पैदा होगा ?

श्री रऊफ जाफरी--करीब-करीब जो इस वक्त पैदावार है, वह दूनी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि इस बात को देखते हुए कि हल्द्वानी जिले के आस-पास बहुत मात्रा में सीमेंट बनाने का सामान पाया जाता है, सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रामनगर कालाढुंगी में कोई और सीमेंट फैक्टरी खोलने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, सर्वे कराया जा रहा है कि जहां कहीं ऐसे डिपाजिट्स मिल सकेंगे, लाइम स्टोन है जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है, वहां फैक्टरी खोलने की कोशिश की जायेगी।

श्री गेदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ढाई करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, उसका पहले से सरकार ने किस तरह से एस्टीमेट बनाया था और कितना सीमेंट उससे ज्यादा बनाये जाने की उम्मीद है ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि मैंने अभी बतलाया, उसकी तफसील तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उसकी कैपेसिटी के बारे में यह खयाल है कि वह दूनी हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--क्या गवर्नमेन्ट यह बताने की कृपा करेगी कि ढाई करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इस वक्त जो फी टन कास्ट आफ प्रोडक्शन है, उसमें कितना फर्क आ जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि चुर्क फैक्टरी का वर्तमान आउटपुट कितना है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो जवाब दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मंत्री जी जो जांच कर रहे हैं, वह किन विशेषज्ञों द्वारा कर रहे हैं और कब तक यह जांच पूरी हो जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह हमारे ज्योलाजिकल सर्वे डिपार्टमेन्ट के जरिये से हो रही है और यह भी कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट इंटेरेस्ट्स जो हैं, अगर हो सके तो उनके ज्योलोजिस्ट्स को भी इसमें शरीक किया जा सके । यह बतलाना मुश्किल है कि यह काम कितने दिन में खत्म हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय जो फैक्टरीज देश में काम कर रही हैं उनका कितना उत्पादन सीमेंट का है और इस ढाई करोड़ रुपये के खर्च करने के बाद वह कितना हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी, रामनगर, कालाडुंगी में जो सर्वे हो रहा है उसको कौन करा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह हमारे ज्योलोजिकल सर्वे डिपार्टमेन्ट के जरिये से हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो उन्होंने बतलाया है, उसमें एक फैक्टरी खुलेगी या ५ फैक्टरियां खोली जायंगी ? और इस रुपये में से चुर्क सीमेंट फैक्टरी की कैपेसिटी बढ़ाने में कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—यह ढाई करोड़ रुपया किसी नयी फैक्टरी में नहीं, चुर्क फैक्टरी में ही खर्च किया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी का प्रति दिन का उत्पादन जो ६०० टन या ६५० टन के करीब आया है, उसमें कमी की क्या वजह है ?

श्री रऊफ जाफरी—कमी की बहुत-सी वजूहात हो सकती हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि हिन्दुस्तान के जितने भी सीमेंट के कारखाने हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा चुर्क का सीमेंट बिकता है, और क्या ढाई करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उसका कम्पीट करना मुमकिन होगा ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो सही नहीं मालूम होता कि वह सब से ज्यादा महंगा बिकता है । यह जरूर है कि उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आवे इसलिये कि उसमें कैपिटल की लागत ज्यादा है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा सीमेंट की कमी जो आज है, इसको देखते हुए ऐसे आंकड़े सरकार ने इकट्ठे किये हैं कि जो मौजूदा उत्पादन हो रहा है उसमें कितना उत्पादन और बढ़ाया जाय जिससे इस प्रोडक्शन की खपत पूरी हो सके ?

श्री रऊफ जाफरी—सीमेंट का खर्चा जो है, वह रोज बरोज बढ़ता रहता है और आज जितना खर्चा है, कल उससे ज्यादा बढ़ जायगा । उसकी जरूरत बढ़ती रहती है । कोशिश इस बात की की जा रही है और उम्मीद भी है कि यहां दो और सीमेंट फैक्टरी बड़ी-बड़ी खोली जा सकें और उसका सर्वे कई जगह और कई जिलों में हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट की इतनी बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भी चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जो उत्पादन में कमी होती जा रही हैं, उसके विशेष कारण क्या-क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी—उसका उत्पादन करीब सात सौ टन डेली (दैनिक) है ही, और जैसा कि जवाब में बताया गया कि वह ६०० टन के करीब हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कमी उत्पादन में नहीं हुई, लेकिन यह जरूर है कि उसके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और वह जारी है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि १९५७ के वर्ष में फैक्ट्रियों में सीमेंट का उत्पादन कम हुआ है और इसके कारण ही अप्रैल, १९५७ से इस साल का कोटा एक तिहाई कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

आजमगढ़ जिले में चेचक की बीमारी

**२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति आजमगढ़ नगर एवं जिले के अन्य स्थानों में चेचक का भीषण प्रकोप है तथा कई मनुष्यों की जानें भी गई हैं ? यदि हां, तो इस प्रकोप का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ नगर व जिले में चेचक का कोई भीषण प्रकोप नहीं है । आजमगढ़ नगर से अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में केवल १ व्यक्ति के बीमार पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है । आजमगढ़ जिले के विभिन्न गांवों से अप्रैल के महीने में चेचक से ३६ व्यक्तियों की बीमारी की सूचना है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि आजमगढ़ नगर में गन्दगी आदि के कारण ही चेचक की बीमारी फैली है और इस वक्त ज्यादा तादाद में फैल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सही नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पड़ोसी जिलों में भी चेचक की बीमारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई सूचना नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तरह की महामारियों की सूचना सरकार को प्रति दिन या प्रति सप्ताह पहुंच जाया करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अवश्य ।

श्री गेंदासिंह—क्या केवल आजमगढ़ जिले से ही सरकार को सूचना मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि आजमगढ़ के लिये ही पूछा गया था, इसलिये उसकी जानकारी हमारे पास है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि गत वर्ष इस शहर में महामारी के ही कारण सैकड़ों मृत्युयें हुईं और अब भी वैसी ही गंदगी वहां है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पारसाल की बात मैं नहीं जानता। इस साल ऐसी बात नहीं है।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा १९५५-५७ लगाये गये पानी के नल

*१---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पानी के कितने सार्वजनिक नल प्रति मास जुलाई, १९५५ से फरवरी, १९५७ तक लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नगर में लगाये गये?

स्वशासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---सार्वजनिक नलों की एक सूची जो कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नगर में प्रति मास जुलाई, १९५५ से फरवरी, १९५७ तक लगाये गये, संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पाइप म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लगाये जाते हैं, वह किसी उसूल की बिना पर लगाये जाते हैं या मनमानी तौर पर जहां चाहें वहां लगा देते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर लगा दिये जाते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५५ से फरवरी, १९५७ तक कितने नल लगाये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास प्रति मास का हिसाब है, इसलिये पूरी संख्या बताने के लिये जोड़ करना पड़ेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नल लगवाये गये हैं, उन पर कितना व्यय हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव---व्यय के बारे में मैं नोटिस की आवश्यकता समझता हूं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने वक्त में कितने नल लगवाये गये?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, जुलाई, १९५५ में १, अगस्त में ३, सितम्बर में ३, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर में नहीं, जनवरी १९५६ में १२, फरवरी में ४०, मार्च में नहीं, अप्रैल में ५, मई में २, जून में ३, जुलाई में नहीं, अगस्त में ३, सितम्बर में २, अक्तूबर में २, नवम्बर में नहीं, दिसम्बर में २, जनवरी, १९५७ में ३४ और फरवरी में ७।

श्री सैयद जरगाम हैदर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च में क्यों इतने नल लगवाये गये जबकि इन दिनों पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है?

श्री रामस्वरूप यादव---हमेशा जो ऐसी स्थानीय संस्थायें हैं, उनका जो बजट का रुपया बच जाता है वह आवश्यकतानुसार व्यय कर दिया जाता है और वह अधिकतर जनवरी, फरवरी और मार्च में ही होता है।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो नल लगवाये जाते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? कोई वार्षिक धन निश्चित किया जाता है या सार्वजनिक मांग पर लगवाये जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—आवश्यकतानुसार शासन के सामने जैसी सूचना आती है, उसके आधार पर लगा दिये जाते हैं।

म्युनिसिपल बोर्ड, शाहाबाद, जिला हरदोई के मेहतर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए मांग

*२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, शाहाबाद, जिला हरदोई ने बोर्ड के कर्मचारी मेहतरों की वेतन-वृद्धि का प्रस्ताव गत वर्ष सरकार के पास भेजा था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वेतन-वृद्धि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह विषय विचाराधीन है और नगरपालिका से आवश्यक सूचना मांगी गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जो वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार कर रही है वह केवल शाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के लिये ही लागू होगा या दूसरों के लिये भी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह मांग केवल शाहाबाद, हरदोई से आई है, उन्हीं की वेतन-वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब शाहाबाद की वेतन-वृद्धि की योजना बनाई जायगी तो क्या वे ऐसा सोच रहे हैं कि प्रदेश के सभी म्युनिसिपल बोर्डों में काम करने वाले मेहतरों का वेतन बढ़ाने के लिये कोई पे कमीशन नियुक्त किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में कोई कमीशन नियुक्त होने वाला नहीं है । सन् १९४७ में जो मेहतरों की तालिका निश्चित की गयी थी और हर क्लास की चुंगियों के आधार पर निर्धारित कर दी गयी थी, लेकिन शाहाबाद नम्बर ३ की चुंगी है । उसने ऐसी वेतन तालिका बनायी है जो नम्बर ३ में लागू नहीं होती है । इसीलिये वहां की दर निश्चित की जायगी ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि हो गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वहां के मेहतरों की तनख्वाह कितनी है और वह कितनी होने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय जो तालिका है वह १८ रुपये से शुरू होती है ८ आने प्रति वर्ष बढ़ती होती है और २३ रुपये तक जाती है । उसका एक चौथाई महंगाई भत्ता मिलता है ।

म्युनिसिपल बोर्ड बिलग्राम, जिला हरदोई के अन्तर्गत प्राइवेट घरों के कूड़े व मैले को मेहतरों को देने की सिफारिश

*३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड बिलग्राम (हरदोई) ने वहां के मेहतरों को प्राइवेट घरों के कूड़े और मैले को मेहतरों को दे देने का प्रस्ताव सरकार के पास गत वर्ष भेजा था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मेरे प्रश्न नम्बर ३ का उत्तर उन्होंने किस जांच के आधार पर दिया है, अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अथवा म्युनिसिपल बोर्ड, बिलग्राम के चेयरमैन के द्वारा ?

श्री रामस्वरूप यादव—आपका प्रश्न यह था कि म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है, तो इस सम्बन्ध में यह सूचना दी गयी थी कि म्युनिसिपल बोर्ड ने नहीं भेजा है । कुछ सज्जनों ने वहां से ऐसा रेप्रेजेन्टेशन भेजा था । गवर्नमेंट ने उस रेप्रेजेन्टेशन को इस वजह से खत्म कर दिया कि उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने सन् ५२ में ही एक शासकीय आदेश द्वारा नीति निर्धारित कर दी थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट घरों के कूड़े या मैलों को मेहतरों को देने के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की नीति सन् ५२ के शासकीय आदेश में निर्धारित की जा चुकी है । उसके आधार पर चुंगी ने स्थान बना लिया है, वहां डालने के बाद उसकी मालिक चुंगी हो जाती है । उसके मालिक वहां के स्थानीय मेहतर नहीं हो सकते ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार ने कोई ऐसा विधान बनाया है जिसमें सरकारी लैट्रिन्स के अलावा प्राइवेट घरों के मैले और कूड़े पर भी म्युनिसिपल बोर्ड का अधिकार हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—म्युनिसिपल बोर्ड के रूल्स में ही यह है कि मेहतरों को उसके बनाये हुये स्थान पर मैले को डालना पड़ेगा और जब उस स्थान पर मैला पड़ जाता है तो गवर्नमेंट का जैसा कि विचार के बाद निर्णय है वह यही है कि उसकी मालिक स्थानीय संस्था हो जाती है, वे मेहतर मालिक नहीं रहते ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के इस आदेश का पालन उत्तर प्रदेश के समस्त म्युनिसिपल बोर्ड कर रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यही आशा की जाती है कि इस आदेश का पालन अवश्य हो रहा होगा ।

हरदोई जिले में नवीन सड़कें बनवाने की मांग

*४—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी नयी सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—जिला हरदोई में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। इनमें से क्रमांक १, २, ३, १२, १३ व १४ पर लिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। शेष सड़कों का निर्माण योजना के आगामी वर्षों में आरम्भ किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि निकट भविष्य में शाहाबाद से पाली तथा शाहाबाद से पिहानी जाने वाली कच्ची सड़कें भी, जनता की कठिनाइयों को देखते हुये, बनवाने की कृपा की जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने जैसा आप से बतलाया कि सूची मेज पर रखी हुई है आप उसे देख लीजिये। उसके मुताबिक यह सब कुछ होगा। बाकी के लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि संडीला से भरावन तक जाने वाली सड़क भी उसी सूची में है या नहीं और यह सड़कों का क्रम किस नियम और सिद्धान्त पर आधारित है ?

श्री गिरधारीलाल—डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के सलाह मशविरे से ही उनकी प्राथमिकता रखी गयी है और उसी के मुताबिक यह प्लान बनाया गया है।

श्री राजेन्द्रसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर, श्रीमन् कि संडीला से भरावन तक जाने वाली सड़क उस तालिका में है या नहीं, नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—लिस्ट रखी हुई है, उसे देख लीजिये, उससे पता चल जायगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरदोई में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सड़कें मोटर रोड बनेंगी और कितनी मेटल्ड रोड ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना चाहिये।

*५-७—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

धर्मपुर बरहज घाट के प्रबन्ध के सम्बन्ध में आदेश

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्मपुर, बरहज बाजारघाट का जो झगड़ा जिला बोर्ड, देवरिया तथा आजमगढ़ के बीच था तथा गोरखपुर कमिश्नर के यहां निपटाने के लिये गया था, उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—धर्मपुर, बरहज सार्वजनिक घाट का प्रबन्ध जिला बोर्ड, आजमगढ़ और देवरिया द्वारा बारी-बारी से तीन-तीन साल की अवधि में किया जायगा। इस समय जिला बोर्ड, देवरिया की बारी चल रही है। प्रबंधात्मक व्यय निकाल कर घाट की आय दोनों बोर्डों में पूर्ववत् आधी-आधी बांटी जाती रहेगी।

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला बोर्डों के आपसी झगड़े के कारण उक्त घाट पर यात्रियों से अधिक किराया वसूल किया जाता है और तत्सम्बन्धी शिकायतों की जांच अब तक किसी अधिकारी द्वारा नहीं हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिक घाट कर की वसूली के सम्बन्ध में सरकार के पास केवल एक शिकायत माननीय सदस्य के हस्ताक्षर से कुछ ही दिन पूर्व प्राप्त हुई हैं। उस पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि इस घाट वाले झगड़े के निपटारे के लिये कितनी बार गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ के आफिसर्स की कान्फ्रेंस हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घाट का ठेका कितने में दिया जाता है और प्रबन्ध में कितना रुपया व्यय होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घाट के सम्बन्ध में सरकार के पास जो शिकायतें आई हैं, उसकी जांच किस आफिसर के द्वारा कराई जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--नियमों के मुताबिक यह जिलाधीश को, जो शिकायत माननीय सदस्य द्वारा स्वयं आई थी, भेज दी गई कि वे इसकी जांच कर के रिपोर्ट दें।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसे भी आदेश दिये गये हैं कि फलां तारीख तक वे अपनी रिपोर्ट भेज दें ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में कोई अवधि नहीं दी गई है, सिर्फ जांच की रिपोर्ट मांगी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी जिला बोर्डों के इन आपसी झगड़ों का एक संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में मैंने बता दिया कि वहां का म्युनिसिपल बोर्ड भी इसमें था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजमगढ़ और देवरिया भी थे। इन तीनों में झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था। इस पर मुकदमा भी चला और उसके बाद सरकार ने अब यह निर्णय कर दिया है कि दोनों ही तीन-तीन साल तक प्रबन्ध करेंगे और व्यय को बरदाश्त करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जांच, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द की गई, उसमें और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कमिश्नर बने हैं, उनकी जांच में क्या फर्क है ? कौन सी जांच जिलाधीश के सुपुर्द की जाती है और कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कमिश्नर के ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें अब तक जो जांच हुई है, उस के सिलसिले में कितना टी० ए० पेमेंट हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी जांच के सम्बन्ध में तो खर्च नहीं हुआ है। केवल कुछ कागज उन दोनों के झगड़ों के सम्बन्ध में गये हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

मथुरा जिले की छाता तहसील में यमुना के खादर में सड़क बनवाने की मांग

*१०—श्री रामहेतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छाता तहसील, जिला मथुरा में जहां पर कि जमुना नदी का खादर पड़ता है, कोई सड़क बनाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो इसके बारे में क्या योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस यमुना खादर से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें अक्सर डकैतियां पड़ा करती हैं और इसका कारण वहां रास्तों का अभाव है ?

श्री गिरधारीलाल—हो सकता है। कम्युनिकेशन्स का असर सभी बातों पर पड़ता है।

श्री राजेन्द्र सिंह—जब माननीय मंत्री जी का यह विचार है कि वहां की अराजकता रास्तों के न होने के कारण है तो क्या वह वहां शीघ्र ही सड़कों के निर्माण का इरादा रखते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—फिलहाल वहां कोई जरूरत नहीं समझी जाती। इससे और ज्यादा जरूरी स्थान हैं जिनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में शरीक किया गया है और अगर अधिक रुपया सरकार को प्राप्त हो सका तो वहां पर भी सड़क बनाने का विचार किया जायगा।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज से एक साल पहले इस क्षेत्र के आतंकित लोगों ने कई बार आपके पास प्रार्थना-पत्र भेजे कि वहां रास्तों का अभाव है, जल्दी ही कोई सड़क निर्माण की जाय ताकि हम इन डकैतियों से सुरक्षित हो सकें।

श्री गिरधारीलाल—मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि गत वर्ष और उससे पहले कई डकैतियां इस इलाके में हुईं और महज इस कारण से हुईं कि वहां लोग जा नहीं सकते थे ? यदि यह कारण सही है तो क्या इस बात पर अमल करने की और इस दिक्कत को दूर करने की सरकार मेहरबानी करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि इस बात की इन्क्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन्स की कमी का असर ला एण्ड आर्डर पर काफी पड़ता है।

*११-१२—श्री रामचन्द्र विकल—[स्थगित किये गये।]

१६ अप्रैल, १९५७ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—दिनांक १६-४-५७ को विधान सभा में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के संबंध में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि मधुवन अस्पताल, जिला आजमगढ़ में डाक्टर की जगह कितने अरसे से खाली है। उसका उत्तर दिया गया, "लगभग ४, ५ वर्ष से।" यह उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है:—

"लगभग ४, ५ माह से"।

---

† १६ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब की शिकायतें

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की सूचना मैंने १९ अप्रैल को दी थी। असेम्बली के कार्यालय में साधारण तौर पर उसका तीन दिन के बाद जवाब आना चाहिये था, यानी २७ को। वह कानपुर में जो कांड हुआ उसके संबंध में प्रश्न था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सवाल का उत्तर कब तक देने की कृपा करेगी।

श्री अधिष्ठाता---इस समय शार्ट नोटिस प्रश्नों के विषय में यह कठिन है कि सरकार से कुछ पूछा जाय। मैं अपने कार्यालय में इस संबंध में देखने के बाद इसकी सूचना आप को दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने २९-४-५७ को एक कामरोको प्रस्ताव पंचायत इंस्पेक्टर रुद्रपुर को मारने के सिलसिले में दिया था। मेरा कामरोको प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। उसके बाद, जैसा कि उस समय माननीय अधिष्ठाता जी ने कहा था, मैंने उसी वक्त एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उस संबंध में दे दिया था। लेकिन उसके संबंध में कोई सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली और मेरा प्रश्न यहां एजेंडा पर नहीं आया। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है?

श्री अधिष्ठाता---इसके संबंध में आप हमारे सेक्रेटेरियट से पहले जान लें। मैं इस समय इस संबंध में कोई सूचना नहीं दे सकता। इसकी सूचना आप को बाद में दी जायगी।

श्री उग्रसेन---मैं श्रीमन्, सेक्रटरी साहब के पास गया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द यह प्रश्न आ जायगा।

श्री अधिष्ठाता---इन सारे प्रश्नों की जांच होगी और उसके बाद आपको सूचित किया जायगा।

पूर्वी जिलों की गम्भीर खाद्य स्थिति के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---मेरे पास आज दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय का है जो इस प्रकार है---

"पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के अधिकांश भागों में खाद्य स्थिति दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती चली जा रही है। टैस्टवर्क बन्द हो जाने के कारण हजारों खेतिहर मजदूर तथा छोटे-छोटे किसान बेकार हो गये हैं। मोटे सस्ते गल्ले की दुकानें भरपूर संख्या में न होने के कारण तथा क्रय शक्ति के अभाव में लाखों व्यक्ति उपवास कर रहे हैं। फलस्वरूप महामारी आदि बीमारियों एवं भूख से आदमियों के मरने की खबरें भी प्राप्त हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप बलिया जिले की रसड़ा तहसील के सुल्तानपुर ग्राम के एक व्यक्ति के भूख से मरने की खबर मिली है। साथ ही सरकार द्वारा मालगुजारी, तकावी तथा अन्य देय धनों की वसूली भी किसानों को चारपाई एवं खम्भे में बांधकर पशु, गहना आदि को बेंचवाकर वसूल की जा रही है। जनता, विधायकों तथा अन्य जनसेवकों द्वारा खाद्य स्थिति को काबू में करने की मांग को सरकार द्वारा ठुकरा दिये जाने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतएव ऐसी संकटापन्न स्थिति पर विचार करने हेतु सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अधिष्ठाता]

इस कामरोको प्रस्ताव में कई विषय उठा दिये गये हैं। कामरोको प्रस्ताव में सिर्फ एक विषय ही स्पेसिफिक होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में खाद्य स्थिति पर विवाद सदन में हुआ था और उस समय माननीय सदस्य को इस बात की इजाजत थी कि वह विवाद में हिस्सा लेते और इन प्रश्नों पर अपनी राय जाहिर करते। उस दिन से आज तक कोई नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके ऊपर विचार किया जा सके। इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव को अनियमित करार देता हूं।

श्री ओमप्रकाश की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री पद्माकरलाल का है जिसमें वह कहते हैं कि "श्री ओम प्रकाश, अध्यक्ष, समाजवादी युवक सभा, उत्तर प्रदेश जो कानपुर के सरकारी अधिकारियों के अमानुषिक अत्याचार के विरुद्ध विधान सभा के दरवाजे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और कुछ प्रसिद्ध चिकित्सकों की राय में उन्हें इस अनशन के करण एक विशेष प्रकार की उदर पीड़ा उत्पन्न हो गई है। सरकार उनकी उचित मांगों को ठुकरा रही है। इससे व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया है। अतः यह सदन इस आवश्यक तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस संबंध में एक कामरोको प्रस्ताव कल भी आया था। मैं श्री पद्माकरलाल जी से जानना चाहता हूं कि आज क्या नई स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसकी वजह से इस पर विचार किया जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, डाक्टरों ने भूख हड़ताली को देखा और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उससे हालत उनकी चिन्ताजनक मालूम होती है।

दूसरी बात यह है कि सरकार उनकी बातों को बिलकुल ही अनसुनी कर रही है और जरा भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे परिस्थिति और भी बिगड़ती चली जा रही है। इस मसले पर आज तक कोई विचार इस सदन के सामने भी नहीं आया। अखबारों में मैंने माननीय गृह मंत्री जी का बयान पढ़ा, लेकिन उससे कोई संतोष नहीं हुआ। उसमें कहा गया था कि माननीय मुजफ्फर हसन साहब ने जांच की, लेकिन उस जांच की कोई जानकारी इस सदन को नहीं है। चूंकि भूख हड़ताली की दशा चिन्ताजनक होती जा रही है इस लिये उस पर विवाद होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पद्माकरलाल ने जो नई परिस्थिति बतायी वह कल और आज के बीच में कोई ऐसी विशेषता नहीं रखती जिसकी वजह से इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दी जा सके। हमारे यहां नियमों में भी यह मौजूद है कि जो कामरोको प्रस्ताव निकट भूत में आया हो, उसी विषय पर कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिये मैं इसको भी अनियमित करार देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी कामरोको प्रस्ताव के संबंध में मैंने भी सूचना दी थी। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी से सूचना चाहता हूं कि श्री ओमप्रकाश ने जो पत्र उनको लिखा था, उस संबंध में क्या कोई विचार नहीं हुआ? अगर विचार हुआ तो क्या हुआ? उस संबंध में कोई विवरण दे सकें तो बड़ा कल्याण होगा।

श्री अधिष्ठाता---इस विषय पर मैंने आपको इजाजत जरूर दी, किन्तु यह केवल मंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वह जवाब देना चाहें तो दें या आप अलग से उनसे बातचीत कर लें। चेअर की तरफ से उनको जवाब देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कामरोको प्रस्ताव का विषय एक आदमी की भूख-हड़ताल से सम्बन्धित था जिसकी परिस्थिति दिन पर दिन गिरती चली जा रही है।

श्री अधिष्ठाता---आप क्या कहना चाहते हैं ? कोई टीका-टिप्पणी करना चाहते हैं क्या ?

श्री राजनारायण---जी नहीं। एक व्यक्ति एक संस्था का पदाधिकारी है, कानपुर का प्रशासन चाहे उसे दुनिया कहा जाय या अलग प्रदेश कहा जाय, अलग ही है। इस सदन में बारबार कानपुर से संबंधित प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं इस बात को उचित समझती है। मैं कामरोको प्रस्ताव पर नहीं जाना चाहता, मगर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस संबंध में क्या करना चाहती है। हम विधान सभा के सदस्य देखते हैं कि एक आदमी की हालत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है और गर्मी के समय में एक या दो दिन में जान चली जा सकती है। तो ऐसी हालत में सरकार का मानवता से भी कर्त्तव्य हो जाता है कि सदन को यह बतावे कि वह क्या करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता---मैंने गौरीशंकर राय जी से भी कहा और राजनारायण जी से भी कहना चाहता हूं कि यह चेयर के अधिकार में नहीं है कि सरकार को मजबूर कर सके कि वह कोई सूचना दे। सरकार ने आपकी बातें सुन ली हैं और वह कुछ कहना चाहे तो कह सकती है।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज का कामरोको प्रस्ताव वातस्व में मुझे आज ११ बज कर १० मिनट पर मिला है। इस सम्बन्ध में यदि श्रीमान् की आज्ञा हो तो मैं कल माननीय सदन की जानकारी के लिये जो बातें मेरे सामने हैं उन्हें आपकी और सदन की सेवा में निवेदन कर सकता हूं। इस समय तो मेरे पास कागजात उपलब्ध नहीं है। इतना और कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा रहा है कि गवर्नर के भाषण के वादविवाद में भी यह उठा था और मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसकी चर्चा भी कर दी थी और उसे स्पष्ट भी कर दिया था। उसके बाद किसी एक सज्जन ने भूख हड़ताल की है। इस बारे में कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो मैं आपकी आज्ञा से कल इस सदन में एक वक्तव्य दे देने के लिये तत्पर हूं।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है, कल आप अपना वक्तव्य दे दें।

खाद्य स्थिति पर किये गये विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---आज का हमारा कामरोको प्रस्ताव आपने मना कर दिया, वह आज्ञा आपकी शिरोधार्य है। पहले खाद्यान्न की चर्चा विशेष कर पहाड़ी इलाकों के बारे में हुई।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री ने उस दिन बतला दिया था कि वाद-विवाद विशेष तौर से पहाड़ी इलाकों के लिये होगा, लेकिन सारे सूबे की चर्चा भी हो सकती थी और उस पर पूरी तौर से सदन में वादविवाद हुआ। इसलिये आप अब सदन का समय न लें और अच्छा हो कि आगे का काम चले।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय के लिए कमरे की मांग

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, एक संकट है जिसका हल मैं आपके द्वारा चाहता हूं। कल मैंने विधान सभा के सचिव की सेवा में एक पत्र भेज दिया था। श्रीमन् को मालूम है कि इस सदन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है जिसके ४७ मेम्बर हैं। नई असेम्बली का काम शुरू हुये १ महीने के करीब हो गया है। अभी तक इस पार्टी के कार्यालय के लिये कोई दफ्तर का स्थान नियत नहीं हुआ है। मैंने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की सेवा में २ चिट्ठियां भी भेजीं और बावजूद उनकी बीमारी के उनसे टेलीफून पर भी बात करने की धृष्टता की। उनका कहना यह था कि यह इमारत सरकार की है और वह सरकार को कहते हैं, मगर सरकार उनकी कुछ ठीक से सुनती नहीं है या अनसुनी कर देती है। इसलिये यह मुसीबत जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर है, मैं चाहता हूं कि श्रीमन् के द्वारा दूर हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपकी मांग से मुझे हमदर्दी है। इस संबंध में मुझे यह जानकारी है कि हमारे सचिवालय की सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है। सरकार ने अभी अन्तिम रूप से कोई उत्तर नहीं दिया है और भी पार्टियों की ओर से इस किस्म की मांग है। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और आशा की जाती है कि इसका संतोषजनक प्रबन्ध हो जायगा।

†उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, कल उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक पर सदन में चर्चा चल रही थी। यद्यपि यह विधेयक बहुत छोटा सा है मगर इस विधेयक के संबंध में जो वाद-विवाद हुआ उसमें सरकारी पक्ष की ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से कई प्रकार की समस्यायें सदन के सामने प्रस्तुत हुईं। यह बात निर्विवाद है और माननीय मंत्री जी भी मानेंगे कि यह विधेयक एक प्रकार से कर बढ़ाने वाला विधेयक है। जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है "मोटर स्प्रिट की परिभाषा अत्यन्त व्यापक है तथा इसके अन्तर्गत 'डीजेल आइल' भी आ जाता है, यद्यपि डीजल आयल के लाइसेंस प्राप्त फुटकर व्यापारियों के न होने के कारण इस पर कोई कर नहीं वसूल किया जा सका।"

सरकार को दिक्कत यह थी कि जो डीजल आयल के बेचने वाले थे उनकी कोई फुटकर दूकान नहीं थी। अगर फुटकर दूकानें होतीं तो सरकार को इस प्रकार का कोई विधेयक लाने की आवश्यकता न होती। अब सरकार चाहती है कि जो डीजल आयल थोक ढंग से बिक रहा है उस पर सरकार बिक्री कर लगाये और वह उस तरह से लगाना नहीं चाहती जिस तरह से वह फुटकर बेचने वालों पर लगाती थी यानी दो आना प्रति गैलन के हिसाब से। इसलिये सरकार चाहती है कि इसमें से २ आना प्रति गैलन शब्द निकाल दिया जाय क्योंकि इसके बारे में तीसरे खंड में साफ दिया हुआ है कि "मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द 'नोट एक्सीडिंग टू आनाज पर गैलन' 'not exceeding two annas per gallon' निकाल दिये जायं।" पहले जो कानून था उसके अनुसार २ आना प्रति गैलन के हिसाब से ज्यादा कर बढ़ाने की क्षमता सरकार को नहीं थी। अब यह सरकार चाहती है कि दो आना प्रति गैलन के हिसाब से टैक्स वसूल करने की जो बात है उसको निकाल दिया जाय ताकि सरकार अपने मन के मुताबिक कर को बढ़ा सके। इतना बड़ा अधिकार सरकार टैक्स बढ़ाने का लेना चाहती है जिसका मैं घोर विरोधी हूं।

---

†१८ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

माननीय नवल किशोर जी अथवा सरकारी पक्ष के कोई भी माननीय सदस्य चाहे कोई तर्कों प्रस्तुत करें, मगर उन तर्कों में मुझे कोई भी तत्व नजर नहीं आता कि इस प्रकार से सरकार क्यों अपने में अनेक पावर्स (अधिकार) डेलीगेट (लेती) करती जा रही है और उन पावर्स का सरकार क्यों मिसयूज (अनुचित प्रयोग) करना चाहती है। जितने भी विधेयक यहां लाये जा रहे हैं उनमें हम अगर देखें तो हमें यही पता लगेगा कि सरकार की तरफ से यही चेष्टा हो रही है। सरकार विधान सभा से वह शक्ति लेना चाहती है जिससे वह नियम बना कर मनमाने ढंग से आफत ढा सके। सरकार की इस कार्यवाही का जितना विरोध किया जाय, वह थोड़ा ही है। इस संबंध में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा और वह यह है कि सरकारी पक्ष की ओर से कल विरोधी सदस्यों के भाषणों का जवाब देते समय कहा गया था कि .वरोधी पक्ष का इस समय राजे और महाराजे समर्थन कर रहे हैं। इस सदन में पहले भी ५ वर्ष तक माननीय देवकी नन्दन विभव को सुनने का अवसर मिल चुका है। माननीय विभव जी अपने भाषण के दौरान में अक्सर समाजवाद की चर्चा करते हैं तथा सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। विधान सभा में अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी प्रत्येक सदस्य को है। उसका वे पूरा-पूरा उपयोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--यह उनके लिये नयी बात नहीं है। अन्य माननीय सदस्य भी ऐसा करते हैं।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं इसकी कोई शिकायत नहीं करता हूं (शोर)। अधिष्ठाता महोदय, सदन में बहुत गड़बड़ी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--सदन में शान्ति रहनी चाहिये।

श्री राजनारायण--मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय विभव जी ने इस बात को कहां से पा लिया कि विरोधी पक्ष के हितों का राजे महाराजे समर्थन करते हैं यदि विरोधी पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को देखा जाय तो आसानी से यह बात समझ में आ सकती है कि किस पार्टी में कौन से तत्व विद्यमान हैं, वह कौन स तत्वों को लेकर बनी है। लेकिन क्या केवल सरकारी पक्ष की ओर से यह आक्षेप करना और किसी कर लगाने के विधेयक का विरोध करना, राजों महाराजों के हितों का समर्थन हो गया? म समझता हूं कि इस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है। माननीय विभव जी जरा यह देखें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से किन-किन लोगों को टिकट दिया जाता है और किन-किन लोगों से पैसा आता है, तब ही आपको मालूम हो सकता है। लेकिन ऐसा हिसाब है कहां? केवल सोशलिस्ट पार्टी को ही यह गौरव प्राप्त है कि उसका जो भी हिसाब है उसको वह छपवा कर बांट देती है। प्रजा शोसलिस्ट पार्टी भी शायद ऐसा करती है, क्योंकि माननीय त्रिलोकी सिंह जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भी ऐसा करती है, लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि चुनाव के फंड में कहां-कहां से रुपया आता है। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठा दिया कि आप बतायें कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया के चुनाव के लिये कहां-कहां से पैसा आया। एक-एक पैसा का हिसाब छाप कर बांट दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अवश्य विषय से बाहर जा रहा था। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जिन बातों की चर्चा की है उनके बारे में कुछ कहना ही पड़ जाता है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। प्वाइंट आफ इनफारमेशन, जब तक माननीय सदस्य की पूरी बात समाप्त न हो जाए, नहीं उठाया जा सकता। बीच में केवल प्वाइंट आफ आर्डर (व्यवस्था का प्रश्न) ही उठाया जा सकता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—मैंने जो बात कहीं नहीं, उसको वह कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप बाद में पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मेरा यह तरीका है कि अगर कोई माननीय सदस्य का प्वाइंट आफ आर्डर या प्वाइंट आफ इनफोर्मेशन होता है तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन चूंकि माननीय देवकीनन्दन जी विभव माननीय अधिष्ठाता की आज्ञा प्राप्त किये बिना बोलने लगे, इसलिये मैं ईल्ड (बैठना पसन्द) नहीं करता।

तो मैं यह कह रहा था कि जब आज समाज में समानता लाने की व्यवस्था की जाती है तो आर्थिक विषमता दूर होनी चाहिये। मगर जो आर्थिक विषमता कायम है, वह किन बुनियादों पर? जब तक उन बुनियादों की चर्चा नहीं की जायगी तब तक हम अपने कर्त्तव्यों का पालन सही माने में नहीं कर पायेंगे। माननीय देवकीनन्दन जी विभव हमको बतलावें, सरकारी पक्ष के लोग हमको बतलावें कि अगर इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का संशोधन पेश होता है तो संशोधन द्वारा यह भाव कैसे टपकता है कि यह सरकारी या गैर सरकारी तौर से राजा महाराजाओं के समर्थन में किया जाता है? कहा गया कि यह इसलिये है कि संशोधन के पक्ष में, विधेयक के पक्ष में वे बोलने वाले थे।

माननीय सदस्य जो मनकापुर के राजा के नाम से पुकारे जाते हैं, उन्होंने एक सीमा बांधने की बात कही। श्रीमन्, मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि यदि देखा जाय कि 'राजा' शब्द जो इस समय प्रचलित है वह भी कांग्रेस पक्ष की कृपा से ही प्रचलित है। क्योंकि महाराजा काशी नरेश की आज भी 'राजा' की पदवी बनी हुई है। कहा जाता है कि संविधान के अनुसार वे 'राजा' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसको उनसे छीना नहीं जा सकता है। तो केवल राजा की संज्ञा का प्रयोग करने से ही कोई आदमी बड़ा पैसे वाला, कोई आदमी धन कुबेर, और बहुत खजाना रखने वाला और बड़ा नहीं हो सकता है। जितने बड़े-बड़े ताल्लुकेदार थे, जितने बड़े-बड़े राजा थे, जितने बड़े-बड़े नवाब थे, उन तमाम लोगों की जमींदारी टूट चुकी है, उनके इस्टेट खतम हो चुके हैं, और उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें क्या बात है। इतना जरूर चाहता हूं कि यदि किसी भी तरफ से देखा जाय तो यह बात आ जाती कि यह टैक्स जरूर बढ़ेगा।

पहली बात तो माननीय मंत्री जी समझ लें कि हम राज्य सरकार को वह अधिकार नहीं देना चाहते हैं कि वह मनमाना टैक्स बढ़ावे। अगर सरकार चाहती है कि वह टैक्स लगावे तो सरकार निश्चित रूप से यहां पर घोषित कर दे कि वह कितना टैक्स लगाना चाहती है। दो आने गैलन, एक आना गैलन, ६ पैसे गैलन, या दो पैसे गैलन।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सीमा बांध दी जाय। अगर मोटर को रोकना सरकार चाहती है, अगर वह समझती है कि जो मोटर के चलाने वाले लोग हैं और जो डीजल आयल के मोटर चलाने वाले हैं, वे बड़े लोग हैं और उन पर टैक्स लगाना चाहिये तो क्यों नहीं कोई इसका प्राविजो (शर्त) आता, क्यों नहीं इसमें जोड़ दिया जाता कि डीजल आयल के द्वारा जो नलकूप चलते हैं, जो आटे की चक्कियां चलती हैं और जितने गृह कुटीर उद्योग चलते हैं उनसे एक पैसा भी टैक्स नहीं लिया जायगा। यह बात सरकार की ओर से नहीं आयी। सरकार इस बात को साफ कहे। केवल मोटर चलाने वालों का नाम लेकर यह सरकार

जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहती है। उसको चाहिये कि वह तमाम विवरण यहां प्रस्तुत करे कि हम इस वजह से मोटर वालों पर टैक्स लगाना चाहते हैं। सरकार जनता के सामने इस बात को दिखलाना चाहती है कि देखो, विरोधी दल के लोगों ने इसका विरोध किया और वे जो मोटर, टेलीफोन और रेडियो आदि रखने वाले हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिये हम यह चाहते हैं कि यदि सरकार उनसे टैक्स वसूल करना चाहती है तो उसकी एक सीमा कर दे, मगर साफ कह दे कि डीजल आयल से चलने वाले जो आटे की चक्कियां हैं, डीजल आयल से चलने वाले जो नलकूप हैं, डीजल आयल से चलने वाली जो बसेज हैं जिन पर पैसेंजर यात्रा करते हैं और खास करके जिन पर गरीब जनता अधिक यात्रा करती है, उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि माननीय देवकीनन्दन जी विभव और दूसरे कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य इसकी बारीकियों में नहीं गये हैं और उन्होंने इसको समझा नहीं है कि इसका असर सीधे-सीधे जाकर गरीब जनता पर ही पड़ेगा। मैं इसकी जानकारी रखता हूं और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानकारी रखते हैं कि जब सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक मांग महज पूरी होने पर ही १० मई के सत्याग्रह को बन्द करने की बात की जा रही है कि एक हजार रुपये महीने से ज्यादा आमदनी वाले जितने व्यक्ति हैं, चाहे वह उद्योगपति हों, चाहे वह वकील हों, चाहें वह डाक्टर हों, चाहे वह कोई दूसरे लोग हों, टैक्स की एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिये कि उनकी चाहे जो आय आज हो वह एक हजार की सीमा से नीचे आ जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कह दिया था कि यह नीति सरकार ने मान रखी है कि ऊंची आमदनी को कम कर के नीचे की ओर कम आय वाले लोगों की आय बढ़ाई जाय, तो वह नीति सरकार की अब कहां गई ? सरकार को साधन प्राप्त हैं इसलिए उसको अपनी नीति का समुचित प्रयोग करना चाहिये।

इस विधेयक पर इतने वादविवाद की और इतनी रोशनी डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर सरकार सही मानों में बड़ों को टैक्स करना चाहती है और बड़ों को टैक्स करने की उनकी मंशा है तो वह क्यों केवल एक ही मांग नहीं मान लेती "एक ही साधे सब सधे"। एक ही साधन से सब काम हो जायगा कि एक हजार से ऊपर जिनकी आय है उनके लिये टैक्स की ऐसी प्रणाली लगाई जाय कि उन की आय एक हजार से नीचे आ जाय और वह बचा हुआ पैसा पढ़ाई, लिखाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि गरीबों के अच्छे काम में लगाया जाय और ऐसा करने पर सरकार को इस तरह के नन्हें-नन्हें बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार साफ क्यों नहीं कह देती कि इतने आना प्रति गैलन हम टैक्स लगाना चाहते हैं जिससे बिलकुल पोजीशन (परिस्थिति) साफ हो जाय ?

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक अभी सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और जब यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां पर सरकार के सामने कोई सम्मान की बात नहीं होगी, वहां सब शान्ति से बैठ जायंगे और विचार कर लेंगे और जो हमारे संशोधन होंगे उनको भी सरकार मानने के लिये अवश्य तैयार हो जायेगी। किसी एक मंत्री की व्यक्तिगत बात से इसका सम्बन्ध नहीं है। कहने के लिये तो कल यहां हरिजन, बैकवर्ड कम्युनिटी और उच्च वर्ग सब की बात कही गई, लेकिन मैं नहीं समझा कि किस तरह से हमारे मित्र हरी जी, गंगा जी की बात कह कर तैश में आ गये ? उन्होंने यह समझ लिया कि गेंदासिंह जी ने यह कहा कि हरिजन परिवार के आदमी तनदुरुस्त कैसे हो सकते हैं ? लेकिन उन्होंने तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। बात यह है कि अगर स्वस्थ शरीर को भी समुचित भोजन न दिया जाय। अगर डीजल आयल पर ज्यादा टैक्स लगने से आटे की पिसाई ज्यादा लगेगी तो उससे ज्यादा कठिनाई आटे के मिलने में हो जायगी और आटा खाने को नहीं मिलेगा। पर उन्होंने इसी को समझ लिया कि शायद हरिजन तबके की ओर इशारा है और उनकी ओर से जबाव दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस दल में जो हरिजन समुदाय के लोग हैं वह अपने को हरिजनों का ठेकेदार मानते हैं और तरह-तरह के आक्षेप भूमि के बटवारे आदि की बात के करते हैं। कल माननीय हरी जी ने आक्षेप लगाया कि क्या कोई ऐसे माननीय सदस्य इधर हैं जिन्होंने अपनी जमीन का बटवारा कर दिया हो ?

[श्री राजनारायण]

उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है और जमीन के बटवारे की बात तो उनका एक स्लोगन मात्र है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस समय जाफरी साहब बैठे हैं, आज वह चाहे समाजवाद के सिद्धान्तों पर न चलें मगर वह समाजवाद क्या है यह जानते हैं। समाजवाद में हर आदमी को समान अवसर मिलना चाहिए।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य इस विषय के सम्बन्ध में बोल रहे हैं या सोशलिस्ट पार्टी के प्रोग्राम की व्याख्या कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--यह तो मैंने उनका ध्यान पहले ही आकर्षित कर दिया था। लेकिन कल उधर से भी कुछ स्पीचेज हुई जिनमें इन विषयों का जिक्र था। इसलिए उनका हक तो है ही। हां, मैं उनको संक्षेप में कहने का सुझाव दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं बहुत ही संक्षेप में चल रहा हूं। अगर देखा जाय तो कल इस विषम पर काफी कहा गया था मुझे अफसोस होता है, मीठा-मीठा गप और कड़ुवा-कड़ुवा थू। इस नीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्य, जब उधर से यह बात कही जा रही थी तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाये। उसका जबाव सुनने के लिए प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है।

क्या एक व्यक्ति कोई अपनी जमीन बांट दे तो हरिजनों का कल्याण हो जायगा ? हरिजनों का कल्याण तो नहीं हो जायगा। अगर एक व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी जमीन बांट दें तो हरिजनों का कल्याण हो जायगा ? ऐसा सिद्धांत ही स्वप्निल हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के बटवारे की बात जब हम कहते हैं तो हम यह चाहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी इस सिद्धान्त को मानती है और मान कर चलती है। जमीन के बटवारे के कानून को वह बनाना चाहती है और बना कर उसको मूर्तिमान शक्ल पहनाना चाहती है, अमली जामा पहनाना चाहती है। आज हमारी सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों नहीं कानून बना कर प्रत्येक सोशलिस्ट की जमीन छीन लेती ? अगर हम रुकावट डालें तो दोषी हैं। इतना जरूर कहेंगे कि जमीन सबकी छीन लो। तीस एकड़ या बीस एकड़ की एक लिमिट बना कर जितनी जमीन है सब छीन कर हरिजनों को बांट दो। हमसे बढ़ कर खुशी किसी को हो, तो कहो।

बार-बार इस बात की चर्चा की गयी। यह हरिजन समुदाय के ठेकेदार बन कर कांग्रेस पार्टी के टिकट से आये हुए शेड्यूल्ड कास्ट के भाई समझते है कि वही हरिजनों के हित में हैं ? लेकिन जितने बड़े दुश्मन हरिजनों के वे प्रतिनिधि हैं उतना बड़ा कोई नहीं है। माननीय धर्मसिंह जी ताकने लगे। जमींदारी उन्मूलन का जब विधेयक आया। उसमें सोशलिस्ट पार्टी ने यह संशोधन रखा कि पहले जमीन हरिजनों को दी जाय, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हरिजन सदस्यों ने इसका विरोध किया।

आज काशी के विश्वनाथ मंदिर में क्या हो रहा है ? एक वर्ष बीत गया, वह मार्च का महीना भी व्यतीत हो गया, लेकिन अब भी विश्वनाथ मंदिर की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अनावश्यक विवाद यहां पर खड़ा करके सदन के समय को नष्ट करने की चेष्टा अगर सरकारी पक्ष करे तो उसका उत्तर बाध्य होकर, अनिच्छा से हम लोगों को देना ही पड़ता है। इसलिए मैंने जैला पहले निवेदन किया ? मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि इस वादविवाद में पड़ूं और मैं बोलना भी नहीं चाहता था। मैं कल यहां था भी नहीं--मगर जब शाम को चर्चा होने लगी तो माननीय हरीसिंह जी इस तरह दोषारोपण करने लगे कि सोशलिस्ट पार्टी हरिजनों को धोखा देना चाहती है। तब हमें कहना पड़ा कि धोखे में खुद हो, बुद्धि विभ्रम में खुद विचरण कर रहे हो और अगर उस धोखे के वातावरण से बिछुड़ना चाहोगे तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमारी सोशलिस्ट

पार्टी सम्यक दृष्टि से समानता के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए और हर इंसान को पूरी सहायता देकर प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना चाहती है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री अधिष्ठाता--मैं आदरणीय सदन को बता देना चाहता हूं कि कार्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिश से सदन यह प्रस्ताव पास कर चुका है कि सवा बजे तक इस विधेयक पर वाद विवाद होगा। आप बता दें कि विवाद कब तक होगा, क्योंकि चार पांच संशोधन भी हैं। अगर विवाद ज्यादा चला तो उनको गिलोटीन करना पड़ेगा। ऐसी हालत में कोई निश्चय हो जाय तो अच्छा हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--साढ़े बारह बजे तक मेरे खयाल में आम वादविवाद हो, उसके बाद संशोधन ले लिये जायं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--साढ़े बारह बजे तक अगर विवाद चलता रहे तो अच्छा रहेगा और हर दृष्टि से विचार भी हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता--(श्री राजनारायण से) आपको कोई आपत्ति है?

श्री राजनारायण--जी नहीं। मुझे माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कल बड़े ध्यान से इस डीजल आयल की चर्चा को सुन रहा था, परन्तु उसके ऊपर जो विवाद हुआ मुझे उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि या तो सरकारी दल की ओर से बोलने वाले लोगों को विषय का ज्ञान नहीं और अगर विषय का ज्ञान है तो केवल वैयक्तिक आक्षेप पर अपने तर्कों के थोथेपन को छिपाने का प्रयास किया गया। विषय तो सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन का है, विशेषकर डीजल आयल का और यह कहा जाय कि डीजल आयल के ऊपर टैक्स लगाने का परिणाम मोटर वालों पर होगा तो इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे देश में तो अभी डीजल आयल से चलने वाले मोटर आये नहीं। डीजल आयल से तो जो चलते हैं वह ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, चक्कियां हैं, तो डीजल का दाम बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि ट्रक्स का किराया बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि सरकार को किराया बढ़ाने की जब आवश्यकता होगी तो वह मोटर बसेज पर किराया बढ़ायेगी। तो इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा जो बसेज से अपने कामों के निमित्त बाहर आया जाया करती है।

दूसरे, इसका परिणाम होगा चक्कियों पर। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आटा घर में पीसा जाय। परन्तु आज क्या यह सम्भव है? सिद्धान्त एक हो सकता है परन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में बड़ा अन्तर है। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर पौष्टिक भोजन तैयार हो। परन्तु आज मेकेनाइजेशन के युग में चावल तक कूटने की मशीन डीजल आयल से चलती है। सब प्रकार की मशीनें डीजल आयल से चलती हैं। डीजल के ऊपर दाम बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि चावल की कुटाई, आटे की पिसाई, ट्रक्स, बसेज का किराया बढ़ जायगा जिसका असर प्रत्यक्ष कहिये या अप्रत्यक्ष कहिये सर्वसाधारण के जीवन पर पड़ेगा।

श्रीमन्, जो सरकार बारबार यह कहती है कि हमको हमारी इच्छा पर, टैक्स लगाने के अधिकार दो, तो मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक सिद्धान्तों में एक महान क्रान्तिकारी सुझाव सरकार की ओर से आ रहा है। होना तो यह चाहिये कि "नो टैक्सेशन विदाआउट रिप्रजेन्टेशन", परन्तु आजकल सरकार कह रही है "अनलिमिटेड टैक्सेशन ऐट दि डिस्क्रीशन आफ दि गवर्नमेंट विदआउट रिप्रजेन्टेशन" ("Unlimited taxation at the discretion of the Government without representation") मैं पूछता हूं, यह कौन सा नियम है? इसका

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

अर्थ यह होगा कि आप सदन से अधिकार मांगेंगे और उसका प्रयोग करके फिर सदन के सम्मुख जब आप पर प्रश्न होगा तो आप कहेंगे कि आवश्यकता के अनुसार ऐसा किया गया। ऐसा होता है कि युद्ध-कालीन स्थिति में देश की सुरक्षा के लिये सरकार को अनलिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। परन्तु आज क्या ऐसी स्थिति है ? ऐसी स्थिति में अगर आप अनलिमिटेड पावर्स हमसे चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप गलती कर रहे हैं और फिर अनलिमिटेड पावर्स उस स्तर पर चाहते हैं जिसको टैक्सेशन कहते हैं और जो वातस्व में सर्व साधारण के जीवन के ऊपर लगता है ? तो टैक्सेशन के सम्बन्ध में कैपेसिटी टु पे "कै" पर भी विचार करना चाहिये। 'कैपेसिटी टु पे' कि पे करने की सामर्थ्य है कि नहीं, चाहे प्रत्यक्ष टैक्स हो, चाहे अप्रत्यक्ष टैक्स हो। अभी जो रिजर्व बैंक के द्वारा एक कमेटी का निर्माण रूरल इनडेटेडनेस की जांच करने के लिए हुआ था उस कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट दी है कि रूरल इनडेटेडनेस बढ़ रही है। इसका क्या अर्थ है ? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आज हमारे प्रान्त के गांव के लोगों की पर्चेजिंग पावर घटती जा रही है और अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन की आवश्यक सामग्रियों को खरीदने के लिए जब उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वह कर्ज लेते हैं . . . . . .।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं और वह यह कि जब बिल के माने वह न निकलते हों और गलत माने लगाकर उस पर भाषण किये जायं तो क्या वह ठीक होगा ? जैसे कि इस बिल में यह कहीं नहीं कहा गया कि डीजेल आयल पर टैक्स लगेगा। बिल तो, डीजल आयल पर टैक्स न लग सके, इसलिए लाया गया है। भाषण यहां हो रहे हैं कि डीजल आयल पर टैक्स लगने से नुकसान होगा और न जाने क्या-क्या बातें कही जा रही हैं। तो क्या इस तरह से भाषण करके सदन का समय नष्ट करना ठीक होगा।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था यह है कि बिल सदन के सामने है और हर माननीय सदस्य अपनी समझ के अनुसार उसका अर्थ लगाता है। अगर कुछ उसमें अर्थ लगाने में त्रुटि हो तो सरकारी बेंच उसको बता दें। अन्त में किस रूप में बिल पास हो या न पास हो यह सदन के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं समझता हूं कि चेयर इस मामले में हस्तक्षेप न करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मेरे मित्र को प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने की कुछ बीमारी सी हो गई है। अगर श्रीमन्, गलत अर्थ लगाया जा रहा है तो भाषण से, तर्क से क्यों नहीं उसको काटते ? भाषण के स्तर पर तो गालियां दी जाती हैं, वैयक्तिक आक्षेप किये जाते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि यहां वह कहावत चरितार्थ होती है कि--- "when you have nothtng to argue abuse your opposites" तो यह तो श्रीमन्, गलत चीज है।

मैं यह कह रहा था कि "कैपेसिटी टु पे" के आधार पर टैक्सेशन पर विचार किया जाना चाहिए। यह कहा जाय कि टैक्सेशन पर पहले अलग से विचार किया जाय और उसके बाद में सारी व्यवस्था को लेकर के विचार किया जाय तो यह गलत चीज होगी क्योंकि टैक्सेशन या इकोनामिक व्यवस्था के ऊपर टैक्सेशन तो सम्पूर्ण इकोनामिक व्यवस्था को सामने रख कर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक होगा यह देखना कि आज हमारे समाज के लोगों की कैपेसिटी टु पे क्या है, लेकिन श्रीमन्, सरकार इस पर विचार नहीं करती है। वह तो केवल एक अंग पर विचार करती है और जैसे कि कोई जादूगर होता है, वह एक हाथ में अंगूठी छिपाता है और दूसरे हाथ से रूमाल दिखाता है जिससे कि लोग रूमाल को देखने लगें और उसको अंगूठी को छिपाने का मौका मिल जाय, उसी तरह से हमारी सरकार भी टैक्सेशन की बात तो लाती है, पर कहती

है कि हम तो मोटरों पर लगा रहे हैं, धनियों की मोटरों पर लगा रहे हैं। शौक से लगाइए उनके ऊपर क्योंकि उनकी कैपेसिटी टु पे ज्यादा है। परन्तु आप टैक्सेशन लगा किस पर रहे हैं? जिनकी कैपेसिटी नहीं है और श्रीमन्, जैसा अभी कहा गया कि यह ट्यूबवेल पर और अन्य चीजों पर जाकर पड़ेगा, तो इससे पानी का दाम बढ़ेगा या नहीं? और फिर उसका असर खेतिहर किसान के ऊपर जाता है या नहीं? इसलिए मैं तो श्रीमन्, समझता हूं कि इस प्रकार के विधायन के ऊपर जिस प्रकार से एक शान्तिमय वातावरण के अन्दर स्पष्ट विचार प्रवर समिति के अन्दर हो सकता है उस प्रकार से हाउस के अन्दर नहीं सकता, क्योंकि हाउस के अन्दर तो श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि "टाकिंग टु ईच अदर" की प्रथा चल रही है और यहां तो इस बात की होड़ लगी रहती है कि कौन प्वाइंट आफ आर्डर ज्यादा उठाता है। इसलिए श्रीमन्, एक शान्तिमय वातावरण में सम्पूर्ण स्थिति के ऊपर गम्भीर विचार करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय।

अन्त में श्रीमन्, मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि विधान की मान और मर्यादा कायम रखना बहुत आवश्यक है। मैं भी इससे सहमत हूं। परन्तु विधान की मर्यादा कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे और आपके बोलने का एक स्तर होना चाहिए। वैयक्तिक आक्षेपों से कभी स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। उससे तो केवल कटुता का निर्माण होगा और शान्त वातावरण नहीं रह सकेगा जिसमें कि परस्पर स्नेहमय और एक दूसरे के टालरेशन के आधार पर विचारों का आदानप्रदान हो सके। वह इस प्रकार के वैयक्तिक आक्षेपों के अन्दर संभव नहीं होगा। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि जितना आवश्यक मान मर्यादा के लिये सरकार के ऊपर भार है उतना यह भी आवश्यक है कि अपने लोगों में वह यह स्पष्ट कर दे कि वैयक्तिक आक्षेपों की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के जीवन के आगे चार विशेषण लगा दिये जायं तो वह अच्छा बुरा नहीं हो जाता और किसी के जीवन के आगे चार विशेषण न लगे हों तो वह अच्छा बुरा नहीं हो सकता। वे तो बालक की उत्पत्ति से उसके साथ साथ आते हैं। किसी विशेषण से दुर्गुण या सद्गुण का मान नहीं हो सकता। हम लोग शान्तिमय वातावरण में इस बिल के ऊपर सब प्रकार से विचार करते हुए इसको पूर्ण रूपेण सदन के सम्मुख रख सकें, इसके लिये आवश्यक है कि यह सदन और यह सरकार-खास कर मैं सरकारी दल को आह्वान करूंगा---अपने तर्कों को युक्ति के साथ रक्खें। व्यंग करना हो, हास्य करना हो तो करें लेकिन कटुता न लायें। मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि हमारे विरोधी दलों के तर्कों का तर्क युक्त खंडन किया जाय। अगर वैयक्तिक आधार पर खंडन होगा तो मुझे निराशा होगी। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय और वहां इस पर सम्पूर्णतया विचार किया जाय ताकि बाद में स्पष्ट रूप से सदन के सामने आ सके।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है। उस पर जो भाषण हुए उनको मैंने सुना। मैं नहीं जानता कि इस विवाद में डंडी मार्च, कोआपरेटिव फार्मिंग, समाजवाद के बड़े बड़े सिद्धान्त, जमींदारी एबोलीशन के सम्बन्ध में चर्चा करने की कोई जगह थी या नहीं थी। जिन्होंने इन सब बातों का इस मौके पर जिक्र किया, मैं उन्हीं पर इसे छोड़ देता हूं कि उनकी इन बातों का यहां स्थान था या नहीं था।

जहां तक मैंने इसके उद्देश्य व कारणों को पढ़ा, श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया कि वाकई इसके उद्देश्य और कारण क्या हैं। एक साथी ने कहा कि इसका मतलब है कि जो डीजिल आयल है उसको हम टैक्स से एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं। मैं तो इसकी भाषा पढ़ कर यही समझ सका कि गवर्नमेंट डीजिल आयल पर टैक्सेशन करना चाहती है और अगर ऐसा है तो स्पष्ट भाषा में गवर्नमेंट को यह बात कहनी चाहिये। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम की खास मंशा यह है कि डीजिल आयल के ऊपर टैक्सेशन करने की पावर गवर्नमेण्ट की होनी चाहिये और सवाल पावर का भी नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

जहां तक मेरी मालूमात है, जो ४८ का सेल्स टैक्स ऐक्ट है उसके अन्दर आलरेडी डीजल आयल पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। तो मैं यह समझता हूं कि कुछ कनफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को हटाने के लिये यह छोटा सा विधेयक पेश किया गया है। कनफ्यूजन इस सिलसिले में यह है कि १९३९ का जो ऐक्ट है उसके अन्तर्गत यह जो मोटर स्प्रिट है उसमें हमने डीजल आयल को शामिल किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि इसके फुटकर दूकानदार नहीं हैं इसलिये इस पर टैक्स की कोई आमदनी नहीं होती और सेल्स टैक्स के लिये दिक्कत यह है कि जब तक मोटर स्प्रिट के अन्दर यह शामिल है उस पर उनको टैक्सेशन करने की पावर नहीं है। पावर हो या न हो लेकिन टैक्सेशन हो चुका है। इसलिये उस चीज को लीगलाइज तथा रेगुलेराइज करने के लिये इसके अन्दर यह धारा २ दी जा रही है कि मोटर-स्प्रिट की डेफिनिशन को बदला जाय और १ अप्रैल, सन् १९४८ से उसको रक्खा समझा जाय। यह जो रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट है, उसके मानी यह है कि जो पहले से ही टैक्सेशन सेल्स टैक्स ऐक्ट के मातहत लग चुका है वह जायज माना जाय। इसलिये यह विधेयक लाया गया है।

अब इस पर सिद्धान्त की बात आई। यह तो बड़ी कामनसेन्स की बात है कि जो भी टैक्स लगेगा उसका इंसिडेंस जनता पर पड़ता है चाहे कम पड़े या ज्यादा पड़े। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इससे गरीब जनता का खून चुस जायगा। इस तरह की दलीलें मेरे दिमाग में आने वाली नहीं हैं। डीजल आयल से गरीब किसान का कोई सम्बन्ध नहीं है। आम जनता, छोटे स्तर का किसान उससे पिस जायगा, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं, मगर यह बात सही है कि जो भी टैक्स लगता है उसका असर कहीं न कहीं जरूर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि डीजल आयल पर टैक्सेशन होना एक ऐसी चीज है कि इसका कोई प्रगतिशील पार्टी विरोध नहीं कर सकती है और न करना चाहिये।

एक चीज और है कि इसमें से जो "Not exceeding two annas per gallon" हटा दिया गया है, उसके संबंध में मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जवाब दें, इसका स्पष्टीकरण दें। इसके हटा देने से जो मूल धारा है वह बड़ी वेग हो जाती है। जहां तक सरकार को पावर्स न देने की बात है, तो जब तक अपोजिट पार्टी उधर बैठी है और हम इधर बैठे हैं तब तक हमारा उनका संघर्ष बराबर चलता ही रहेगा। वह हमको पावर नहीं देंगे और हम लेने की कोशिश करेंगे। जिस दिन उनको हमारे ऊपर विश्वास हो जायगा फिर उनके उधर बैठने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिये यह कोई बहुत बड़ी दलील नहीं है। हां, यह जरूर है कि जो टैक्सेशन हो वह स्पष्ट तथा डेफिनिट होना चाहिये, प्रेसाइस होना चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें, वरना इस को हटा देने से लोग कह सकते हैं कि दो आने के बजाय बढ़कर शायद चार आने, छै आने हो जाय। इसलिये स्पष्ट कर दें कि किस आइडिया को लेकर यह हटाया गया है।

एक बात और कही गई। कल एक कम्युनिस्ट भाई ने डंडी मार्च का जिक्र कर दिया और बतलाया कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया। मैं नहीं जानता कि उनकी मालूमात कहां से थी? इस भवन में जो चीज हो गई है उसकी मालूमात करके ही कोई चीज कहनी चाहिये। जब यहां से सेल्स टैक्स विधेयक पास हुआ था, उसमें नमक पर टैक्स नहीं था जितना उनके दिलों में इसके लिये दर्द था उतना ही हमारे दिलों में भी दर्द था और हम नहीं चाहते थे कि नमक पर टैक्स लगे। यह तो मैंने गलत मालूमात को ठीक करने के लिये बात कही।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इसलिये प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये क्योंकि तमाम बातों पर यहां बहस भी हो गई है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद भवन इसको पास करेगा।

मादक-कर राज्य-मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस माननीय सदन के सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सदन है और इसके प्रत्येक व्यक्ति को पूरे अधिकार हैं कि वह अपनी विचारधारा को अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। जहां तक माननीय सदस्यों के वक्तव्यों का प्रश्न है, मैं इतना कह देना उचित समझता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये जब हम उद्देश्य और कारणों की ओर जाते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीजल आयल को मोटर स्प्रिट की परिभाषा से निकाल दिया जाय। दो तीन माननीय सदस्यों ने इसके संबंध में कुछ कहा था। एक तो शायद सहारनपुर के हैं और दूसरे बरेली के हैं, मैं नाम भूल गया हूं। थोड़े में उन्होंने इस बात को रखा कि यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे लोग काफी पढ़े लिखे हैं और विद्वान् हैं और इसके उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिये उनकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यही कारण था कि मैंने इसके उद्देश्य और कारणों पर एक विहंगम दृष्टि डालना ही उचित समझा था। मोटर स्प्रिट में पैट्रोल आता है जिसमें १०० प्रतिशत प्योरिटी होती है, इसके बाद पावर अल्कोहल आता है, इसकी प्योरिटी ९९ प्रतिशत है। इसके बाद डीजल आयल आता है। पैट्रोल जिसे अमेरिका में गेसोलिन भी कहते हैं, उसका इगनीशन प्वाइंट १४५ डिग्री फारेनहाइट है। लेकिन डीजल आयल डिस्टिलेट है मोटर स्प्रिट का और उसका इगनीशन प्वाइंट १५५ डिग्री फारेनहाइट से ऊपर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके इस प्रदेश में या हिन्दुस्तान में जो लोग डीजल आयल को इस्तेमाल करते हैं उसमें हायर कम्प्रेशन को पाने के लिये और थर्मल एफिशेन्सी को बढ़ाने के लिये उसका टेम्परेचर १९५ से लेकर लेकर २०० डिग्री फारेनहाइट तक रखते हैं। तो यह डीजल आयल शब्द इस परिभाषा से इसलिये निकाला गया और वास्तव में यू० पी० सरकार के ला डिपार्टमेंट ने अपना विचार प्रकट किया और साथ ही साथ बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने और केन्द्रीय सरकार ने भी कहा कि मोटर स्प्रिट की परिभाषा के अन्दर डीजल आयल आता है और जब तक वह आता है तब तक उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ सेल्स टैक्स के अन्तर्गत भी सन् ४८ से अब तक एक पैसा फी रुपया टैक्स लगाया गया। इस तरह से जब हम देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीजल आयल को मोटर स्प्रिट की परिभाषा से निकाल लेने के पश्चात् कोई टैक्स लगाने की सम्भावना नहीं है।

जहां तक उद्देश्य और कारण को समझने की बात है, माननीय सदस्यों ने शायद इसकी परिभाषा इसलिये रख दी कि उस पर टैक्स लगने जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। सरकार की एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से कभी भी यह मन्शा नहीं है कि डीजल आयल पर कोई टैक्स लगाया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---सेल्स टैक्स का क्या होगा ?

डाक्टर सीताराम---एक पैसा रुपया जब तक यह मोटर स्प्रिट की परिभाषा में रहेगा। यह तो कंट्राडिक्टरी चीज है। इस एनोमली को दूर करने के लिये कि दो जगह डीजल आयल की परिभाषा नहीं रखी जा सकती। सेल्स टैक्स के अन्तर्गत इसकी परिभाषा सीमित रहेगी और यहां से निकाल दी जायगी।

माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कल बहुत सी बातों को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पेट्रोल पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है जबकि अमरीका जैसे देश में जहां छै, सवा छै करोड़ से अधिक गाड़ियां हैं, टैक्स कम लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिये इस बात को कहना उचित उमझता हूं कि अमरीका में ३,१८,००,००० मेट्रिक टन्स पेट्रोल पैदा होता है, वेन्जुला में करीब ९४,००,००० मेट्रिक टन्स पैट्रोल पैदा होता है, सऊदी अरब, ईराक वगैरह में करीब १,१६,००,००० मेट्रिक टन्स, ब्रिटेन में ६३,००,००० मेट्रिक टन्स, फ्रांस में करीब ५० लाख मेट्रिक टन्स पेट्रोल पैदा होता है। लेकिन आपके हिन्दुस्तान में

[डाक्टर सीताराम]

जहां पर ५०,००,००० मेट्रिक टन्स पेट्रोल का प्रति वर्ष कन्जम्प्शन है वहां केवल ४,००,००० मेट्रिक टन्स पेट्रोल पैदा होता है। इन आंकड़ों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनियां के अन्य देशों के मुकाबिले में हिन्दुस्तान में पेट्रोल की पैदावार बिल्कुल नगण्य है।

मुझे स्वयं अनुभव है कि अमेरिका में सन् १९४६ से लेकर १९५० तक एक गैलन पेट्रोल का दाम २१ सेंट अर्थात् करीब १५ आने के थे। लेकिन अपने देश में और देशों से जो क्रूड फार्म में पेट्रोल मंगाया जाता है उसको हम रिफाइन करके इस्तेमाल करते हैं। हमारे मित्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने सच कहा कि और देशों के मुकाबिले में हमारे यहां पेट्रोल का दाम अधिक है लेकिन हमारे यहां की क्या परिस्थितियां हैं वह हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहां सिर्फ ४ लाख मेट्रिक टन का पेट्रोल का उत्पादन है जब उसका कंजम्प्शन करीब ५० लाख मेट्रिक टन के है। इसीलिये और देशों में यहां की अपेक्षा कीमत कम है।

जहां तक विधेयक की बात है, इसमें किसी प्रकार की अधिक शंका नहीं होनी चाहिये कि डीजल आयल निकाल देने के बाद उस पर टैक्स लगाया जायगा, लेकिन ऐसी विचारधारा इस विधेयक के प्रस्तुत करने के समय कभी नहीं रही और न है, मैं यह साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं।

जहां तक "नाट एक्सीडिंग टू आनाज" शब्दों के निकाल देने की बात है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐक्ट, १९३९ से बना, लेकिन सरकार ने अब तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों की सरकारें भी इस पर विचार कर रही हैं या कर चुकी हैं कि इस पर टैक्स बढ़े। बिहार, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मैसूर आदि में इस पर विचार हो चुका है। तो इसमें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर यह टैक्स बढ़ेगा तो खेतिहर मजदूरों पर इसका बोझ पड़ेगा। कल से आज तक हाउस में इस बात को सदस्यों ने रखा है कि इसके बढ़ने से इरीगेशन रेट बढ़ जायगा, टैक्सीज पर किराया बढ़ जायगा, जिस पर कपड़ा, अनाज आदि ले जाया जाता है, लेकिन यह प्रश्न नहीं उठता। जहां तक डीजल आयल का सम्बन्ध है, जो सिंचाई के साधन या यातायात के साधन हैं उन पर डीजल आयल का टैक्स नहीं लग रहा है और उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

जहां तक मोटर स्प्रिट पर टैक्सेशन की बात है हमें प्रसन्नता है कि हमारे मित्रों ने जनता के करुणक्रन्दन को सुना है और अपने विचारों को व्यक्त किया है। मोटर स्प्रिट से तो वही लोग सम्बन्ध रखते हैं जिनके लिये अच्छे शब्दों का प्रयोग अधिक सुगमता से चन्द्रजीत जी यादव ही कर सकते हैं। ऐसे लोग ही कार खरीदते हैं जिनके पास पैसा है और अगर उन पर कर लगाया जाय तो इसमें किसी को कोई आपत्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि जब जनता पर, जब खेतिहर मजदूरों पर टैक्स का कोई असर नहीं पड़ता और उन लोगों पर पड़ता है जो पूंजीपति हैं या खाने पीने से अच्छे हैं तब वह अनुचित नहीं है।

सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी विचारधाराओं को रखा और मैं शुरू में कह चुका कि सबको अपनी विचारधाराओं को यहां पर व्यक्त करने का अधिकार है। मुझे उन सारी विचारधाराओं को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। माननीय हरीसिंह जी भी अपनी विचारधारा को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहे। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की किसी भी सरकार में यदि यही संकीर्णता रही तो हमको अभिशप्त होना पड़ेगा और देश के समाज का कोई भी व्यक्ति उसको बरदाश्त नहीं करेगा। तो इसलिये अगर हरिजनों के अपलिफ्टमेंट का सवाल है, तो वह किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है। जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और उनको नाना प्रकार की सुविधाएं दे कर ऊपर उठाने का प्रयास किया है और भविष्य में भी करेगी, ऐसा मेरा विचार

है। लेकिन उसका इस छोटे से विधेयक से कोई संबंध नहीं था। और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचारों को रखा। मैं तो समझता हूं कि इस सदन में इस तरह से अपने विचारों को रख कर, सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

इसलिये इन चन्द शब्दों को कह कर मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से अधिष्ठाता महोदय के द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल को वे सब पारित करने की चेष्टा करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी आपके सामने जो यह प्रस्ताव रखा गया हमारे सरकारी पक्ष के सदस्यों द्वारा, उसके दौरान में किसी ने यह कहा कि.....

श्री अधिष्ठाता--आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं इस पर बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--अब बोलने का समय नहीं है। यह तय हो चुका है कि साढ़े बारह बजे तक वाद-विवाद होगा। इस समय ७ मिनट ज्यादा हो गये हैं। इसके बाद संशोधन आने वाले हैं। यह सदन ने सर्वसम्मित से तय किया था।

(कुछ ठहर कर)

अब मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन पर सदन का मत लेना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ की, (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और इसे १ अप्रैल, १९४८ ई० से रखा गया समझा जाय--

यू०पी०ऐक्ट १, १९३९ की धारा २ का संशोधन।

"(*a*) 'motor Spirit' means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) *with a flash point of or below* 145°F which is ordinarily used for providing reasonable efficient motive power for any form of motor vehicle or for internal combustion engines."

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--परम श्रद्धा एवं विश्वास के योग्य अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "इसे १ अप्रैल, १९४८ ई० से रखा गया समझा जाय" निकाल दिये जायं।

यह खंड २ की बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जहां तक इसके उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस ऐक्ट के अधीन १८ वर्ष के कार्य अनुभव से यह प्रकट होता है कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत "मोटर स्प्रिट" की परिभाषा अत्यन्त व्याप्त है तथा इसके अन्तर्गत 'डीजल आयल' भी आ जाता है, यद्यपि 'डीजल आयल' के लाइसेंस प्राप्त फुटकर व्यापारियों के न होने के कारण इस पर कोई कर नहीं वसूल किया जा सका। साथ

[श्री जगन्नाथ लहरी]

ही साथ संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन 'डिजल आयल' पर जब कि वह 'मोटर स्प्रिट' की परिभाषा के अन्तर्गत है, कर नहीं लगाया जा सकता। प्रस्तावित विधेयक से यह विरोध दूर हो जायगा। तो इसमें जहां तक यह कहा गया है कि डीजल आयल मोटर स्प्रिट की परिभाषा में आता है और इसके ऊपर बिक्री टैक्स वसूल नहीं किया गया यह बात उचित नहीं है।

माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि डीजल आयल पर एक पैसा रुपया बिक्री कर वसूल किया जाता है। आज जब कि इसमें यह संशोधन आता है और जिसको आप इस ऐक्ट में करने जा रहे हैं, उससे यह १ अप्रैल सन् १९४८ से लागू समझा जायगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे प्रान्त में १ अप्रैल सन् ४८ से बिक्री कर लागू हुआ था। डीजल आयल मोटर स्प्रिट की परिभाषा में आता है लेकिन मोटर स्प्रिट की परिभाषा में टैक्निकल ग्राउन्ड पर इसको नहीं लिया गया फिर भी हमारे अधिकारियों ने इस पर बिक्री कर वसूल किया है। आज ९ वर्ष से हमारे प्रान्त में इस गलती को दोहराया जा रहा है। आज उस गलती को एक छोटे से शब्द के द्वारा हमेशा के लिये दूर किया जा रहा है और सदन से छिपे रास्ते से यह अनुमति ली जा रही है कि सरकार ने ९ वर्ष से अनियमित रूप से जनता से जो बिक्री कर वसूल किया है आज सदन उसकी स्वीकृति दे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या उद्देश्य है? क्या यह सदन की मर्यादा को भंग नहीं करता।

दूसरी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि डीजल आयल १५५ प्वाइन्ट पर रहता है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि डीजल आयल इतने पर ही रहता है लेकिन लाइट डीजल आयल १३५ पर, हाई स्पीड डीजल आयल १३० पर और केरोसिन आयल १२५ पर रहता है। लेकिन जैसा कि बतलाया गया इसमें यही संशोधन करने का अधिकार है कि जो १४५ के ऊपर होगा उस पर यह टैक्स लागू होगा। मोटर स्प्रिट की परिभाषा के अन्दर जो आ जायगा उसी पर लागू होगा। तो बहुत से आयल जो इन्जिन वगैरा में इस्तेमाल किये जाते हैं उनमें केरोसिन आयल भी आता है जिसकी डिगरी १२५ है। इसका मतलब यह होगा कि डीजल आयल पर ही नहीं बल्कि हाई स्पीड डीजल आयल, और केरोसिन आयल पर भी यह टैक्स लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि १२५ डिग्री का केरोसिन आयल भी इसमें आ जाता है। अब खरीदार से यह कैसे मालूम किया जायगा कि वह जलाने के लिये ले रहा है या वह इन्जिन में इस्तेमाल करने के लिये ले रहा है। लाइट डीजल आयल और हाई स्पीड डीजल आयल जो १३५ और १३० डिगरी पर रहते हैं वह भी मोटर स्प्रिट के अन्दर आ जाते हैं। आज गृह उद्योग के लिये जो इंजन चलते हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं और पुराने तरीके के इंजन में भी यह इस्तेमाल होते हैं और केरोसिन भी इस्तेमाल होता है, तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि क्या यह कानून बनाने के बाद आपका मन्शा पूरा होगा? जब कानून में यह संशोधन कर दिया जायगा कि इसको १ अप्रैल सन् ४८ से समझा जाय तो जो टैक्निकल ग्राउन्ड पर हाईस्पीड डीजल आयल और कैरोसिन आयल १४५ डिगरी के बिलो आते हैं उन पर टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिये। यह टैक्स उन पर आज से वसूल किया जायगा या सन् १९४८ से वसूल किया जायगा?

तीसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि इस पर बिक्री-कर टैक्स भी वसूल नहीं किया जा सकता था, परन्तु वह स्वयं कई वर्षों से इस पर टैक्स वसूल कर रही है। सरकार यह दोहरी चाल चल रही है। वह अनियमित ढंग से वसूल किये गये टैक्स को जायज करार दिलवाना चाहती है और हम से अधिकार लेना चाहती है कि वह अधिकतम टैक्स वसूल कर सके। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि ये शब्द निकाल दिये जावें।

डाक्टर सीताराम--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के बाद और मेरी बातों को सुनने के बाद माननीय सदस्य जी अच्छी तरह से अपने को व्यक्त नहीं कर पाये। मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ लहरी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसी आशा थी कि माननीय मंत्री जी उस गुत्थी को सुलझाने में सफल होंगे जो कि उन्हीं की निर्माण की हुई है। इस समय मोटर स्पिरिट की परिभाषा में जो परिवर्तन वह कर रहे हैं वह मोटर स्पिरिट टैक्सेशन ऐक्ट में है न कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में है। मोटर स्पिरिट टैक्सेशन ऐक्ट सन् १९३९ से पास किया हुआ है। तो सन् ४८ से वह मोटर स्पिरिट की नई परिभाषा लागू करना चाहते हैं। तो मन्तव्य तो उनका है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में परिभाषा का परिवर्तन हो, और कर रहे हैं वह मोटर स्पिरिट ऐक्ट में या तो यह होता कि जब से यह ऐक्ट सन् ३९ का बना तब से ही परिभाषा का परिवर्तन माना जाता तो ठीक हो सकता था। लेकिन सन् ४८ से ओरीजनल ऐक्ट में इस परिभाषा का परिवर्तन करना कानूनी दृष्टिकोण से भी गलत है। इंटरप्रिटेशन में भी अगर यह परिभाषा जायेगी तो वहां से भी अवांछनीय घोषित हो कर आयेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें कि करीब ९ साल के बाद उनकी निन्द्रा भंग होकर उन को पता चला कि वह गलत टैक्स लेते रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वांछनीय दृष्टिकोण से वह इसे नियमित करावें।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

डाक्टर सीताराम--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ के शब्द "इसे १ अप्रैल, १९४८ से रखा गया समझा जाय" निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३--मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में, शब्द "not exceeding two annas per gallon" निकाल दिये जायं। यू० पी ऐक्ट १, १९३९ की धारा ३ का संशोधन।

श्री अधिष्ठाता--श्री जगन्नाथ लहरी जी, आपका संशोधन है कि खंड ३ निकाल दिया जाय, इसका अर्थ हुआ कि कि आप पूरे खंड का विरोध करना चाहते हैं। कृपया संशोधन न पेश कर के इस धारा के विपक्ष में बोलें।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस धारा ३ को निकालने का प्रस्ताव करता हूं क्योंकि सरकार ने .....

श्री अधिष्ठाता--मैं ने आप को बतलाया कि आप प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं, विरोध में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--विरोध करने का कारण यह है कि सरकार ने यह लिखा है कि "प्रस्तावित विधेयक से यह विरोध दूर हो जायेगा। कर लगाने के अधिकार को विस्तीर्ण बनाने के अभिप्राय से ही ऐक्ट की धारा ३ में भी संशोधन किया जा रहा है। इस समय यह धारा अत्यन्त संकीर्ण है। तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।" तो सरकार हमसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

"नाट एक्सीडिंग टू आनाज पर गैलन" शब्द निकाल कर इस प्रकार का अधिकार ले रही है कि वह मनमाना जितना चाहे उसके ऊपर टैक्स लगावे; क्योंकि उस के उद्देश्य और कारण में सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टैक्स को अधिक विस्तीर्ण करने के उद्देश्य से सरकार इस बिल को प्रस्तुत कर रही है। मैं सरकार का ध्यान और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है "इस समय यह धारा अत्यंत संकीर्ण है"। इस "अत्यंत" शब्द पर हम को भली प्रकार विचार करना चाहिये।

जहां तक सरकार को पिछले सदन ने अधिकार दिया था वह यह कि "नाट एक्सीडिंग टू आनाज पर गैलन" यानी उसकी अधिकतम सीमा दो आने पर गैलन की बांध दी गयी थी कि वह दो आने पर गैलन तक टैक्स लगा सकती है, लेकिन अब सरकार उस अधिकतम सीमा को पार करके मनमाना टैक्स लगाने को सोच रही है। इस में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि कौन सी अधिकतम सीमा सरकार की होगी। हम नहीं कह सकते कि यह टैक्स दो आने गैलन से जाकर एक आने गैलन पर रहेगा या उसकी सीमा रुपये तक हो जायेगी। मुझे तो सन्देह है कि सरकार की नजर रुपये की तरफ कहीं न हो। इसलिये मैं चाहता हूंकि सरकार टैक्स लगाने की कोई अधिकतम सीमा बांध दे। इस का विरोध करते हुये मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मेरे पास श्री रामलखन जी मिश्र ने एक संशोधन की सूचना दी है जिस की प्रतिलिपि मैंने विरोधी दल के लीडर को भेज दी है। उनका संशोधन समय की अवधि के अन्दर नहीं आया है। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं उनको संशोधन पेश करने की इजाजत दे दूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे श्री रामलखन जी मिश्र के संशोधन पर एतराज है, क्योंकि वह समय की अवधि के अन्दर नहीं आया है। दूसरे यह कि इसको लेने के पहले....

श्री अधिष्ठाता--अभी संशोधन आया नहीं है, उन्होंने इस को पेश नहीं किया है। आप केवल इस के लेने पर ही एतराज कर सकते हैं कि इस का लेना इस तरह से गलत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा कहना यह है कि खंड ३ पर अगर कोई संशोधन आता तो वह अवधि के अन्दर ही आ जाना चाहिये था। चूंकि पूरे खंड का विरोध हो रहा है इस लिये इसको विरोध के पहले ही आजाना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता--चूंकि खंड ३ विचाराधीन है, इसलिये किसी भी समय संशोधन लिया जा सकता है। वह तो नियमानुकूल है। अब रहा यह कि संशोधन अवधि के समाप्त होने के बाद आया है, तो अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं इस पर विचार करूं कि उनको यह संशोधन रखने की आज्ञा दी जाय या न दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस समय तो इस का विरोध चल रहा है। इसके बाद ही संशोधन लेने की बात हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--तब तो अजीब स्थिति हो जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जब अवधि के अन्दर यह नहीं आया है तो ...

श्री अधिष्ठाता--श्री रामलखन मिश्र जी का संशोधन लिया जाय या न लिया जाय इसी पर आप बोलें। क्या आप को इस पर एतराज है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, मुझे इस संशोधन के पेश करने पर एतराज है। एक तो यह कि नियम के अनुसार यह संशोधन समय के अन्दर नहीं आया। दूसरी बात यह कि हमारे यहां की यह परिपाटी रही है .....

श्री अधिष्ठाता—मेरी व्यवस्था हो चुकी, उसके बारे में किसी टिप्पणी की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(श्री रामलखन मिश्र से) आप को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—इस विधेयक की जो बैकग्राउन्ड है वह समझ ली जाय। बिजिनेस कमेटी ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि इस को प्रस्तुत करने की अनुमति न दें तो इस पर विचार कैसे हो सकता है ? अभी सदन के सामने संशोधन का स्वरूप भी नहीं आया है। यदि मुझे उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि वह उद्देश्य पूरक भी होगा और मैं समझता हूं कि विधानतः भी यह उचित होगा कि इसकी अनुमति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप किन आधारों पर चाहते हैं कि मैं संशोधन के प्रस्तुत करने की अनुमति दूं, कोई महत्व की बात हो तो आप बतायें ?

श्री रामलखन मिश्र—यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान धारा ३ की उपधारा (१) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें प्रश्न यह है कि वह सब से बड़ी सीमा क्या होगी कि जिस तक टैक्स लगाया जा सके, इस विषय में सदन में बहुत शंका प्रकट की गयी। मैं चाहता हूं कि वह शंका दूर की जाय और यह चीज एक सीमा के अन्दर आ जाय। माननीय सदस्यों को यह भी मालूम होगा कि ६ प्रदेशों में यह सीमा बांधी जा चुकी है और यदि मुझे इजाजत मिली तो प्रस्तुत करते समय मैं इस बात को बताऊंगा। यही एक केन्द्रबिन्दु विषय रहा है जिस पर तमाम व्याख्यान इस विधेयक के सम्बन्ध में हुए हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, मुझे तो जहां तक सुनायी पड़ा था आप ने कहा था कि इस पर संशोधन लिये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप अभी बैठ जाइये, अभी एक विशेष संशोधन सदन के सामने है और उसके बारे में विचार हो रहा है, जब कोई दूसरा विधेयक आयेगा, तब उस के बारे में भी विचार हो सकेगा।

अध्यक्ष को नियम ११२ के अनुसार अधिकार है कि यदि ३६ घंटे की नोटिस पर संशोधन न आये, तो भी अगर उचित समझे, तो उसकी इजाजत दे दे। यह विधेयक काफी दिनों से सदन के सामने है और यह संशोधन सरकारी पक्ष की ओर से आ रहा है और अगर सरकारी पक्ष की ओर से सतर्कता नहीं बरती गयी तो कठिनाई होगी। मैं विशेष परिस्थिति में आज आज्ञा देता हूं और आवश्यक समझता हूं कि भविष्य में सरकार सतर्क रहे।

श्री रामलखन मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विधेयक के वर्तमान खण्ड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द 'Two annas' के स्थान पर शब्द 'Six annas' रख दिये जायं।"

मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रायः ६ प्रदेशों में ६ आने की अधिकतम सीमा निश्चित सी हो गयी है और इस सम्बन्ध में यदि वे देखना चाहें, तो अपने कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधेयक की धारा में जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

दिया है, "नाट मोर दैन २ आनाज" इस से स्वाभाविक शंका हो सकती है, सरकार को पता नहीं क्या सीमा होगी, अगर यह हट जायगा। यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि टैक्सेशन की सीमा को एक परिधि के अन्तर्गत लाना है। ६ आने की बड़ी ऊंची छलांग है, लेकिन फिर भी उस के अन्तर्गत वह तमाम सीमायें आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान संशोधन की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस अधिकतम सीमा को मान लें ताकि शंका का निवारण हो जाय। यह जो मैं अपना संशोधन माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि हमारे राज्य मन्त्री उसके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि जो इस संशोधन का केन्द्रबिन्दु, उसका मार्केश स्थान और मर्मस्थल है वह धारा ३ के भाग (१) के अन्तर्गत "नाट मोर दैन टू" को निकाल दिया जाय, है। उद्देश्य और कारणों में, जब कि उसके अन्तर्गत एक सीमा है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि टैक्स की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है, तो स्वाभाविक शंका होती है कि 'नाट मोर दैन टू आनाज' के निकाल देने के बाद वह कौन सी सीमा होगी, जहां तक सरकार जा सकेगी, और यह एक स्वाभाविक बात है कि हमारे माननीय सदस्यों ने जो बहुत सा अपना समय इसके ऊपर व्यतीत किया और इसी धारा को लक्ष्यकर अपने सारे व्याख्यानों को सदन में दिया। मैं समझता हूं कि वह औचित्य की सीमा के अन्तर्गत थे। इस सम्बन्ध में यह संशोधन बहुत उद्देश्य पूरक है जिस से कि किसी भी माननीय सदस्य के सामने कोई शंका न रहे कि वह उच्चतम सीमा क्या होगी, और जब कि छः प्रदेशों में वह स्वीकार की जा चुकी है, ऐसी सूरत में मैं पुनः अपने राज्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। यह बहुत उद्देश्य पूरक होगा। यह तीन खंडों का संशोधन, इस पर इतना समय लिया गया, उस के अन्दर जो विशेष बात खटकने वाली थी, धारा ३ थी। इसी लिए पारिभाषिक शब्दों में भी शंका होती थी। हमें विश्वास है कि राज्य मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि यह हर दृष्टिकोण से बहुत ही उद्देश्य-पूरक है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक मौखिक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "Six annas" के स्थान पर "Two and half annas" कर दिया जाय।

श्रीमन्, इस विषय पर काफी प्रकाश कल डाल चुके हैं और यह कहना इस समय माननीय रामलखन जी का कि छः आने की मैक्सिमम लिमिट रखी जाय, यह सर्वथा अनुचित है। उसका यह कारण है कि यदि छः आने तक का अधिकार सरकार को दे देते हैं तो उसके परिणामस्वरूप सरकार उसका अवश्य दुरुपयोग करेगी। उसका कारण यह है कि हम यह समझते हैं और अच्छी तरह से यह जानते हैं कि करदाताओं के ऊपर यह अधिक बोझ होगा। और जिस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है फिर उन तर्कों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा और न मैं सदन का समय नष्ट करना चाहता हूं। बल्कि मैं चाहता हूं कि श्रम मन्त्री महोदय इस पर सोच लें दो आने पर यदि उनको आपत्ति है तो ढाई आने स्वीकार कर लें। इस से ज्यादा लिमिट बढ़ाना सर्वथा अनुचित है।

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास माननीय देवनारायण भारतीय जी ने एक संशोधन भेजा है कि "Two annas" के पश्चात् "Three pies" बढ़ा दी जायं। यह संशोधन अभी आया है। मैं जानना चाहता हूं कि आबकारी मन्त्री जी को इस पर क्या कहना है।

डाक्टर सीताराम—जहां तक संशोधन पेश करने की बात है, उसके लिए आपको पूर्ण अधिकार है कि आप उसको स्वीकार करें या न करें। जहां तक मेरी स्वीकृति की बात है जब तक खंड ३ पर वोटिंग नहीं होती, तब तक मैं ऐक्सेप्ट करूं या न करूं, मैं कुछ बतला नहीं सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जहां खंड ३ का जैसा वह रखा गया है विरोध करता हूं, वहां यह निश्चित है कि माननीय रामलखन जी ने और माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं, वे सरकार के संशोधन से तो बेहतर हैं ही। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, तो जो सरकार की ओर से संशोधन लाया गया है, मैं दोनों को साथ-साथ ही लेता हूं, क्योंकि समय कम है। वह एक ऐसा संशोधन है जिसका हम भारतवर्ष में कोई उदाहरण नहीं पाते। मैंने देखा इस सम्बन्ध में यू० पी० की सरकार यह चाहती है कि जितने आने भी टैक्स लगाना चाहे . . .

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। सवा बजे तक इस विधेयक को पास करना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर भाषण ज्यादा न हों और हों तो फिर समय बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं देख रहा हूं। जब गिलोटीन का समय आयेगा, तो उसे ले लूंगा। मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहूंगा कि अपने भाषण संक्षिप्त करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो हमें यह दिखलायी देता है और मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिस से यह साबित होता है कि बिहार, बम्बई, मद्रास, वेस्ट बंगाल, ट्रावनकोर, कोचीन आदि जगहों में ६ आना पर गैलन है; सौराष्ट्र में ४ आना; आसाम, पंजाब, हैदराबाद, पेप्सू, हिमांचल प्रदेश में ३ आना। तो सारे हिन्दुस्तान में एक लिमिट रखी गयी है, लेकिन यू० पी० की सरकार सब सरकारों से आगे बढ़ गयी है। वह चाहती है कि वह जितना भी लेना चाहे ले और इस सम्बन्ध में जो सरकारी संशोधन है वह मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाता है। उसने यह सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश में जितने लोकल टैक्सेज लगते हैं, वेहिकिल्स के ऊपर, वे पहले समाप्त कर दिये जायं तब पेट्रोल टैक्स बढ़ाया जाय। अगर उस कमेटी की सिफारिशों को माना जाय तो मोटर वेहिकिल्स में ८७ लाख ६३ हजार रुपया कम हो जायगा। तो सरकार ने अपनी टैक्स की रूपरेखा मोटर वेहिकिल्स के बारे में स्पष्ट नहीं की कि आया वह मोटर स्पिरिट टैक्सेशन के सम्बन्ध में और मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन के सम्बन्ध में उस कमेटी की राय से सहमत है या नहीं। सरकार का तरीका पीसमील तरीके से चलने का है। एक बार वह मोटर स्पिरिट पर टैक्स बढ़ायेगी, एक बार वेहिकिल्स पर टैक्स बढ़ायेगी, कभी सेल्स टैक्स बढ़ायेगी, लेकिन वह अपनी नीति का पूरा नक्शा हमारे सामने नहीं रखती। चूंकि समय कम है मैं . . . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप जरा स्थान ग्रहण करें। यह संशोधन जो माननीय राम लखन जी का है, कुछ फिट नहीं बैठता। माननीय मन्त्री जी या माननीय रामलखन जी बतायें कि 'मूल अधिनियम की धारा में' के माने क्या होंगे। यह तो बिलकुल बेमाने हो जाता है।

(श्री देवकीनन्दन विभव के उठने पर)

क्या आप बता रहे हैं ?

*श्री देवकी नन्दन विभव—जी हां, श्रीमन्। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो माननीय रामलखन जी का संशोधन है उसका आशय यह है कि वह इस तरह से फिट होता है। जो मूल अधिनियम की धारा ३ है, उसमें जो आखिरी पंक्ति है "not exceeding two annas per gallon on such sales" उसकी जगह यह हो जायगा "not exceeding six annas per gallon on such sales"। तो जो अभी सदन में कहा जा रहा था और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का जो विरोध था कि बम्बई और दूसरी जगहों में ६ आने से ज्यादा नहीं है जब कि यहां की सरकार ऐसी शक्ति ले रही है कि जितना चाहे टैक्स लगा सकेगी, तो मेरा खयाल यह है कि यह जो संशोधन पेश किया गया है उस से उनका जो एतराज है वह हट जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, अब स्पष्ट हो गया।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पास करने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—जब माननीय नारायणदत्त जी बोल रहे हैं तो बीच में यह प्रस्ताव नहीं आ सकता। आप बैठ जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान ट्रैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के पेज ८९ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उनकी यह सिफारिश है। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं।

"As for the rate of six annas per gallon as sales tax on petrol, we would in the context of our observations regard it as a ceiling to be exceeded by no State, rather than as a uniform rate which all states should attempt to adopt."

तो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन, या मथाई कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भी उन्होंने यह सारे राज्यों की सिफारिश की है कि छः आना सीलिंग होनी चाहिए। छः आने से ज्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार जो है वह अनलिमिटेड रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि माननीय रामलखन जी की भी मंशा यही है। लेकिन हमारी सरकार तो छः आने या एक रुपया या दो रुपया कोई लिमिट ही नहीं रखना चाहती। श्रीमन्, आप देखेंगे बम्बई में छः आना है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में उसका एक तिहाई है, दो आना है, क्योंकि हमारे यहां पेट्रोल का कन्जम्पशन उतना नहीं होता है जितना कि बम्बई, मद्रास, बंगाल इत्यादि में होता है। इसीलिए टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी यह कहा है कि सारे हिन्दुस्तान में.....

श्री अधिष्ठाता—समय का ध्यान आप रखें। समय रहते आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, मैं अब समाप्त ही कर रहा हूं। इसीलिए टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सिफारिश की है कि सारे हिन्दुस्तान में एक सा टैक्स लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, प्रत्येक राज्य की हालत अलग-अलग है। सीलिंग रखी जा सकती है, लेकिन यूनिफार्मिटी नहीं लायी जा सकती। माननीय रामलखन जी का संशोधन यूनिफार्मिटी लाता है, इसीलिए मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि अगर सरकार थोड़ा बहुत अधिकार लेना भी चाहती है तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन जो है, वह ज्यादा व्यावहारिक है और उसको वह मान लें।

(श्री रामायण राय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—अब व्याख्यान के लिए समय नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—प्वाइन्ट आफ आर्डर मेरा सुन लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं खड़ा हूं और बोल रहा हूं। आप पहले चार बार खड़े हो चुके हैं। अगर आप यह कह देते कि वैधानिक आपत्ति उठा रहे हैं तो मैं आप को इजाजत दे देता। अब चूंकि मैं खड़ा हो गया हूं और समय सदन के पास नहीं है इस लिए अब आप कृपा करके बैठें।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—इसके बाद आप कहियेगा। इस समय आप कृपा करके बैठें। यह वर्तमान संशोधन जो है उस पर मैं अब मत लेना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि विधेयक के वर्तमान खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "two annas" के स्थान पर शब्द "six annas" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री अधिष्ठाता—(श्री रामायणराय के खड़े होने पर) विभाजन के समय सदन में खड़े होकर बोलने का नियम नहीं है। वैसे आप कहिये आपको क्या कहना है?

श्री रामायणराय—धारा ३ (१) में प्रयोग किया गया है "not exceeding two annas per gallon" इसमें annas के स्थान पर नये सिक्के का प्रयोग होना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता—तीन वर्ष तक दोनों सिक्के प्रचलित रहेंगे। अगर सरकार समझती है कि आपका सुझाव ठीक है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है।

सवा बज गया है अगर सदन की राय हो तो मैं आगे बढ़ूं और दो चार मिनट का समय ले लूं तो किसी को आपत्ति तो न होगी?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी, अतः प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—१२४

विपक्ष में—६१)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

यू० पी० एक्ट १, १९३९। कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट, १९३९ को संशोधित करने का

विधेयक।

यू० पी० एक्ट १, १९३९। यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट, १९३९ को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १ के उप-खंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'ऐक्ट' के स्थान पर शब्द '(संशोधन) अधिनियम' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा डाक्टर सीताराम का नाम पुकारने पर)

श्री अवधेश प्रताप सिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या बगैर किसी प्रस्ताव के आप सवा बजे के बाद मंत्री महोदय को फिर बुला सकते हैं और इस प्रकार प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा कर बैठ जाइये। आप शान्त रहिये। मैंने सदन से सहमति ले ली थी और सदन को सूचित कर दिया था कि चूंकि विभाजन का प्रश्न आ गया है, इसलिए ४, ५ मिनट तक कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इसलिये मैं सदन की सहमति से आगे बढ़ रहा हूं।

डाक्टर सीताराम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री परमेश्वरीदीन वर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, इस सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ट ४३५—४३८ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७

स्वशासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३९–४४१ पर)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक यहां सदन की मेंज पर रखे गये हैं उनकी प्रतियां हमको नहीं मिल पायीं ।

श्री अधिष्ठाता—ये प्रतियां पहले ही डिस्ट्रिब्यूट हो चुकी हैं । यदि किसी को न मिली हों तो वह आफिस से ले सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये सदन की अनुमति मांगना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (Rules of Procedure of the U. P. Legislative Assembly) के स्थान पर प्रस्तावित (Rules of Procedure and Conduct of business of the U. P. Legislative Assembly) प्रतिस्थापित कर दिये जायं ।

माननीय अधिष्ठाता जी, यदि आपकी आज्ञा हो, तो इस अनुमति को मैं किस आधार पर मांगना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में जो जरूरी बातें सदन को जाननी हैं, उतनी मैं संक्षेप में बयान कर दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो ?

श्री अधिष्ठाता—अवश्य ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो अबतक हमारे यहां प्रक्रिया नियमावली चलती आ रही है, वह कई वर्ष पुरानी हो चुकी और उसके सम्बन्ध में, अधिष्ठाता जी, बहुत दिनों से सदस्यगण यह अनुभव कर रहे थे कि उसमें कुछ संशोधन होने चाहिये, उनमें आवश्यक परिवर्द्धन की आवश्यकता है । इसलिये उसके मुताबिक सन् ५४ में कई सदस्यों ने कुछ संशोधन दिये और अध्यक्ष महोदय ने उनके सम्बन्ध में यह सलाह दी कि अलग-अलग फुटकर संशोधन लाने के बदले समूचे रूल्स पर, नियमावली पर, विचार करके पूरा संशोधन कर दिया जाय तो वह अधिक वांछनीय और हितकर होगा । तदनुसार इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी गयी । उस कमेटी ने अपना काम किया और सन् ५६ में उसने एक मसविदा संशोधित रूल्स की प्रोसीजर का बना दिया । वह सदन के सामने जब आया, तब अक्तूबर, १९५६ में एक प्रवर समिति बनायी गयी, उसे तय करके उसे अन्तिम रूप से स्वीकार करने के लिये, इस प्रवर समिति में भी वही सदस्य थे जो कि पहली वाली समिति में थे । केवल एक अन्तर हुआ था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे और वह इस समिति के सदस्य थे, लेकिन जब १९५६ में समिति बनी तो वह मुख्य मंत्री हो चुके थे, इसलिये उनके स्थान पर एक और सदस्य समिति के सदस्य बना दिये गये, बाकी वही समिति रही । उसने भी अपना काम खत्म कर लिया था । लेकिन पिछली विधान सभा में वह बाकायदा स्वीकार नहीं हो सकी थी, इसलिये वह कायदे के मुताबिक लैप्स हो चुकी थी । इसलिये मैंने अपनी ओर से अनुमति मांगी है कि उन्होंने जो ३–४ वर्ष के अकथ परिश्रम के बाद संशोधन सुझाये थे, उनमें ही साधारण संशोधन करके मैंने एक मसौदा रखा है सदन के सामने, जिसकी प्रतियां सम्मानित सदस्यों को बांटी जा चुकी हैं । इस समिति में सभी पार्टियों के सदस्य थे और सबकी सम्मति से संशोधन हुये थे । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है कि सर्व सम्मति से सदन इसको स्वीकार करेगा और इसकी अनुमति मुझे दे दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अति आवश्यक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। अगर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न करें तो पहले सदन की प्रवर समिति ने जो अनेक स्थानों पर, लखनऊ, नैनीताल में बैठकर छः महीने से ज्यादा व्यतीत किये थे, वह सब निरर्थक हो जायगा। मुझे विश्वास है कि उनका प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो जायगा और फिर एक दूसरी प्रवर समिति के सामने यह जायगा और नये नियम इन्हीं के आधार पर बनेंगे और हम सभी उनसे लाभान्वित होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं माननीय सदस्यों से यह जानने की कोशिश करूंगा कि किसी पक्ष को, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

माननीय पालीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वह सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों का नामीनेशन कर दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात के लिये आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि यह नाम मैंने तैयार कर लिये हैं और सब बातें तय हो गई हैं, लेकिन पांच नामों के बारे में पूछना बाकी है। इसलिये सदन मुझे इजाजत दे दे कि मैं पांच बजे तक नाम दे दूं।

श्री अधिष्ठाता—जी हां।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का जो यह कार्यक्रम है उसमें कुछ तब्दीली कर दी जाय कि क्योंकि अभी सब पार्टी के नेता मिले थे और यह तय हुआ था कि इस एजेंडे के बजाय जो आज के लिये निर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार होगा कि अब इसके बाद श्रम कल्याण निधि बिल है उसको लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन यह करूंगा कि जो यह एजेंडा का विषय बदला जा रहा है, तो सरकार की ओर से इस सदन को यह स्पष्ट करना चाहिये कि ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ गयी है जिसके वश में हो कर सरकार को एजेंडे का कार्यक्रम बदलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पूर्व भी मैंने निवेदन किया था कि इस सदन में मंत्रियों और सदस्यों के भत्ते और उनकी तनख्वाह से संबंधित एक विधेयक है उस पर निर्णय होना चाहिए। यदि इसमें कुछ विलम्ब होता है तो बहुत कुछ जन धन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैंने आज से दो दिन पूर्व जब सदन में इस बात का निवेदन किया तो मुझसे यह बताया गया था कि बाद में इस पर विचार कर लिया जायगा। आज भी जब सरकार की ओर से प्रस्ताव आ रहा है तो इस पर कोई सफाई नहीं दी जा रही है कि वह क्यों इस ढंग से एजेंडा में परिवर्तन करना चाहती है। यदि सरकार की ओर से कोई समुचित सफाई पेश हो तो मैं समझता हूं कि सदन को उस पर विचार करना चाहिये और यों ही जब मन में आये तब कार्यक्रम परिवर्तन कर लिया जाय, यह सरकार के लिये अशोभनीय बात होगी। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि आखिर एजेंडे के विषय में सरकार इस ढंग से परिवर्तन क्यों कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, जो दो बिल एजेंडे पर इस मोशन के नीचे रखे हुये हैं उनमें से एक तो मिनिस्टर्स की सैलरीज की बाबत है और एक मिनिस्टर्स की डिसक्वालिफिकेशन रिमूव करने के मुताल्लिक है। इस दोनों की निस्बत गवर्नमेन्ट ने यह समझा कि हाउस शायद कल और परसों में बैठने वाला है और उसके बाद नहीं बैठने वाला है तो दो दिनों में ये बिल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिये यह मुनासिब समझा कि इन दो दिनों में जो पास हो सके वह ले लिया जाय और इनको अगले सेशन के लिये छोड़ दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय विष्ट जी ने पेश किया है वह मंजूर कर लिया जाय, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि यकायक बदलना अच्छा नहीं होता। एजेंडे में छप गया है, लोग तैयार होकर आते हैं और ठीक टाइम पर बदल दिया जाय तो इससे बड़ा नुक्सान होता है। इसलिये मैं आइन्दा के लिये प्रार्थना करता हूं कि तभी बदला जाय जब जरूरी हो, अचानक नहीं बदलना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं आपके जरिये सदन के मेम्बरान को बतलाना चाहूंगा कि इसी इंटरवेल में जो लंच के लिये हुआ था इस बात पर कुछ गफ्तुगू मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान से इन्फार्मली हुई और उसमें यह बात तय हुई कि बजाय इन दो बिलों के इसको ले लिया जाय जो लेबर के मुताल्लिक है। तो इसमें कोई अचानक की बात नहीं है। वह तो सब पार्टियों के इल्म में लाकर के यह कार्यवाही की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन)† विधेयक, १९५७

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसाकि वह विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे बहुत अधिक कहना नहीं है। हमने एक ऐक्ट बनाया था जिसको प्रेसीडेन्ट की एसेंट १५-१२-५६ को मिली। श्रम-कल्याण निधि के सम्बन्ध में वह विधेयक था किन्तु उसमें कुछ कमियां रह गई थीं। जब यह सामने आयीं तब इस विधेयक को सदन के सामने लाने की जरूरत हुई। इस विधेयक में जो दो कमियां हैं, वह दोनों बहुत टेक्नीकल नेचर की हैं।

एक कमी तो यह है कि हमने अपने पहले ऐक्ट में यह साफ-साफ नहीं लिखा था कि जो मजदूरों को देय रकम है वह कितने दिनों के अन्दर इस निधि में ली जा सकती है। किसी मजदूर का कुछ पैसा बिना भुगतान के पड़ा है तो वह कितने दिनों के अन्दर भुगतान ले सकता है। यह उसमें नहीं था। अब यह रखा गया है कि तीन साल के अन्दर अगर उसका भुगतान न किया गया हो या न मांगा गया हो तो वह पैसा इस निधि में आ जायगा। तीन वर्ष के अन्दर कानून के मुताबिक हर आदमी को अपना पैसा लेने का हक है। हमने उसके इस हक में कोई छेड़खानी नहीं की, वह तीन वर्ष तक अपना पैसा ले सकता है। लेकिन तीन वर्ष के बाद भी बाकी रहेगा तो उसको इस निधि में लिया जा सकता है।

दूसरी कमी यह थी कि उस ऐक्ट के अधीन जो लेबर वेलफेयर बोर्ड बनेगा वह बाडी कार्पोरेट होगा, यह लिखा जाना उसमें छूट गया। तो एक उपबन्ध अब इसमें लगा दिया गया है कि वह लेबर वेलफेयर बोर्ड बाडी कार्पोरेट होगा और अपने हक और अपने पैसे के सिलसिले में मुकदमा चला सकता है। यह टेक्नीकल नेचर के अमेंडमेंट्स हैं जिनसे इस ऐक्ट की रीति-नीति के सम्बन्ध में कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

---

† १८ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्रीमन्, मेरे संशोधन का लक्ष्य केवल यह है कि हमारे मंत्री महोदय भी इतनी बड़ी गलती इस विधेयक में कर सकते हैं कि वे इसमें यह लिखना भूल गये कि यह बाडी कार्पोरेट होगा और साथ ही साथ मुकदमा दायर कर सकता है । यह एक बहुत मामूली सी बात है जो कि इस तरह के हर कानून में होती है । शायद माननीय मंत्री महोदय को आश्चर्य हो कि मुझे इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये क्यों इतना उत्साह है ? मेरा केवल यह उद्देश्य है कि इस तरह का विधेयक या अधिनियम जो हमारे इस प्रदेश में पहले नहीं बना था और इसमें थोड़े ही दिनों के अनुभव के बाद उनको ऐसी गलती मालूम हुई जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस पूरे सदन पर एक तरह की बौछार सी आती है और विशेषकर मंत्री महोदय पर । अगर यह प्रवर समिति में न गया तो सम्भव है कि इसमें कोई और खामी रह जाय और फिर भविष्य में उसके लिये हमारे सामने संशोधन विधेयक लाया जायगा और कहा जायगा कि इस ऐक्ट में संशोधन किया जाय, क्योंकि हमारे कानूनी सलाहकार इस बात को भूल गये थे । मैं यह नहीं समझता कि जिस समय यह विधेयक पास हुआ उस समय क्या वह सो रहे थे । माननीय मंत्री जी के लिये तो मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक वह हमारे साथ थे । उनका इसमें कोई कसूर नहीं था और इस सम्बन्ध में उनको केवल यही अधिकार था कि वह एक संशोधन लाकर इस भूल को सुधार सकते थे, जो कि हर सदस्य का अधिकार था । यह जरूर ऐसी बात है कि जिस पर हमको विचार करना चाहिये कि जब कभी कोई विधेयक हमारे सामने आवे, उसमें ऐसी भद्दी गलतियां आइन्दा न रहने पायें ।

मान्यवर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आपका लेबर वेलफेयर बोर्ड जो बना है वह एक अच्छी चीज है । इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं और जो अनक्लेम्ड या अनपेड चेजेज हैं अगर उनको एकयुमुलेट करके कोई फंड बनता है तो उसमें कोई गलती नहीं है । लेकिन देखना यह है कि जो कुछ भी फंड जमा हों, माननीय मंत्री जी खासतौर पर इस बात पर ध्यान दें कि उसका भविष्य में सदुपयोग हो और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उसके बारे में किसी तरह की निन्दा न आने पाये ।

मैं इससे अधिक इस पर नहीं कहना चाहता हूं । वह यह न समझें कि मैं यह किसी दुस्साहस से कह रहा हूं । मैं एक मौका प्रवर समिति को देना चाहता था कि संभवतः अगर कोई चीज अभी भी छूटी हो, क्योंकि नया कानून है और हमारे मंत्री जी को इतना ज्यादा अनुभव भी नहीं है, तो वह सब पूरी की जा सकें । यह ठीक है कि गलतियां सब से होती हैं और भूलें भी हुआ करती हैं, लेकिन जब एक मौका हमारे सामने आया है तो उसका पूरा लाभ क्यों न उठाया जाय । इसी कारण से मैंने इस प्रकार के संशोधन को रखा था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने किया है उसके संबंध में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं । कोई भी विषय प्रवर समिति के पास जाय, इससे हमें कोई झगड़ा भी नहीं है और दुराग्रह भी नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि जो भाव अभी उन्होंने प्रकट किये अपने भाषण में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये जो दलीलें उन्होंने दीं कि अगर प्रवर समिति में न गया तो शायद अनहित होगा किसी प्रकार का, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । उनका जो डर है वह किसी माने में सही नहीं है । पिछली बार जब यह बिल आया उस वक्त भी हम सब लोग मौजूद थे और जो कुछ भी हम ने किया उस में जो कमी रह गयी है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है और शेष लोगों की भी । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि सदस्यों को भी अधिकार था कि अमेंडमेंट लाकर इस भूल को न होने दें, लेकिन अगर हम नहीं लाये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह हमारी भूल थी, सदन की भूल थी और सरकार की भूल थी, जो आज पूरी की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस से यह जो प्रश्न है इस में कोई मौलिक अन्तर नहीं है और अगर यह प्रवर समिति को दिया गया तो इस बिल के जो मूल सिद्धान्त हैं उन पर प्रवर समिति विचार नहीं कर सकती है। उन पर तो इस सदन का निश्चय हो चुका है। तो नियम यह है कि जब संशोधन के समय में कोई विधेयक आता है तो जितने संशोधन होते हैं उन पर ही वहां पर विचार किया जा सकता है, मूल विधेयक पर नहीं। अस्तु, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जिनका जिक्र अभी हमारे मित्र ने किया है उन पर प्रवर समिति विचार नहीं कर सकती है। जो चीज बाडी में इन्कार्पोरेट होनी चाहिये थी वह तो हो चुकी और उस पर इस सदन की मंजूरी की सील लग चुकी। अब प्रवर समिति उनमें कोई नई बात नहीं ला सकती है।

जहां तक उस पैसे का सम्बन्ध है जो देय है तो वह तो तीन वर्ष के बाद ही लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां सिविल ला में उसकी मेच्योरिटी तीन साल तक रहती है। तो यह ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें सेलेक्ट कमेटी कोई अन्तर कर सकती है। इसलिये मैं अवधेश प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि वैसे तो इस संशोधन विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका समर्थन किया जा सके और विरोध भी किया जा सके किन्तु इसमें राष्ट्रपति महोदय ने जो दो पुराने सुझाव दिये थे उन सुझावों को स्वीकार किया गया है और वे सुझाव निर्दोष हैं। इस दृष्टिकोण से यह संशोधन विधेयक समर्थन के योग्य है। लेकिन दो एक असंगतियों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसमें पहली असंगति तो यह है कि इसके उद्देश्य और कारणों को देखने से हमको यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति का यह सुझाव आया है कि भुगतान न की गयी मजदूरी एकत्रित धनराशि के रूप में परिणित हो जायेगी तथा बोर्ड के नाम जमा कर दी जायेगी। यह उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है, लेकिन जो संशोधन है उससे राष्ट्रपति के सुझाव का मन्शा पूरा नहीं होता है कि यह धनराशि बोर्ड के नाम जमा की जायेगी, बल्कि यह धनराशि फंड के नाम क्रेडिट की जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ३ की उपधारा (४) के भाग (बी) की दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि—

'All unpaid. accumulations shall be credited to the Fund."

यह मौलिक असंगति है। राष्ट्रपति कहते हैं कि बोर्ड के नाम जमा हो और सरकार का विधेयक कहता है कि फंड के नाम जमा हो और सरकार उसको एडमिनिस्टर करेगी न कि बोर्ड करेगा। पहले जब यहां पर विधेयक पर बहस हुई थी तो उस समय भी यह प्रश्न यहां पर सामने आया था कि फंड का एडमिनिस्टर करना राज्य सरकार के मातहत हो या बोर्ड के मातहत हो। फंड के मातहत सारा अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। धारा ५ व ६ में यह दिया गया है :

"The management, administration, control and custody of the Fund and the application and payment therefrom shall be in the manner prescribed:—

The accounts of the Fund shall be audited annually by a person appointed in this behalf by the State Government and a copy of the report shall be sent to the State Government and the Board.

The audit report shall be considered by the authority managing the Fund and the action taken thereon shall be intimated to the State Government."

मैं यह धारायें इसलिये पढ़ रहा हूं ताकि यह साफ हो जाय कि फंड का मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। यह विधेयक में नहीं है। इसमें यह है कि बोर्ड एडमिनिस्टर करेगा लेकिन मैनेजमेंट नहीं करेगा। सरकार इसलिये राष्ट्रपति महोदय की जो सिफारिश थी उसको अभी तक नहीं माना जा रहा है। अगर यह दावा है कि वह राष्ट्रपति के सुझाव को स्वीकार कर रही है तो यह गलत है, क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बोर्ड के नाम वह रुपया जमा नहीं कर रहे हैं। फंड के नाम कर रहे हैं जिसका मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में नहीं है। इसलिये इस असंगति को कैसे दूर किया जाय इसको माननीय मंत्री जी सोचें। मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो यह असंगति दूर हो सकती है। अगर वह मानते हैं तो कोई संशोधन ले आयें। इस विधेयक को पढकर मैं इस नतीजे पर पहुचता हूं कि यह असंगति अवश्य हुई है। दूसरी बात यह है कि बोर्ड का एक कारपोरेट बाडी होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसे अवश्य स्वीकार होना चाहिये। मैं यह भी चाहूंगा कि लेबर वेलफेयर फंड के बारे में जो नियम बनें वे सदन की मेज पर अवश्य मंत्री जी लावें, ताकि हमें भी उनके बारे में सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिले। जिस प्रकार से यह विधेयक हमारे सामने मूल रूप में प्रस्तुत किया गया है हमें इस बात का अवसर नहीं मिला है कि हम नियमावली पर नियमतः विचार कर सकें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अधिष्ठाता महोदय, श्रम कल्याण विधेयक आये हुये आज करीब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हमने असेम्बली लाइब्रेरी में श्रम कल्याण विधेयक को ढूढ़ने की काफी कोशिश की, मगर कोई भी हिन्दी में अधिनियम नहीं मिला। बात मजदूरों की, आप का ऐक्ट अंग्रेजी में। अजीब बात है। मैं यह नहीं समझ सका कि बिल में क्या है और ऐक्ट में क्या है? अभी मालूम हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने कुछ इशारा किया था। उस पर आप एक बिल ले आये। इससे मजदूरों का क्या लाभ होगा? हो सकता है कि मेरे समझने में कुछ कमी रह गयी हो। कोई ऐसी चीज आप लाते जिस से यह मालूम होता कि वह मजदूरों के हित में है। मैं देख रहा हूं कि मिलों में तीन तीन और चार चार वर्ष तक मजदूरों की मजदूरी पड़ी हुई है मगर कोई सुनवाई नहीं है। चिट्ठियां जाती हैं। मैं आप से अर्ज करूं कि जवाहरलाल जी के पास तक चिट्ठियां गईं, मंत्रियों के पास गई। उन्होंने जवाब दिया कि संराधन अधिकारी के पास जाओ। वहां यह हुआ कि अधिकारी जी गोला मिल में गये हैं और मालूम हुआ कि वह मिल वालों के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। तो चाहें आप तीन वर्ष की या १० वर्ष की मियाद बढा दें जब संराधन अधिकारी मिल मालिकों के गेस्ट बन कर वहां ठहरते हैं तो कैसे वे मजदूरों के साथ न्याय कर सकते हैं? कैसे वे मजदूरों के हकों की रक्षा कर सकते हैं? उनकी मजदूरों के लिये क्या हमदर्दी हो सकती है?

एक बात यह भी है कि वे, बड़े फ़ार्मों में, जैसे जमना बाग फ़ार्म और पियारा फ़ार्म आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जहां वह नौकरी तो करते हैं माहवारी तनख्वाह पर लेकिन उन्हें कागजों पर दिखाया जाता है डेली वेजेज पर। डेली वेजेज में लिखने का यह अर्थ होता है कि जब चाहे निकाल दिया। उन के लिये आप इस बिल में क्या लाये हैं? क्या आपने कुछ ऐसा भी अधिकार दिया है कि वह सिविल कोर्ट में जाकर अपना सबूत देकर और सही बात पेश कर के डिग्री करा सकें? आपने तो इस में हमें संराधन अधिकारी के दरवाजे पर लटका दिया है। हमारी तूती की आवाज नक्कारखाने में कौन सुनता है? मजदूरों की बात आप पर असर नहीं करती। लेकिन अगर राष्ट्रपति की ओर से आप के पास कोई ऐसा संदेश आ जाय जिस से वह सिविल कोर्ट में जाकर अपनी मजदूरी क्लेम कर सके तो आप उस के सामने सिर झुका देंगे। बड़े की बात तो आप सिर पर रखते हैं, लेकिन छोटों की बात आप नहीं सुनते। नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। आप ऐसा विधेयक लाते जिसमें मजदूरों के लिये कोई सरल तरीका बताया गया होता। जिसमें उनको ज्यादा दौड़ना न पड़ता शायद आपने यह इसलिये बनाया है कि कोर्ट फीस लगेगी। एक केश में संराधन अधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते तीन वर्ष हो गये। केवल टिकटों का ही खर्चा लगाया जाय तो दो सौ रुपयों के करीब हो जायेगा। यदि आप मुझे मौका दें तो श्रीमन् मैं एक केस बता सकता हूं कि किस प्रकार से संराधन अधिकारी के पास दौड़ना पड़ा है। अब इन तीन, चार वर्ष के बाद कौन दावा करेगा और कौन कुर्की करायेगा? लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जाते हैं और उनके गेस्ट

हाउसेज में ठहरते हैं फिर वे क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे ? जो जिसका खाता है उसकी नुमायंदगी करता है। इसलिये आप कोई ऐसा विधेयक लाते जिससे सीधे सीधे मजदूर का कल्याण होता, जिससे सीधे तरीके से वह पूंजीपतियों से अपना पैसा वसूल कर सकता।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५७ को जो एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। २० दिसम्बर, १९५६ को यह विधेयक गजट में प्रकाशित हुआ, लेकिन आज तक सरकार ने इस ऐक्ट को छपवा कर जनता तक पहुंचाने का कष्ट तक नहीं किया है। श्रीमन, हमारे एक माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की थी कि पुस्तकालय में बहुत खोजबीन करने पर भी हिन्दी में उसकी एक भी प्रति नहीं मिल सकी। इसका एक मात्र कारण यह है कि इस विधेयक को स्वीकार हुए अभी चन्द दिन ही हुये हैं फिर एक भी संशोधन इस विधेयक में लाया जा रहा है यद्यपि इस विधेयक में साफ लिखा हुआ है कि —

> उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (११) में शब्द "परन्तु उसे न दी गयी हो, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
>
> "किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात, देय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर उसे न दी गयी हो और न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो तथा इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं।"

मेरा कहना यह है कि यह अधिनियम जो अब लाया जा रहा है और यह २० दिसम्बर, १९५६ से लागू हो गया। उसके तीन वर्ष पूर्व को भी मजदूरों को वह मजदूरियां जिनमें मजदूरी के अतिरिक्त, प्रोवीडेन्ट फंड, डिवीडेन्ट, ग्रेचुएटी आदि सभी सम्मिलित हैं, अगर ये सभी किसी को नहीं मिली हैं। उनके बारे में झगड़ा चला है जैसी कि पूंजीपतियों की आजकल प्रवृत्ति हो गयी है। आज जब कि औद्योगिक झगड़े चल रहे हैं, जो श्रमिक न्यायालय के सामने अपने अधिकारों की मांग करता है, पूंजीपति उसको परेशान करने के लिये उसका पैसा रोक रखता है तथा मजदूर को तिल-तिल कर भूखों मरने के लिये विवश करता है। मैं फिरोजाबाद नगर का रहने वाला हूं, जो चूड़ियों के उद्योग का नगर है। वहां की मैं मिसाल प्रस्तुत कर सकता हूं कि वहां के जिन मजदूरों ने औद्योगिक न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग की और लेबर ट्रिब्यूनल में जब कुछ लोगों ने अपील की और उनको रिइन्स्टेट करने का आर्डर भी हुआ लेकिन आज करीब तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है पर वहां के औद्योगिक संस्थाओं के मालिकों ने आज तक उनको अपने स्थानों पर रिइन्स्टेट नहीं किया है। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी आज तक उनके वेजेज और दूसरे फंड्स वगैरह नहीं दिये गये हैं। आज फ़िरोजाबाद के कारखानेदारों द्वारा मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको सरकार के कानून की कोई चिन्ता नहीं है। जब कोई मजदूर सरकार के कानून के द्वारा अपने अधिकारों की मांग करता है तो मालिकों द्वारा उसको भूख से तड़पा-तड़पा कर मारने की व्यवस्था की जाती है। यही नहीं कि कारखानेदारों द्वारा मजदूरों को रिइन्स्टेट नहीं किया जाता है, बल्कि उल्टा वहां यह भी होता है कि फिरोजाबाद के मजदूर जिनको औद्योगिक न्यायालय द्वारा फैसला मिला है कि उन को रिइंस्टेट किया जाय उनके लिये फ़िरोजाबाद के कारखानेदारों की तरफ से एक सरक्यूलर निकाल दिया गया है कि उनको किसी भी कारखाने में न रखा जाय। अगर माननीय श्रम मंत्री जी फ़िरोजाबाद के नगर के मुताल्लिक कोई जांच कमेटी बैठाने को तैयार हों तो मैं उसके सामने उन मजदूरों के केसेज रखने को तैयार हूं जिनको तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने

[श्री जगन्नाथ लहरी]

के बाद भी आज तक रिइन्स्टेट नहीं किया गया है। इस विधेयक के द्वारा उन मजदूरों की निधि जिनकी तीन वर्ष पूर्व की मजदूरी प्रावीडेन्ट फंड तथा टी० ए० वगैरह नहीं मिला है उस सभी को इस विधेयक द्वारा श्रम-कल्याण निधि में शामिल कर लिया जायगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज इस तरह की सभी बातों को सोच लेना चाहिये और इस प्रकार से जल्दबाजी में कोई इस तरह का संशोधन न करें। अच्छा यही होगा कि इसको प्रवर समिति में भेज कर इस पर अच्छी तरह से निर्णय कर लिया जाय, सोच समझ लिया जाय और उसके बाद ही सदन में कोई निर्णय लिया जाय। औद्योगिक न्यायालय द्वारा न्याय पाने के बाद भी मजदूरों को उनकी मजदूरी से वंचित करना और जिनको अभी तक न दिया गया हो उनको भी श्रम कल्याण निधि में भेज देना उचित नहीं होगा। यदि वे जीवित हों तो उनको, यदि वे मर गये हों तो उनके परिवार वालों को उनकी मजदूरी और प्रोवीडेन्ट फंड तथा टी० ए० वगैरह मिलने का अधिकार रहना चाहिये। अगर इसी तरह से इस संशोधन बिल को स्वीकार कर लिया जायगा तो तीन वर्ष का समय बीत जाने के बाद फिर मजदूर अपने उस क्लेम को नहीं पा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाय।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां लेबर वेलफेयर फंड बिल को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप अगर इस बिल को देखें तो मालूम होगा कि यह बिल सिर्फ इसलिये बनाया गया है कि मजदूरों की भलाई और उनकी खिदमत का काम कैसे किया जाय। यह काम लेबर डिपार्टमेन्ट का एक हिस्सा अभी तक करता भी है और इस काम के जरिये मजदूरों की सख्त जिन्दगी में, बेमजा जिन्दगी में एक मजा पैदा हो जाता है, एक थोड़ी सी तफरी आ जाती है, यह एक ऐसा काम करता है जैसे सेहरा में थोड़ा सा पानी मिल जाय।

अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखें तो सन् ३७ के अन्दर गवर्नमेन्ट ने इस काम को १० हजार रुपये से शुरू किया था यानी ४ सेंटर खोले गये थे और उसके लिये १० हजार रुपया मंजूर किया था। आज सरकार ने इसके लिये ४२ सेंटर खोल रखे हैं और उसके लिये १० लाख रुपया खर्च कर रही है। यह एक बहुत ही जरूरी काम है। इस बिल के बारे में जिन दोस्तों ने एतराज किया है, जिन मोहतरिम दोस्तों ने एतराज किया है उनको थोड़ी गलतफहमी हुई है। इस बिल का मंशा हरगिज यह नहीं है कि लोगों की तनख्वाह को इस बिल से तब्दील कर दिया जाय, बल्कि मंशा यह है कि वह पैसा जो किसी वजह से उन मजबूरियों और कारणों से जिन पर कि मजदूर हावी नहीं है, फैक्टरी में रह जाय वह मालिकान के पास रह जाता है और जो आज तक मालिकान की पूंजी बनता चला आया है, उनके नफे का हिस्सा बनता चला आया है उस रुपये को इस फंड में तब्दील कर दिया जाय ताकि मजदूरों का कमाया हुआ पैसा उन्हीं के हित में लगाया जा सके। यह जो खयाल है कि उनके वेतन के जो एरियर्स हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया जायगा तो मैं कहूंगा कि यह उनकी गलतफहमी है। न इसमें इस एरियर को किसी संस्थाओं में जाने की बात है। यह बोर्ड किसी तरह से भी उनको महरूम नहीं करता और न इस तरह से उन की रकम को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें तो सिर्फ वह रुपया आयेगा जैसे कोई मजदूर छूट्टी गया, रास्ते में मर गया, उसका कोई वारिस नहीं है, उस का ५ दिन का वेतन है या ३ साल का प्राविडेंट फंड है या और कोई उस का पैसा है और वह ३ साल तक क्लेम नहीं होता और वह ऐसी हालत में जो वहां का मैनेजमेंट है उसके नाम पैसा स्टेंड करता है, ऐसा रुपया इधर ट्रांसफर हो जायगा और वह मजदूरों के हित में लगेगा। जहां तक रुपये के न दिये जाने की बात कही जा रही है वह तो मिलेगा ही नहीं और अगर ऐसा है तो फिर उसको क्लेम कोई क्या करेगा?

दूसरे में यह भी अर्ज करूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने जो विधेयक आप के सामने प्रस्तुत किया है उसके अन्दर एक सेक्शन है जिसके जरिये से सरकार अपने हाथ में यह अख्तियार ले रही है कि अगर इस तरह के पैसे के बारे में कन्सीलियेशन मैजिस्ट्रेट के यहां से अदा करने का हुक्म हो जायगा तो यह रुपया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त देने पर लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर के मजदूर को दिया जायगा। इस तरह से जहां तक मजदूरों के पैसे की वसूली की बात है, अगर आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसके मुताल्लिक जो आप की दिक्कत है और गलतफहमी है वह दूर हो जायगी। इसके अलावा मैं एक चीज यह भी अर्ज करूंगा कि जहां तक मैनेजमेंट और मजदूरों का ताल्लुक है वह तो दो हितों की लड़ाई है और उसके बारे में अगर आज सरकार या कोई यह दावा करता है कि हमने इतना मुकम्मिल कानून बना दिया है कि अब विक्टेमाइजेशन बन्द हो गया है तो यह दावा गलत होगा और न हीं मैं समझता हूं इस तरह का दावा माननीय श्रम मंत्री जी ने किया है।

जहां तक वेतन के रुकने की बात है, मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि वह कैसे रुक सकता है जबकि आज कन्सीलियेशन की और ऐडजूडिकेशन की मशीनरी मौजूद है, ला कोर्टस मौजूद हैं, अगर रुकता है तो फौरन वसूल हो सकता है। यूनियनें मौजूद हैं, हर तरह से वसूली की कोशिश हो सकती है। जहां तक इस बोर्ड का ताल्लुक है उसको वही रुपया मिलेगा जिस रुपये का वारिस कोई मजदूर या उसका कोई वारिस न रहा हो और जब वह मैनेजमेंट के रिकार्ड में दर्ज रहेगा और ३ साल तक उसको कोई क्लेम न करेगा तो वह रुपया इस बोर्ड के नियंत्रण में आ जायगा और मजदूरों की ऐसी कमाई, जिसका अब तक सरमायेदार या मिल मालिक लाभ उठाते थे, आइन्दा मजदूरों के हित में लगेगी। दूसरे इससे एक लाभ यह होगा कि मुकदमों में जो रेड टेपिज्म की वजह से बहुत समय लगता है और कानूनी दिक्कतों की वजह से फैसलों में देर होती है उसमें समय बचेगा और मामलात जल्द फैसल होंगे, जो पब्लिक वर्कर्स होंगे वह उनकी तमाम बातों को और दिक्कतों को जानते होंगे और वह तमाम चीजों को अच्छी तरह से बता सकेंगे, इस तरह से यह सब चीजें बहुत अच्छी तरह से चल सकेंगी।

इसके अलावा वेलफेयर कमेटीज भी बनाई गई हैं जिनका नानआफिशियल चेयरमैन होता है और जिसमें मजदूरों के और सरकार के नुमाइन्दे होते हैं। वह इस बात को देखेगी कि सरकार की ओर से जो रुपया एलाट किया जाता है वह ठीक से व्यय हो रहा है या नहीं। आप किसी भी वेलफेयर सेंटर को देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां हर तरह की फेसिलिटीज मजदूरों को मिलती हैं, रोज पढ़ने को अखबार मिलते हैं, वहां अकसर गाने बजाने के भी प्रोग्राम होते हैं, घरेलू धंधों में भी दिलचस्पी ली जाती है और वहां पर जो गरीब मजदूर होते हैं उनकी हर प्रकार की मदद की जाती है, ट्रेन्ड नर्सेज, जो महिलायें गरीब होती हैं उनकी सेवा करती हैं। उसमें मदद करती हैं। इसके अलावा वहां पर कुछ शिक्षित औरतें रहती हैं। जो कि उनकी औरतों और बच्चों को पढ़ाती-लिखाती हैं। लेबर वेलफेयर सेंटरों पर डिस्पेंसरियां रहती हैं जिससे मजदूरों को हर किस्म की तिब्बी इमदाद दी जाती हैं। यह डिस्पेंसरीज आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब तरह की वहां पर रखी गयी हैं। खेल-कूद यह तमाम चीजें होती हैं। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो यह बहुत जरूरी बिल है, उनके हित में है, और बहुत इन्नोसेंट है। जो अमेंडमेंट इसमें रखे गये हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मजदूरों को नुकसान पहुंचे या उस पर एतराज किया जा सके। बल्कि मजदूर दल का पैसा जिसका आज तक गलत इस्तेमाल हो रहा था और वह लोग इससे फायदा उठा रहे थे जिनको नहीं होना चाहिये था उससे अब सिर्फ मजदूरों का फायदा होगा और उनके कल्याण के कामों में इसका पूरा-पूरा इस्तेमाल हो सकेगा।

मैं यह आशा करता हूं कि जिन मेरे मोहतरिम् दोस्तों को इस मामले में गलतफहमी हुई होगी वे इसको दूर करने में और इस बिल को पास करने में मदद देंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में एक छोटा सा सुझाव यह देना चाहता हूं। वह यह

[श्री वंशीधर शुक्ल]

है कि इसमें आबादी, नहर, सड़क, जंगल तथा खेती के मजदूरों को भी शामिल कर लिया जाय और किस प्रकार से उनका कल्याण हो सकता है, इसमें यदि आप मेरा सुझाव मानें तो मैं एक छोटा सा सुझाव आप को दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

शहरों में चूंकि मजदूर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनकी संस्थायें हैं इस वजह से उनकी समस्याओं का हल सामने आ जाता है, सरकार ने बहुत से कानून उस सम्बन्ध में बनाये हैं और देखभाल हो रही है । यह विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में शहरों से अधिक मजदूर हैं । उनके सम्मुख न तो कोई अपनी आर्गेनाइज्ड संस्थायें हैं जो कि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने लायी होतीं । उनकी हालत बहुत गिरी हुई है। जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है उसके बाद से तो गांव के मजदूरों की बेकारी और अधिक बढ़ गयी है । साल में उनको बहुत कम दिन मजदूरी मिलती है । उसके बाद वह बेकार रहते हैं । जब उनके पास खाने को पैसा नहीं रहता तब वह गांव के महाजनों से कर्ज लेते हैं । उनके कर्ज से वह दबे रहते हैं, जिसकी वजह से वह महाजन अपने यहां जबरदस्ती मजदूरी कराते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं । इनकी समस्यायें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं । उनके लिये न तो आज मकानों की व्यवस्था है, न उनके लिये कोई शिक्षा की व्यवस्था है, न उनके स्वास्थ्य के लिये व्यवस्था है । उन गांव के मजदूरों के लिये जोकि हमारे सूबे में काफी तादाद में हैं उनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये, उनके लिये व्यवस्था करना बहुत जरूरी है ।

अभी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने जो गांवों में मजदूर रहते हैं उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में तो निर्धारण किया है, लेकिन वह मजदूरी सब जगह उसके अनुसार नहीं मिलती। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उनको बसर होना बहुत ही मुश्किल है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ इनफारमेशन । माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—जी हां ।

श्री मुरलीधर कुरील—मैं सदन के सामने यह रख रहा था कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसा विधेयक भवन के सामने लाया जाय जिससे इन गिरे हुये मजदूरों के, जो गांवों में बसते हैं जिनकी हिन्दुस्तान में तथा हमारे सूबे में बहुत अधिक आबादी है, सम्बन्ध में भी कुछ कल्याण का कार्य हो सके, वह भी अपनी स्थिति को सुधार सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, इस बिल का नाम श्रम कल्याण निधि है । अगर इसको अकल्याण निधि कहा जाय तो ठीक होगा क्योंकि जहां तक औद्योगिक मजदूरों का सवाल है एक तो उनकी मजदूरी कम है और वह अपनी मजदूरी किन्हीं खास कारणों से न वसूल कर पायेंगे तो वह पैसा सरकार उनकी भलाई के लिये लेने के लिये सोच रही है । मैं तो, अधिष्ठाता महोदय, सदन में यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मजदूरों की भलाई ही करनी है तो फिर उनकी गाढ़ी कमाई को काट कर नहीं की जा सकती है जहां तक मजदूरों के वेतन का सवाल है, एक तो उनकी मजदूरी कम है । दूसरे यह कि उनकी कमजोरियों से ही वह अपनी मजदूरी न वसूल कर पायेंगे, ऐसा मैं समझता हूं । मैं समझता हूं अगर कोई मजदूर मर जाय या उनके

वारिस इतने कमजोर हों जो उचित रास्ता न जानने की वजह से उनकी मजदूरी बकाया रह जाय तो केवल तीन वर्ष के बाद वह सरकारी निधि में जमा कर दिया जायगा। मालूम होता है सरकार ठेकेदार बन रही है ।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है, वह तो आज भी ५ आना रोज से लेकर ८ आना रोज पर अपनी जीविका चला रहे हैं एक तरह से अगर हिसाब लगाया जाय तो ८ आना रोज मजदूरी पर ४४ वर्ष तक उनके जीवन का मूल्य केवल ८ हजार रु० बैठता है। तो ८ हजार रु० या ५ आना पैसा जो हमारी मेहरबान सरकार टेस्ट वर्क चालू करती है मुसीबत में सहायता करने के लिये ५ आना पैसा दे रही है और वही उनकी रोज की मजदूरी मान ली जाय तो फिर लगभग ४४ वर्ष काम करने के पश्चात् उनके जीवन की कीमत ५ हजार रु० हुई। मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में जितने आने मजदूरी हुई तो उनके जीवन की पूरी कीमत उतने ही हजार रु० होती है। अगर कोई ५ आना पाता है तो ५ हजार हुई और अगर ८ आना पाता है तो ८ हजार रु० हुई ।

जहां तक औद्योगिक मजदूरों का सवाल है ५५ रु० के हिसाब से ३२ हजार रु० उनके जीवन का मूल्य हुआ। तो जब मजदूरों की यह आर्थिक स्थिति है और उन मजदूरों की गाढ़ी कमाई को सरकार अपने खजाने में लेकर मजदूरों की भलाई की बात सोचती है, तो ऐसा जान पड़ता है कि अभी तक तो पूंजीपति ही लूटते थे लेकिन अब सरकार भी लूटती है। तो मैं तो केवल इतना कह कर बैठना चाहता हूं कि अगर सरकार मजदूरों की भलाई करना चाहती है तो उसके लिये कोई नियम निर्धारित करे या दूसरे फंड से मजदूरों की भलाई अच्छी प्रकार से हो सकती है। यह नहीं कि उनके ही पैसे से उनकी भलाई करे। कोई भी मजदूर ऐसा नहीं होगा जो जानबूझ कर अपना पैसा इस निधि में जमा करने के लिये छोड़ दे। वह तो उसकी अयोग्यता से ही ऐसा होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि जो उसका पैसा हो, सरकार उसके हक में छोड़ दे ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रम-कल्याण निधि संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिये हम उठते हैं, ऐसा सोचना हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोगों के लिये एक रोग हो गया है या इसी प्रकार का कोई भी विधेयक, जिस पर मुखालिफ पार्टी की तरफ से कोई आवाज उठायी जाती है तो वह लोग फौरन यह कह बैठते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है या वह खामख्वाह विरोध करने के लिये विरोध करते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में मैं दो, एक बातें कहकर जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने का आया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक, जो छोटा सा है, इसको पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि हम इतने लोग बैठ करके तमाम पैसा जनता का खर्च करके एक विधेयक पास करते हैं और उसमें जब वह यहां से पास होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिये जाता है तो वहां से वह कुछ रिमार्क लेकर रिटर्न हो जाता है। यह स्वत: एक ऐसी चीज है जिससे हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोगों को, हमारी सरकार को, सोचने के लिये बाध्य होना चाहिये कि हम दुबारा जो कदम उठावें वह इतना सोच-समझकर उठावें कि वह राष्ट्रपति द्वारा या कहीं से भी वापस न हो, उसमें उसके लिये कोई गुंजाइश न रह जाय ।

आज हमारे विरोधी पक्षों की तरफ से इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आने के मानी मेरे विचार से यह है कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वह दुबारा न हों। इसके अलावा भी दो एक चीजें हमें श्रम मंत्री जी से निवेदन करनी हैं। यह जो विधेयक आप बनाते हैं उसका स्कोप कुछ थोड़ा सा एकांगी हो जाता है। आज जो मजदूर संगठित होकर इस सरकार से या मिल मालिक से लोहा लेता है आप उसी को मजदूर समझते हैं, क्योंकि वह आपको हड़तालों के द्वारा मजबूर कर सकता है । इसलिये आप चाहते हैं कि आपका जो विधेयक होना चाहिये, वह उनके लिये होना चाहिये। हमारा कहना यह है कि उनका स्थान तो जरूर होना चाहिये, लेकिन इसके अलावा भी मैं माननीय श्रम मंत्री जी से और इस सदन से निवेदन करना चाहता

[श्री मदन पांडेय]

हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद मजदूरों की इस दायरे से बाहर है। वह असंगठित हैं। जो आज मौजूदा आधुनिक साधन हैं वह उनको उपलब्ध होने चाहिये। बड़े-बड़े फार्म हैं, खास कर पूर्वी जिलों में जहां से मैं आता हूं, वहां पर ऐसे ऐसे फार्म हैं जिनमें पांच-पांच सौ, सात-सात सौ मजदूर काम करते हैं। उनके लिये आपके मौजूदा कानूनों की पहुंच नहीं हो पाती है। मैं जिस स्थान पर रहता हूं वहां बीड़ी के मजदूर बहुत ज्यादा हैं। वह एक-एक कारखाने में सैकड़ों की तादाद में काम करते हैं।

आपके श्रम हितकारी कानूनों को लागू करने के लिये इंस्पेक्टर जाते हैं। एक दफा जब वहां एक इंस्पेक्टर सिसवां बाजार में गये और बीड़ी के कारखानों में पहुंचे तो उन्होंने मिल मालिकों को यह बताया कि जहां २० मजदूर से ज्यादा काम करते होंगे वहां कारखाना ऐक्ट लागू हो जायगा और आपके ऊपर भी श्रम कानून की पाबन्दी शुरू हो जायगी। उसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर कि पचास-पचास या सौ-सौ मजदूर एक साथ बैठकर काम करते थे वहां उनको कारखाने के मालिकों ने कई जगह विभाजित कर दिया और उनको ऐसे ऐसे स्थानों पर बैठने के लिये विवश किया जिनको आदमियों के बैठने लायक जगह नहीं कही जा सकती।

दूसरी चीज उन्होंने यह की कि उनसे कहा कि साहब, आठ दिनमें एक दिन की छुट्टी उनकी होनी चाहिये। कारखाने के मालिकों से उन्होंने कहा कि अगर आठ दिन में एक दिन आप उनको छुट्टी नहीं देंगे तो आप पर लेबर ऐक्ट के मुताबिक कार्यवाही की जायगी। मजदूरों से उन्होंने यह कहा कि आपको आठ दिन में एक दिन काम नहीं करना चाहिये, लेकिन बीड़ी का मजदूर या इस तरह के मजदूर जो रोजाना की मजदूरी पर काम करते हैं या जिनको करीब-करीब ठेके के तौर पर मजदूरी मिलती है, उनके सामने यह समस्या है कि आपने उनका एक दिन का काम तो छुड़ा दिया, लेकिन उस दिन की मजदूरी आप कारखाने के मालिक से उसको दिलाते नहीं हैं। इस व्यवस्था के कारण हजारों मजदूरों को आज उपवास की नौबत केवल बीड़ी के उद्योग में आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा विधेयक के साथ-साथ अगर मुमकिन हो, अगर सदन का विधान अड़चन न डालता हो, तो लेबर कानून में आमूल परिवर्तन कीजिये और इस प्रकार परिवर्तन कीजिये जो मजदूरों की सही मांग को पूरा करता हो। जो आपसे लड़कर ले सकता है, उसको आपने दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है; जो नहीं लड़ सकता है उसकी कोई व्यवस्था आप करें तो वह एक ऐसी चीज होगी जिसके लिये आपकी तारीफ की जा सकती है। मैं इन शब्दों के साथ यह प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्तुत विधेयक है इस पर जिन भाइयों ने अपने भाषण दिये उनको बड़े ध्यान से मैंने सुना। बहुत से भाइयों ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो अपने स्थान पर बड़े महत्व की हैं और यदि उनका मंशा केवल इतना हो कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय तब तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, उसके स्कीम के अन्दर वे सब बातें कहां आती हैं इसमें मुझको बड़ा सन्देह है। सन्देह ही नहीं, मेरा यह निश्चित मत है कि उनमें ज्यादातर, अधिकांश बातें वे कही गई जिनका इस विधेयक से, जो आज हमारे सामने है, कोई सम्बन्ध नहीं है। यही कारण है कि यह जो एक प्रस्ताव आया है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बहुत छोटा सा यह विधेयक है। यह सही है कि कोई इस तरह का विधेयक हमारे सामने आवे जिसको प्रवर समिति को भेजना आवश्यक हो तो उसे अवश्य भेजा जाना चाहिये, लेकिन यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें कोई बड़ी भारी सिद्धान्त की बात नहीं है। एक छोटी सी बात तय करनी है। उसकी आड़ में प्रदेश का जो हमारा कानून श्रमिकों से सम्बन्धित है, उस पर यदि यहां बहस करना शुरू कर दें तब तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लिये ६, ८ या १० दिन भी दिये जायं तो बहुत कम होंगे।

कहा गया है कि केवल उन्हीं की बात आप सुनते हैं और सुनी जाती है जो कि मजदूर संगठित हैं। सही बात है। डेमोक्रेसी का जमाना है। कोई भी तत्व हो जो संगठित हो जाता है, उसकी आवाज देश में उठ सकती है। इस बार कुछ ऐसा अनुभव हुआ और उसका जिक्र हमारे भाषण में भी हुआ करता है कि कुछ लोग अलग-अलग स्वतंत्र रूप से इस सदन में आये मगर वे भी बाद में संगठित हुये। उनको अपनी आवाज को मजबूत कराने के लिये अपने को एक जगह आर्गेनाइज करना पड़ा।

एक भाई ने कहा कि जो देहात के मजदूर हैं, बड़े-बड़े फार्म्स पर काम करते हैं, उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। सही है, सरकार ने भी उन के लिये मिनीमम वेजेज निर्धारित कर दी हैं। उस पर कहां तक अमल होता है यह दूसरी बात है, लेकिन साथ साथ वस्तुस्थिति को भी देखना है। जहां हम बड़े-बड़े फार्म्स से मजदूरों की बात करते हैं और एक बार उनके सुधार की तरफ कदम उठाते हैं तो दूसरी तरफ छोटे-छोटे काश्तकार भी गांव के अन्दर हैं, उनको तो मजदूर फिर कम कीमत पर नहीं मिलेगा। उसका असर ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस और उसकी इकोनामी पर पड़ेगा। ये बातें सोचने की हैं, यों यह विचार अच्छा है। मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है।

एक भाई ने तो यह भी कह दिया कि आप सोच-समझ कर कदम उठाया करें और ऐसे मौके न दिया करें कि सेन्टर से कोई ऐसी बात आये जिससे आपको जल्दी तब्दीली करनी पड़े। इसका क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पाया। हम कितना ही अच्छा कानून बनावें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट प्राविन्शियल गवर्नमेंट से ऊपर है, उसके सामने सारे देश की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके कानून आते हैं। यह हो सकता है कि किसी स्टेट का कानून हमसे अच्छा बना हो और यूनीफार्मेटी लाने के लिये सेंटर यह कहे कि चूंकि दूसरे स्थान पर अच्छा कानून बना हुआ है, आप भी थोड़ी सी तरमीम कर दें, तो मान्यवर, इसमें मुझे कोई अपमान की बात नहीं मालूम होती और न कोई जल्दबाजी की बात मालूम होती है।

एक छोटी सी इसके अन्दर रिकमेंडेशन है। एक भाई ने कहा कि बजाय इसके कि आप इस बात की कोशिश करते कि जिन हमारे मजदूर भाइयों को मजदूरी नहीं मिली उनको मजदूरी दिलाते, लेकिन आपने तो एक नया तरीका निकाल दिया कि मजदूर को मजदूरी न मिले और वह भूखा मर जाय, लेकिन वह पैसा आपके फंड में आ जाय। मुझे लगता है कि उनकी समझ में कोई गलतफहमी है। इसके अन्दर यह तरमीम की जा रही है कि तीन साल तक जो मजदूर किसी वजह से अपनी मजदूरी को प्राप्त नहीं कर सका और उसको प्राप्त करने के लिये जो उसका अधिकार है उसको रख नहीं सका तब वह जो अनपेड वेजेज हैं वे एकुमुलेशन हो कर इस फंड में आ जाय। मैं समझता हूं कि जो भाई कानून को जानते हैं वह यह अच्छी तरह से समझते होंगे कि अगर तीन साल तक कोई मजदूर अपनी मजदूरी हासिल नहीं कर पाता है या उस का क्लेम ही वहां नहीं है तब वह टाइम-बार्ड हो जाता है। जब यह बात कानूनन साफ हो गयी, तो क्या यह उचित होगा कि उसको पूंजीपति पर छोड़ दें या यह बेहतर होगा कि उस पैसे को इकट्ठा करके उस फंड में ले आयें, जो फंड इसी काम के लिये है कि हमारे मजदूर भाइयों के फायदे के जो विभिन्न काम होते हैं उनमें वह इस्तेमाल किये जाय? तो मैं समझता हूं कि चाहे वह समाजवादी भाई हों या कम्युनिस्ट हों, या वह लोग हों जो अपने को एक प्रगतिशील दल वाले कहते हैं, उन तीनों को यह मानना पड़ेगा कि यह बेहतर है कि अनक्लेम्ड वेजेज तीन साल के बाद हमारे फंड में आ जायं जिस से हमारे मजदूरों का फायदा हो। वह पूंजीपतियों के पास छोड़ दी जायें, यह उचित नहीं है। जब पहले तीन साल की टाइम-लिमिट नहीं थी तो यह कहा जा सकता था कि अभी तो ६ महीने हुये हैं, हमको मिलनी चाहिये। इसलिये कानूनन जब टाइम-बार्ड हो जाय तो हमारे इस फंड में आ जायं यह तरमीम लाई गई है।

दूसरी बात यह है कि जो हमारा लेबर वेलफेयर बोर्ड है, यह कार्पोरेट बाडी हो। पहले भी नीयत यही थी, पर किसी वजह से शायद लीगल टेक्नीलोजी में या लीगल वोकैबुलरी में हम

[श्री नवलकिशोर]

उसको स्पष्ट नहीं कर पाये, लिहाजा अब यह तरमीम लानी पड़ी ताकि आपको अपनी तमाम बातों के लिये, जैसे पैसा वसूल करने के लिये कोर्ट में जाकर दावा करने के लिये बोर्ड को अधिकार हो सके । मैं समझता हूं कि ये छोटे से संशोधन हैं, उनमें हम तमाम कानून का जिक्र करें तो उचित नहीं है और मैं इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि हर छोटी बात के लिये हर एक बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की बात करना कोई स्वस्थ परम्परा इस सदन के लिये नहीं होगी ।

मैं आशा करता हूं कि जो प्रवर समिति का एक प्रस्ताव आया है उस को मेरे भाई वापस ले लेंगे और इसको पास करेंगे ।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे सामने जो श्रम का बिल है, यह बड़ा मुख्तसिर सा बिल है । मैं आपके जरिये सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जैसा कि अभी यह कहा गया है कि यह बहुत छोटा सा बिल है, मामूली सी बात है, लेकिन इसकी तह में भी एक राज है । हमारे खयाल में मजदूर हैं और सरमायेदार भी हैं । बड़ी अच्छी बात है कि हम मजदूर की तरफ अपनी तवज्जह मबजूल करें, मजदूर की जो तकलीफें हैं, जो समस्यायें हैं, उनकी तरफ भी गौर करें । हिन्दुस्तान तो एक ऐसा देश है जिसमें ज्यादातर मजदूर और काश्तकार ही हैं । इन दोनों की दशा बहुत खराब है, मगर मैं आप से यह जनाना चाहता हूं कि हमारा जो एक बड़ा राज्य है, हमारा दावा है कि इस राज्य में कोई नंगा, भूखा नहीं रह सकता, न कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पहनने को कपड़ा न मिले, कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको खाने को न मिले, इस सम्बन्ध में भी हमारे देश की औसत आमदनी क्या है ? १० आने, १२ आने, ८ आने, ७ आने भी नहीं है, इतना हमारा देश गरीब है ।

मजदूरों में एक तो वह मजदूर है जो लेबर करके अपनी जिन्दगी गुजारता है, चाहे वह मजदूर देहात में काम करता हो या फैक्ट्री में मजदूर हो, या दूसरी जगह का मजदूर हो। हमारे सामने कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जो आर्गेनाइज्ड हैं, जिन की असोसियेशन्स हैं या जिनका निज़ाम बना हुआ है, बाडी है । एक दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई पुरसां हाल नहीं है । दोनों की समस्यायें हैं ।

अभी इस बिल के बारे में कहा गया है कि यह एक बहुत छोटा सा बिल है । मैं इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा और न कोई लम्बी चौड़ी तकरीर ही करूंगा । आपने बतलाया कि तीन साल की जो मजदूरी मजदूरों की बाकी रह गयी है या वह नहीं पा सके हैं या उनको मजदूरी लिये बिना तीन साल निकल चुके हैं तो ऐसी मजदूरी का क्या किया जाय । मैं देखता हूं कि बड़े लोग जिनको अच्छी सैलरीज मिलती हैं, बड़े-बड़े सरमायेदार हैं जिनके पास लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया होता है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस होती हैं, बड़े-बड़े फन्ड्स होते हैं, मनकूला और गैर-मनकूला दोनों किस्म की जायदादें होती हैं और वह सब बाप-दादों की होती हैं, वह तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन मजदूरों की मजदूरी का सवाल आता है तो वह उसको नहीं मिलती है ।

यह तो ठीक है कि आपने उसकी मजदूरी ले ली, लेकिन उसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि वह उसको न मिले, उसके बच्चों को न मिले, इसकी क्या वजह है ? कुछ मजदूर ऐसे हैं जो फैक्टरियों में काम करते हैं । उनमें से किसी का हाथ कट गया या कोई मर गया, उनकी मजदूरी ड्यू रह गयी और वह उसको न मिली, लेकिन वेलफेयर के जरिये मिल से ले ली गई । लेकिन किस को दी गई ? उनको नहीं दी जाती जो उसके वारिस हैं, जो उसके बच्चे हैं । यह तो अच्छा किया कि सरमायेदारों से आपने वेलफेयर के जरिये से वसूल कर ली, लेकिन उसके बाद वह किसको मिलनी चाहिये ? उसको, जो मुस्तहक हो, जिसके बच्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हों, भाई हों, बीबी हो या बुजुर्ग हों। अगर किसी मजदूर की मजदूरी रह गई है और वेलफेयर के जरिये आप उसको ले लें तो बजाय इसके कि आप उसको किसी वेलफेयर के काम में लगावें, यह जरूरी है कि जो मुस्तहक हो उसको वह मिलनी चाहिये। एक तो वह वैसे ही अपनी जिन्दगी से परेशान रहता है, वर्ना कौन अपनी चीज को छोड़ता है? कोई एक दिन की मजदूरी नहीं छोड़ता है, लेकिन तीन साल तक मजदूरी न लें तो उसके सामने कोई न कोई दिक्कत जरूर रही होगी। इसके लिये कह दिया जाता है कि बड़ा आसान सवाल है। उसके लिये कोर्ट्स खुली हुई हैं, वह मुकदमा करे। लेकिन यह उसके लिये मुमकिन नहीं हो पाता और उसकी मजदूरी पड़ी रहती है। इसलिये उस मजदूरी को वेलफेयर के जरिये लेकर किसी वेलफेयर के काम में न लगाया जाय, बल्कि जो उसका मुस्तहक है उसको मिलनी चाहिये।

ऐसी बहुत सी बातें इसमें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना ज्यादा मुनासिब होगा ताकि वहां इस पर अच्छी तरह से गौरव खौज हो और जो डिजर्विंग हो उसको मजदूरी का पैसा मिल सके। उसको मिल जाय या उसके घर वालों को मिल जाय। इसलिये इसको इतना नैरो न किया जाय जिस से मजदूर को नुकसान पहुंचे। जो डिजर्विंग फेमिलीज हैं वह वंचित रह जाती हैं। वह बेचारे कड़ी धूप में काम करते हैं, मुसीबत उठाते हैं और उन्हीं के बच्चों को रोटी नहीं मिल पाती है और उनकी गाढी कमाई को दूसरे काम में लगाना चाहते हैं। इसके ऊपर कहते हैं कि हमने मजदूरों के हित में अमेंडमेंट रखा है? ऐसा नहीं है। इसलिये जरूरत है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि जो मुनासिब हो वह किया जा सके।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार इस समय सदन में रखे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मूल ऐक्ट में जो संशोधन करने के लिये बिल उपस्थित किया गया है, वह इस सदन की सतर्कता का एक ज्वलंत उदाहरण है।

मैं बार-बार इस सदन में विनय करता रहा हूं कि कानूनी मामलों में किसी को भी हठधर्मी से काम नहीं लेना चाहिये, कठोरपन्थी विचारों को कानून के सम्बन्ध में कोई तरजीह नहीं दी जानी चाहिये। जब हम कानून बनाते हैं तो हजारों और लाखों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है और जो सही माने में सच्चा हक रखते हैं वे बाज वक्त हमारे सतर्क न रहने के करण अपने हकूक से महरूम हो जाया करते हैं। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जब हम कोई भी कानून यहां बना रहे हों तो पार्टीबाजी में न जाकर यह देखें कि जिस जनहित को सुरक्षित रखने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है, उसके हित की रक्षा कहां तक उस कानून से होने जा रही है।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह कितने दुख की बात है कि सन् १९५६ में इस आदरणीय सदन ने एक कानून पास किया और सन् १९५७ के शुरू में ही उसको अमेंड करने के लिये एक संशोधन लाया गया। हमने जितना रुपया जनता के खजाने से अपनी तनख्वाहों और भत्तों के रूप में लिया है, क्या हम समझते हैं कि कानून की निगाह में हम ने इस देश की जनता की सच्ची और सही सेवा उस रुपये के एवज में की है? मैं समझता हूं कि नहीं की है। अगर सतर्कता बरती गयी होती तो आज हमें फिर से इतना अधिक समय इस संशोधन को पास करने में नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठाता।

मैं आगे यह कह देना चाहता हूं कि यह तर्क जो इस सदन में दिया गया है, वह तो कतई मेरी समझ में नहीं आया कि जो रुपया किसी का किसी मिल मालिक के यहां या जहाँ कहीं भी उस ने काम किया है, उस मालिक के यहां छूट गया है, तीन साल की अवधि तक, अगर उसने रुपया नहीं ले लिया तो उस के बाद उस रुपये पर उस की ओनरशिप खत्म कर के वह सरकार के खजाने में उस क्लास की बहबूदी के लिये,—उस व्यक्ति के लिये नहीं इस्तेमाल किया जायेगा। अगर लाआफ लिमिटेशन से आप परिश्रम की कमाई को उस गरीब के फायदे के लिये नहीं रहने देते हैं जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर और फ़ोर्स आफ़ सरकमस्टान्सेज़ का विक्टिम बन कर इस हालत में नहीं है कि उसको ले सके, तो यह बहुत ज्यादती होगी । पांच रुपये अगर उस के होते हैं तो क्या २० रोज तक वह श्रमिक मिल मालिक के दरवाजे पर बैठा रहेगा ? एक ज्यादती उस के साथ हुई और हमारी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था उसके लिये नहीं की गयी। यह सरकार का काम है कि वह देखे कि मजदूरी उस मजदूर को मिल जाय । यह हमारे सतर्क न रहने का एक ज्वलंत उदाहरण है कि जो कमाई करता है वह उसका उपभोग वह नहीं कर पाता । उसको वंचित किया जाता है । एक तो सजा उसको यह दी गयी और दूसरी ओर उसके खजाने से हम माननीय सदस्यों ने अपनी तनख्वाहें लीं, अपने भत्ते लिये, हमारे मंत्री महोदयों ने तनख्वाहें लीं, भत्ते लिये । हम उसकी इतनी भी रक्षा नहीं कर पाते कि उसकी पसीने की कमाई उसको दिला सकें । वे गरीब लोग, जिन के बच्चे घर पर भूख से मर रहे हैं, जिनको पालने के लिये वे मजदूरी करते हैं, करने जाते हैं और हम इस सदन में बैठे हुए लोग जो जनहित के नारे लगा कर इस सदन में दाखिल हुये हैं वे अपने को इतना नाकाबिल साबित करें कि उसकी मजदूरी तक उसको न दिला सकें, यह कितने दुख की बात है । अगर इस अन्याय को हम दूर नहीं कर सकते तो फिर यह कानून बनाने वाली असेम्बली किस लिये है ? क्यों इतनी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं । इस अन्याय को , इस ज्यादती को, दूर करने का हम को प्रयास करना है , लेकिन आप आज इस अन्याय को पनपाने जा रहे हैं । अगर किसी मजदूर की मजदूरी मालिक से लेकर खजाने में जमा हो तो मैं इसमें कोई तर्क नहीं मानता. न इस में कोई बुद्धिरश्मियों का प्रकाश ही देखता हूं और न्याय भी नहीं मानता हूं । मैं समझता हूं कि यह मजदूरों के प्रति बड़ा अन्याय होगा, अगर उसकी कमाई को हम लेकर सरकारी कोष, में जमा कर दें और कहें कि अस्पताल में लगायेंगे। मैं इसमें कोई तर्क नहीं समझ पाया जब आप कहते हैं कि तीन साल के बाद वह धन सरकारी कोष में जमा हो जायेगा । होना तो चाहिये यह था कि अगर किसी मिलमालिक ने किसी से काम लिया है और उसका पैसा नहीं दिया है तो सरकार को उस मजदूरी को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहिये जिसने मजदूरी की है ।

मैं कहता हूं कि दानी वह व्यक्ति नहीं कहा जा सकता जो गैरों की जेब से लेकर दान करता है, अगर अपनी जेब से खर्च कर के दान करें, तब तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जिन का काम करते करते खून सूखा, जिन्होंने भूखे रह रह कर मजदूरी की है, उस मजदूरी को उनको दिलाने में अगर हम नाकाबिल रहे और हमने उनकी मजबूरियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया तो क्या लाभ ? उन मजबूरियों को दूर करने के लिए आप ने अपना हाथ रक्खा, लेकिन आप का हाथ न्याय का हाथ होना चाहिए और उस मजदूर के पास उसकी मजदूरी वापस जानी चाहिए । मैं इसको इन्साफ, इसको मानवता और इसको न्याय समझता हूं और निवेदन करता हूं कि इन्साफ की बुद्धि से हमें काम करना चाहिए । क्या इसी प्रकार का इन्साफ होना चाहिए ? अगर हम इसी प्रकार से इन्साफ करते हैं तो फिर इस सदन में जिस इन्साफ को दिखाने के लिए ही हम लोग यहां आये हैं, तो अधिष्ठाता महोदय, हम कहां तक आज उस इन्साफ कर रहे हैं और कहां तक जस्टिफाइड हैं ।

यह अमेंडमेंट आना चाहिए और उन गरीब लोगों को उन की मजदूरी वापस दिलानी चाहिए, इस चीज के लिएइस विधेयक में प्राविजन होना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उनके हित के लिए क्या किया ? अगर माननीय सदस्य इतने नाकाबिल हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी भी नहीं दिला सकते तो मैं समझता हूं कि हम इन कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं और इन्साफ को तिलांजलि दे देते हैं । हमें अमीर और गरीब के बीच का भेद खत्म करना है, 'लिव ऐन्ड लेट लिव ' के सिद्धान्त की व्यवस्था करनी है । हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता का विश्वास लेकर इस सदन में अपनी राय को बेंचने के लिए नहीं आये हैं ।

श्री दीननारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या मैं आप के द्वारा जान सकता हूं कि माननीय सदस्य भाषण देने की दृष्टि से भाषण दे रहे हैं या इस बिल पर बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---माननीय सदस्य की समझ में एक बात भी नहीं आयी, इसका मुझे बड़ा दुःख है।

श्री अधिष्ठाता---वह श्रम सम्बन्धी बातें ही सदन के सामने कह रहे हैं, कोई अनुचित बात नहीं कह रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---आशा करता हूं कि दूसरे चुनाव के बाद हमारे भाई की समझ में यह बातें आ जानी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य जिम्मेदार लोग हैं। यह जनता के सच्चे और सही प्रतिनिधि हैं। इनको जनता का मत मिला है और उनको पूरे-पूरे अधिकार हैं। क्या हम अपनी रायों का इस तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं ? हरगिज नहीं। जो बात हमारी लाइफ को बदल सकती हो, जो इन्साफ का गला घोंट सकती हो, उसे खत्म कर सकती हो, वह हमें नहीं करनी चाहिए--

"Falsehood can never prosper long,
Triumph is soon past,
But truth however opposed is strong,
And will fall ever last."

"सत्यमेव जयते नानृतम्"

हम मान्यवर, इस सदन के सदस्य हैं। हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति के पुजारी हैं। क्या हम भारत की इसी संस्कृति के पुजारी हैं ? गरीबों की मजदूरी को उन तक पहुंचाने के लिए ही हम यहां दाखिल हुए हैं। क्या यहां कोई व्यक्ति कह सकता है कि यह सही नहीं है ? मैं समझता हूं और माननीय मन्त्री महोदय को सलाह देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस में एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि वह मजदूरी जो सरकार इकट्ठा करती है, जो कि तीन साल तक नहीं दी गयी, वह जिन लोगों की मजदूरी है, उनको वापस कर दी जायगी। ऐसा करने पर तो कुछ न्याय होगा है, वरना आप इस तरह का कानून पास करते हैं तो वह काला कानून होगा। उस कानून के पीछे अन्याय होगा। वह मुल्क का विकास नहीं कर सकता, वह मुल्क के गरीबों का ग्रास करने वाला होगा। इस तरह के कामों की हम इज्जत नहीं करते। मैं उसको काला कानून कहता हूं।

इस लिए अगर हम बुद्धि से काम लेना चाहते हैं, अगर मुल्क के अन्दर एक इन्साफ का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का कानून नहीं पास करना चाहिए। हम कानून को पास करने का प्रयत्न करके इस मुल्क के अन्दर विद्रोह के बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं और उसको बुराई की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का अमेन्डमेन्ट (टू लेट) नहीं है। प्रोसीजर की दुहाई न दी जाय। जस्टिस को अधिक सुविधा के साथ पाने के लिए ही प्रोसीजर बनाया गया है। इसलिए इस कानून में इतना और जोड़ दिया जाय कि मजदूरी लेकर उन्हीं मजदूरों को, जिनकी कि वह मजदूरी है, वापस कर दी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक पर जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने का है, उसका समर्थन करना चाहता हूं।

जैसा कि इसके उद्देश्य और कारण से विदित है, इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए यह सुझाव दिया कि इसमें दो, तीन तब्दीलियां होनी चाहिए। इस विधेयक में, जो आज सदन के समक्ष प्रस्तुत है, दो, तीन बातें कही गयी हैं। पहली बात तो यह कि यह जो श्रम कल्याण बोर्ड है वह एक इन्कारपोरेटेड बांडी हो। उसका एक कारपोरेशन

[श्री उग्रसेन]

बने। दूसरी बात, जो मजदूरों क अनपेड वेजेज होते हैं, अगर वह तीन साल तक लगातार एक्युमुलेट हो जायं, तो उनका एक फंड बना दिया जाय।

मैं आपके द्वारा सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं वेलफेयर स्कीम। सरकार की ओर से वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, और वेलफेयर फंड यह तमाम बातें की जा रही हैं, जैसा कि कहा जाता है, यह कल्याणकारी राज्य है, उसमें सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखायी पड़ता है। वेलफेयर फंड को बढ़ाने का प्रबन्ध इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। इस विधेयक में ३ साल की अवधि लगायी गयी है। मैं तो समझता हूं, इस श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा सारे हिन्दुस्तान में, और विशेषकर हमारे प्रदेश में, जो कुछ मजदूरों का भला हो रहा है उसको हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मजदूरों के क्षेत्र में, अपने जीवन का कुछ हिस्सा व्यतीत करने का और काम करने का अवसर मिला है। विरोधी पक्ष के किसी सदस्य को इससे इन्कार नहीं होगा कि वेलफेयर फंड को बढ़ाया जाय, किन्तु मैं यह जानता हूं कि बहुत से ऐसे सोर्स आफ इनकम हो सकते हैं कि जिनको लेकर एक बहुत अच्छा वेलफेयर फंड बनाया जा सकता है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें मजदूरों की मजदूरी को जमा किया जायगा, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कोरी कागजी योजना से जनता की भलाई और कल्याणकारी राज्य की स्थापना सम्भव नहीं है।

जहां तक कारपोरेट बाडी को बनाने का प्रश्न है, उसका विषय बहुत ही गोलमाल है और अस्पष्ट है। उसमें टर्म्स आफ रिफरेंस नहीं हैं। यह पता नहीं चलता है कि जो कारपोरेशन, श्रम कल्याण के लिए कारपोरेट बाडी होगी उसमें मजदूर यूनियन का कितना प्रतिनिधित्व होगा और उनको कितना अधिकार होगा। मैंने रूस के ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साहित्य का कुछ अध्ययन किया है। वहां पर ट्रेड यूनियन को जितना वेलफेयर की ऐक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, मैं समझता हूं, हमारी सरकार उतना अधिकार किसी प्रकार भी दे नहीं सकती है और न वह इस प्रकार का विचार कर सकती है कि उतना अधिकार दिया जाय। यहां तो मजदूरों के निश्चित अधिकार का सवाल है, जिसके लिए इसमें खामी रह गयी है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो यह कारपोरेशन बनाया जा रहा है उसके लिये अगर इस संशोधन विधेयक में जिसको बहुत सोच विचार के बाद और राष्ट्रपति महोदय के सुझाव पर हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने पेश करने का कष्ट किया है, कुछ और सुधार कर दिये जाते तो अच्छा होता। इसलिए, श्रीमन्, हम कहते हैं कि यदि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जाय तो वहां पर वे सुधार किये जा सकते हैं। माना कि बहुमत के बल पर हमारे सुझाव नहीं माने जायेंगे, लेकिन उन बातों पर अच्छी प्रकार से विवाद हो जायगा। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यह प्रवर समिति के लिए भेज दिया जाय, भले ही उसके लिए कम समय दिया जाय और उस में कम से कम सदस्य रखे जायं। हम भी यह चाहते हैं कि हमारे राजस्व का कम से कम पैसा खर्च किया जाय। मगर वहां पर ठंढे दिल से इसके ऊपर विचार करने का और सोचने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

कानपुर में मजदूरों के 'अहातों' की जिन्दगी, कोयले की खदानों की 'झोपड़ी' के मजदूरों की जिन्दगी, मद्रास के 'चेरी' के मजदूरों की जिन्दगी, बम्बई की 'चालों' के मजदूरों की जिन्दगी की बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैं तो समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा कि हम से ट्रेजरी बेंचेज के लोग कहा करते हैं कि यह प्रगतिशील सरकार है, बनिस्बत अन्य राज्यों के, अगर कोई ऐसी योजना बनाये कि जो आज बेकार मजदूर हैं, बिना किसी भेद भाव के श्रम कल्याण बोर्ड उनकी सहायता करेगा, और इस कारपोरेट बाडी से उनको सहायता मिलेगी, तो शायद हम भी इस श्रम कल्याण बाडी को बनाने में सरकार की सहायता कर सकते। इस प्रदेश में कारपोरेशन का कुछ अनुभव मुझे हुआ है, हेल्थ इन्श्योरेंस कारपोरेशन भी श्रम विभाग चलाता है और कुछ दूसरे कारपोरेशन भी बनते चले जा रहे हैं। मगर मुझे तो शक है कि इनके जरिये आम जनता और मजदूरों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। मैं सिद्धान्त का विरोध नहीं करता हूं।

मगर रेड-टेपिज्म के कारण ऐसी सीढ़ियां बन गयी हैं जिन पर मामला अटका रह जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मन्त्री जी इन कष्टों को दूर करने की कोशिश करें। हमारे माननीय सदस्य रावत जी ने इस विधेयक में काफी गर्मी ला दी है। हम चाहते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां इस पर विचार हो और यह अच्छा बनकर वहां से आये।

श्री गोविंद सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विधेयक के बारे में अधिक नहीं कहना है। मैं केवल दो एक बातों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो हम लोगों को ओरिजिनल ऐक्ट की कापी नहीं मिल सकी, इसलिए इस विषय को पूरा नहीं पढ़ पाये। बहरहाल, अभी यहीं पर जो कुछ पढ़ पाये उसे देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कई कमियां मालूम पड़ती हैं। क्या ही अच्छा हो कि यह प्रवर समिति में जाय ताकि इस पर हर दृष्टि से तरमीमात रखी जा सकें। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो जैसा कि जमींदारी अबालिशन बिलों में हुआ कि संशोधन पर संशोधन लाने पड़े, चूंकि विरोधी दल वालों की बातें नहीं मानी गयीं। मैंने देखा है कि इस विधेयक में कई बातें ऐसी हैं जिनका इसके अन्दर रहना श्रेयस्कर नहीं होगा।

खंड १२ में बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि ३०० रुपये से कम वेतन वाले लोगों को वह स्वयं नियुक्त कर सकता है और ३०० रुपये से ऊपर वाले कर्मचारी राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त होंगे। हर माननीय सदस्य को मालूम है कि जैसा दूषित वातावरण हमारे देश में इस समय मौजूद है। इसमें एक झगड़ा पैदा हो सकता है, जिस से काफी दिक्कतें लोगों को होंगी। मान लीजिये कि बोर्ड में एक पार्टी---कोई भी सही--पावर में है; उसे ३०० रुपये से कम वेतन वाले लोगों को रखने का अधिकार है, तो वह अपने ही आदमी उसमें भर्ती करेगी। फिर मान लीजिये कि कल को दूसरी पार्टी बोर्ड में पावर में आ जाती है; वह पहले आदमियों को अलग कर देगी और इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो जायगी। बोर्ड में नौकरी करने वालों को यह निश्चित नहीं रहेगा कि वे कितने दिन तक बोर्ड की नौकरी में रहेंगे और मालूम नहीं कब निकाल दिये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सम्बन्ध है, मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार के अधिकार उस को नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां भी वही बात आती है, जैसा कि देखा गया है कि हर पार्टी के पास कुछ लोग होते हैं जिनको वह खपाना चाहती है और वे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते। इसी को नैपोटिज्म और जौबरी कहते हैं। कानपुर मेडिकल कालेज की बात ले लीजिये। बहुत साल पहले से वहां के अप्वाइन्टमेंट्स होने थे। एक साल पहले से भी कोई ध्यान भरती में नहीं दिया गया। लेकिन अपने अपनों की ही आखिरी वक्त में एक दम भरती की गयी। ठीक है, 'जिसको पिया चाहे वही सुहागिन'। अपने आदमियों को वहां रखना चाहते थे और उनके रखे जाने पर सम्माननीय सदन के सामने कई एक प्रश्न पूछे गये। तीन सौ रुपये वेतन पाने वाले आदमियों को रखने के लिए क्यों नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन से रक्खे जाने की व्यवस्था की गयी? इस तरह की अनेक खामियां इसमें हैं। सदन तो उन को रखता नहीं है। उसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जिसको एक्जीक्युटिव पावर्स होती हैं। वह अपने आदमियों को बैक डोर से लाती है। जब सब यह मानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका विश्वास है तो फिर क्या वजह है कि उसको ये सब ताकतें नहीं दी जाती ?

दूसरी बात यह है कि एक्युमुलेशन की परिभाषा के बारे में माननीय चन्द्रसिंह रावत जी ने जो एतराज किया है, उससे मैं सहमत हूं। उनका यह संशोधन ठीक है, इसका इस से ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि वे एक सरकारी पार्टी के एक सदस्य हैं, जिसकी तरफ से यह बिल लाया गया है। उन्होंने अपनी पार्टी के व्हिप की परवाह न करते हुए डट कर फटकार

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

बतायी। मैं उनको दाद देता हूं और यह जो सरकार का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। एक्युमुलेशन के बारे में जो संशोधन किया गया है वह इस प्रकार है :—

"किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, देय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर उसे न तो दी गयी हो "और न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो"

अब श्रीमन्, यह "दावा" शब्द इसमें कहीं भी डिफाइन्ड नहीं है और किसी ऐक्ट में भले ही हो, लेकिन इस ऐक्ट में नहीं है। जब कभी कोई पूरा अधिनियम बनाया जाता है तो यह जरूरी होता है कि ऐसे शब्दों को डिफाइन किया जाय। क्या एक पिटीशन दायर करना "दावा" कहलायेगा, अथवा जिसके ज्युरिसडिक्शन में हो उस अदालत में बाकायदा कोर्टफीस लगाकर मुकदमा दायर करने को दावा कहते हैं ? यह चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह बिल प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय तो वहां अच्छी तरह से, ठंढे दिमाग से इस पर विचार हो जाय, ताकि सब लोग अपनी-अपनी राय दें। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि चाहे वह सरकारी पक्ष हो या विरोधी दल हो, सभी की यह मंशा है कि मजदूरों का कल्याण हो। जब दोनों की मंशा एक ही है तो फिर प्रेस्टिज का सवाल बीच में नहीं आना चाहिए। यह कोई राजनैतिक चीज नहीं है। इस बिल में तो जो भी खामियां हैं उनको ठीक करने में सब का सहयोग प्राप्त हो तो अच्छा है। इसमें जितना ज्यादा लोगों का दिमाग लगता उतना अच्छा ही होता। १०, १५ दिन कोई लम्बी अवधि तो है नहीं। मैं माननीय मन्त्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि प्रेसिडेंट की एसेंट हो चुकी २० दिसम्बर, सन् १९५६ को। ऐसा ख्याल किया जाता है कि २० दिसम्बर को उन्होंने अपनी यह तजवीज दी होगी कि दफा २ में अगर यह चीज हो जाती है, अगर यह अमेंडमेंट हो जाता है, तो यह ज्यादा बेहतरी की बात होगी। उसे ५ महीने के लिए रोका गया है। अगर आप एक संशोधन करने के लिए ५ महीने तक रुक सकते हैं, जिसे अब बहुत जरूरी कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि आज ही इसको पास हो जाना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दिखलायी देता है कि ५ महीने के बजाय ६ महीने या ६ १/२ महीने हो जायं, यानी १ महीना या १५ दिन और रुक जायं। अब जुलाई में सेशन होगा और उसी के अन्दर यह बिल पास हो जायगा। इसमें कौन सी एमरजेंसी सरकारी पक्ष को है, मेरी समझ में नहीं आता।

इसके अतिरिक्त जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह से तीन वर्ष तक का एकुमुलेशन उस फंड का एक अंग हो जायगा, तो वे व्यक्तिगत रूप से उस पैसे को नहीं ले सकेंगे और इस तरह से वे गरीब बेचारे भूखों मर जायेंगे। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को निर्धारित कर दे कि मजदूरों को मदद देने के मुताल्लिक उसकी क्या पालिसी होगी ? मजदूरों को कितना जमा करना होगा ? प्रोपोर्शनेटली उनको कितना देना होगा ? क्या वे मजदूरों की संख्या देख कर देंगे ? इसकी कोई लिमिट निर्धारित कर दी जाय कि सरकार उनको किस चीज के मुताबिक मदद देगी ? यह बात मैं कोई नुक्ताचीनी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस पर एक पूरा मुकम्मल लेजिस्लेशन हो जाय।

और भी बहुत सी खामियां हैं जिनको इस वक्त मैं समय की कमी से नहीं कह पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि सदन का बेशकीमती वक्त इन बातों में लगाया जाय, लेकिन अच्छी तरह से, ठंढे दिल से हर पहलू को देख लिया जाय, कोई जल्दी नहीं है और प्रवर समिति में जाने से जनता का भला होगा, और उस छोटे तबके का, जो मजदूर तबका कहलाता है और भी अधिक भला होगा, यही मुझे कहना है।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह श्रम कल्याण निधि विधेयक जो सरकार ने इस सदन के सामने रखा है, उस पर मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि हमको और आपको, इस सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों को, गम्भीरता के साथ विचार करना है कि यह संशोधन जो इस वक्त सदन में आया है उससे मजदूरों

का क्या फायदा होता है ? पूर्वी जिलों की आज जो हालत है, पूर्वी जिलों में गोरखपुर और देवरिया में मैं समझता हूं करीब २ बीसों चीनी मिलें हैं जहां पर कि २५, ३० हजार मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों के बारे में भी हमें सोचना है। हम तो नम्रता के साथ सरकार को सुझाव देंगे और जो संशोधन आया है कि तीन साल तक अगर तनख्वाह न ले, या कोई कोर्ट में दावा न करे तो वह श्रम कल्याण निधि जो है उसके अन्दर जमा कर दिया जाय, इससे ज्यादा अच्छा यह होता कि हम लोग गम्भीरता के साथ इस पर विचार करते। अगर वह मर जाता है या कोई पैसा लेने का दावा नहीं करता तो अगर कोई उसका वारिस है तो वह पैसा उसको दिया जाय, यह सब से अच्छी बात होगी। इसके बारे में मैं माननीय श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस विषय में भी कोई ऐसा विधेयक लायें ताकि मजदूरों के बच्चों के लिये, उनके खाने-पीने के लिये, उन की पढ़ाई के लिये, उनका जीवन स्तर उठाने के लिये, उनकी शिक्षा के लिये कोई सुन्दर प्रबंध हो सके। मैं समझता हूं कि अगर आप चीनी मिलों को लें या किन्हीं दूसरे कारखानों को लें या शुगर मिल मजदूरों को लें तो आज सारे प्रदेश में इतनी गम्भीर समस्या है कि मजदूरों की, किसानों की करुण कहानी सुनते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। एक मजदूर जो मिल में काम करता है, उसको मिल के मालिक जब चाहें बिना किसी नोटिस के निकाल देते हैं और ऐसी हालत में उस गरीब मजदूर को कुछ सुझाई नहीं देता कि वह फाके करे या क्या करे। मजदूर न्यायालय की स्थापना हुई, मामले मजदूरों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, बेचारे मजदूर परेशान होते हैं उनकी क्या ताकत है ? वह दाने-दाने को परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि यह जो बिल लाया जा रहा है, यह जो संशोधन किये जा रहे हैं, उनसे मजदूरों का क्या भला होगा, इसके बारे में हमें और आप को गम्भीरता से विचार करना होगा।

आप को छितौनी मिल का मामला, मालूम है वहां का केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहां के ७६ मजदूर निकाले गये और वे और उनके बाल-बच्चे दाने-दाने को मोहताज हो गये। जहां जरा कोई बात हुई मिलमालिक उनको निकाल देते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी मजदूरों के सम्बन्ध में इस तरह का कोई बिल लायें कि जिससे मजदूरों का लाभ हो उनके हितों की रक्षा हो। मजदूर देश की धरोहर हैं, वह सारे हमारे उत्पादन के करने वाले हैं, देश को उन का ऋणी होना चाहिये। राष्ट्र की और प्रदेश की सारी आर्थिक स्थिति मजदूरों पर निर्भर है। अगर उन की कमर टूटती है तो राष्ट्र की कमर टूटती है, इसे हमें ध्यान में रखना है। सारे कल कारखानों का निर्माण करने वाला, मोटरों का निर्माण करने वाला, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाला, खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाला और हम जो यहां बैठे हैं, हमारी सारी जनता को अन्न पैदा करके देने वाली ताकत और कोई नहीं है, वह हैं हमारा गरीब और तिरस्कृत मजदूर। इसलिये उस की समस्याओं के बारे में हमें बहुत गम्भीरता पूर्वक सोचना है। हमें ऐसे बिल और ऐसे संशोधन लाने हैं कि जिन से मजदूरों में आत्म विश्वास और आत्म भावना पैदा हो और हमारा भविष्य उज्वल हो। जब मैं मिलमालिकों और इन पूंजीपतियों के रहन-सहन के अन्तर को देखता हूं तो एक तरफ तो मिलमालिकों के गगनचुम्बी महल और अट्टालिकायें और फर्स्ट क्लास पाखाने और दूसरी तरफ मजदूरों के वह आवास कि जिनमें मनुष्य क्या पशु भी सुख से नहीं रह सकते ! उनका कोई रहन-सहन का स्तर नहीं है कोई जिन्दगी इन्सान की सी नहीं है। यह देखकर हमें सोचना पड़ता है कि क्या यही हमारा समाजवाद है और क्या वास्तव में यही हमारा जन-कल्याणकारी राज्य है !!

मैं बहुत नम्रतापूर्वक और सहृदयता के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो यहां के मजदूरों के विषय में विधेयक लाया गया है, वह कोई ठोस कदम उस दिशा में नहीं है कि जिससे मजदूरों का पर्याप्त लाभ हो सके। मजदूरी की समस्या केवल इस प्रदेश की ही नहीं वरन् सारे देश की समस्या है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह चीनी मिल मजदूरों की ओर ध्यान दें। वहां के मजदूरों के बच्चों के लिये उनकी दवा, शिक्षा, चिकित्सा और आवासों आदि का इंतजाम होना चाहिये। एक ओर मिलमालिकों की बड़ी-बड़ी सुन्दर अट्टालिकायें निर्मित

[श्री राजदेव उपाध्याय]

हो रही है और दूसरी ओर मजदूरों के तपते हुए टीन छाये हुए हैं, जिनमें जेठ के महीने में मजदूर और उसके स्त्री-बच्चे मेहनत के बाद झुलसा करते हैं। यह सब क्या तमाशा है, समझ में नहीं आता। यह भी समझ में नहीं आता कि यह सब ऐसे कब तक, इस देश में चलेगा। इस तरह की जो असमानताएं हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उन की ओर बहुत नम्रतापूर्वक मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसानों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें मजदूरों की समस्याओं को लेकर भी साथ ही चलना है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान मजदूरों की इस करुण कहानी की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो आज संशोधित होने के लिये इस सदन के सम्मुख आया है, यदि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या न किया जाय लेकिन एक ऐसा विधेयक लाया जाय जो उनके बच्चों के लिये, जो उनकी पीढ़ियों के लिये, कुछ प्रबंध करें। हमको बड़ी आजादी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस पर सोच-समझ कर गम्भीर कदम उठाना चाहिये, जिससे मजदूरों में जीवन आये, ज्योति आये और वह भी समझ सकें कि वाकयी समाजवादी राज्य की जो कल्पना हम किया करते थे उसका आभास हमारे प्रदेश में मिल रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेषकर इन समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस देश में जो बड़ा पूंजीपति है अगर उसको शिक्षा पाने का, खाने पीने का, दवादारू का हक है तो मजदूर के जीवन में भी आमूल परिवर्तन होना चाहिये। अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा राज्य चल नहीं सकता और न समाजवादी जन-कल्याण राज्य की जो कल्पना करते हैं, वह राज्य ही कहा जायगा। इसलिये फिर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा देवरिया और गोरखपुर की तरफ, जहां पर बीस-बीस चीनी मिलें हैं और जो जिले सबसे गरीब हैं, भूख पीड़ित हैं।

मैं आपका ध्यान आसाम की तरफ, कलकत्ते की तरफ, बंगाल की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां गोरखपुर से लाखों की तादाद में मजदूर जाता है। वह कोयला निकालता है और खानों में काम करता है तथा जो दूसरे विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें काम करता है। उस जिले के मजदूरों की बड़ी गम्भीर समस्यायें हैं। वह मजदूर जो गोरखपुर से जाते हैं, उनकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिये और हम को ऐसा विधेयक लाना है जिससे मिल मालिकों और मजदूरों का झगड़ा सदा के लिये लुप्तप्राय हो जाय। फौरन उनको तनख्वाह मिले। तीन-तीन साल तक वह तनख्वाह नहीं पाते। इस प्रकार का कानूनी शिकंजा नहीं होना चाहिये। एक मजदूर जो काम करता है, उसे तीन साल तक तनख्वाह नहीं मिलती। वह लेना चाहता है लेकिन कानूनी पेचीदगियों से कानूनी परेशानियों से वह मजदूर तबाह व बरबाद है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मजदूरों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें और कम से कम उत्तर प्रदेश के वह पूर्वी जिले, जो देवरिया और गोरखपुर में हैं, जिनमें हर साल बाढ़ें आती हैं, तबाही आती है, जहां लाखों भूखपीड़ित जनता बसती है, उस जिले के मजदूरों की तरफ आप ध्यान दीजिये।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी मैं सुन रहा था कि हमारे एक माननीय साथी बड़े जोश के साथ झोपड़ी और मजदूरों का जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से नहीं बल्कि चिरकाल से झोपड़ी और महल रहे हैं, मजदूर और मालिक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आज आप हिन्दुस्तान के बाहर देखें तो दूसरे देशों में भी मालिक हैं और मजदूर हैं--झोपड़ी भी हैं और महल भी हैं।

यहां सवाल यह है कि हम मजदूरों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा करें। आज एक सीधा-सादा विधेयक लाया गया है और इस विधेयक में सीधासादा संशोधन किया गया है जिसका मंशा यह है कि मजदूरों का वह देय धन, जो तीन साल के अन्दर न दिया गया हो और न उसे पाने का दावा किया गया हो तो ऐसा धन श्रम कल्याण निधि में सम्मिलित कर लिया जाय। यह एक

सीधा सादा संशोधन विधेयक है और उसका मंशा यह है कि वह देय धन जो तीन साल के अन्दर न दिया गया हो और न जिसका दावा किया गया हो, वह श्रम कल्याण निधि में सम्मिलित कर लिया जाय। हमने विरोधी दल के सम्बन्ध भाषण सुने और इधर के भी सुने। बहुत सदस्यों ने तो इसका मतलब यह लगा लिया कि मजदूरों की तनख्वाह इस निधि में शामिल कर ली जायगी, ऐसा नहीं है। इस निधि में तो वही रुपया जायेगा, चाहे वह तनख्वाह का हो या बोनस का हो या भत्ते का हो, जो लावारिस है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है और जो अभी तक मिल मालिकों की जेब में चला जाता करता था। लेकिन अब वह तीन साल बाद इस निधि में आ जायगा। आप जानते हैं श्रीमन् कि श्रमिकों की दशा कितनी गिरी हुई है। उनको और उनके बच्चों को तालीम देने के लिये, स्कूल खोलने के लिये, उनके लिये मनोरंजन के साधन मुहैया करने के लिये और कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिये इस निधि का संस्थापन किया गया है। अगर इस निधि में रुपया नहीं होगा तो हम उनके लिये जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इसलिये इस निधि का होना आवश्यक है। कुछ सरकार इसमें रुपया देती है और जो रुपया पहले मिल मालिकों की जेब में चला जाता था, वह भी इस निधि में सम्मिलित करके मजदूरों के कल्याण के लिये यह मुहैया किया जा रहा है।

बहुत से हमारे विरोधी भाइयों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं पूछता हूं कि इस छोटे से विधेयक को प्रवर समिति में भेज कर क्या समय को नष्ट नहीं किया जायगा। यहां पर ही काफी विचार प्रकट किये जा चुके हैं, विरोध भी प्रकट किया गया है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं।

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से मैं इस विधेयक पर बहस सुन रहा हूं। बहुत सा काम हमारा उधर के दो साथियों ने कर दिया है। हमें विशेष उसके विषय में कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो अपने उन साथियों को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि कैसे वह उस संगठन में पड़े हुये हैं जिसने सेठ, सौदागर, सूद खोर और सटोरियों की सेवा करने का संकल्प कर रखा है। कैसे उनकी गुजर होती है? कैसे कल्याण कर सकते हैं वह श्रमिकों का? विधेयक ला सकते हैं नाम के लिये, काम के लिये नहीं। उनका काम तो कुछ और ही है। मुझे तो बड़ा विस्मय हुआ कि उधर भी ऐसे साथी हैं जिनके दिल में मजदूरों के लिये दर्द है।

इसका नाम है श्रम-कल्याण निधि। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रम-कल्याण तो हो ही जाता है, श्रम-कल्याण के लिये तो निधि है ही और वह श्रमिकों से ली जाती है। बहाना होता है कि पूंजीपतियों पर जो बकाया पड़ा होगा उसको ले लेंगे और उससे किसका कल्याण होता है वह श्रम-कल्याण ही जाने। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इसका नाम श्रम-कल्याण निधि क्यों रखा गया। पूंजीपति कल्याण रख दिया गया होता। श्रमिक कल्याण तो इसमें है ही नहीं। श्रम कल्याण निधि है। तो श्रम का कल्याण तो सब जगह होता है। यहां भी श्रम का कल्याण ही हो रहा है। कृषकों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण करने की बात तो हरएक कोई करता है लेकिन हो क्या रहा है? उस निधि से क्या क्या होता है यह किस से छिपा नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर वास्तव में श्रमिक कल्याण की कुछ भावना होती तो जो उनका धन बचता है जो पूंजीपति उनके धन को हड़प करने की कोशिश करते हैं उस धन को और उस श्रम की पैदावार को उन्हीं के कल्याण के लिये लगाने की बात भी कही होती। तब मैं समझता कि श्रम के कल्याण की कोई बात है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। बहुत कुछ हमारे विरोध का आभास हमारे श्रम कल्याण मंत्री को स्वय हो जाना चाहिये कि उन्हीं के कुनबे के लोग भी उनके इस पक्ष में नहीं हैं। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय ताकि उस पर अच्छी तरह से विचार हो सके और वास्तव में श्रम कल्याण हो सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में जो तकरीरें हुईं उनको मैंने गौर से सुना। मुझे खुशी इस बात की है कि श्रमिकों के सिलसिले में दिलचस्पी इस हाउस में काफी ज्यादा है। बनिस्बत पहले के काफी ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। मेरा काम जरा मुश्किल जरूर हो गया क्योंकि यह जो विधेयक है यह जितने हिस्से में महदूद था उस हिस्से के बाहर भी सारी रीति-नीति के ऊपर माननीय सदस्यों ने वक्त या नावक्त अपनी राय देने की आज तकलीफ फरमायी। मैं शायद उन सब बातों का जवाब न दे सकूं, क्योंकि ऐसा करना असंगत होगा। अगर उन सब बातों पर मैं जाऊं तो डरता हूं कि असंगत न होजाऊं। फिर भी जो थोड़ी सी बातें कहीं कहीं आ गयी हैं उनकी तरफ इस हाउस की तवज्जह आपकी इजाजत से दिलाना चाहता हूं। सिवाय हमारे उन माननीय सदस्यों के जो जनसंघ के टिकट पर यहां आये हैं बाकी सारे सदस्य जो इस भवन में बैठे हुए हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं उन वाकयात के ऊपर जो हमारी स्टेट लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी बाडी में हुए। उस ऐडवाइजरी बाडी में जो कि मालिकों, सरकार, आई० एन० टी० यू० सी० तथा सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, सभी तबकों से मिलजुल कर बनी है उसमें यह सवाल पेश किया गया था। यह बात तो है कि जो मजदूरों में संगठन का काम नहीं करते हैं या जो गैरताल्लुक हैं, मजदूर संगठनों से उनकी समझ में मजदूरों की बात जल्दी आये या न आये, लेकिन जो मजदूरों के बीच काम करने वाले लोग हैं उनकी समझ में यह बात जल्दी आ सकती है कि जो स्टेट लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी बाडी की मीटिंग नैनीताल में हुई। वहां कोई ठंडी हवा का ही असर नहीं था बल्कि वहां सबने २३ सितम्बर, १९५२ की बैठक में एक राय से यह तय किया। इस बैठक में माननीय राजाराम शास्त्री थे, माननीय बिमल मेहरोत्रा थे और और भी प्रदेश के अन्य श्रमिक कार्यकर्ता आई०एन०टी०यू०सी०, हिन्द मजदूर सभा आदि के थे उन सबने वहां बैठ करके अच्छी तरह से इस सवाल पर विचार किया और यह मूल विधेयक जो है इसके उसूलों को स्वीकार किया। उन्हीं उसूलों पर यह विधेयक भी आधारित है। इन उसूलों के ऊपर वहां उन्होंने अच्छी तरह से विचार किया और इनको स्वीकार किया। सबने एक राय से इसका स्वागत किया और फिर यहीं बात खत्म नहीं हुई। हमने बिल बनाया। इस हाउस की स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया। उस स्टैंडिंग कमेटी में भी श्रीमान् जगन्नाथ मल्ल जो प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के नेता मौजूद थे जोकि श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रजा समाजवादी स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वहां भी सबने एक राय से इसको स्वीकार किया, वेलकम किया और सरकार की तारीफ की। वक्त मेरे पास नहीं है वर्ना मैं सारी बातें फिर से रख सकता हूं। फिर भी यह बात उन साथियों के लिये कह रहा हूं जिनका सीधा सम्बन्ध श्रमिक संगठनों के साथ नहीं है। उन सभी ने इस बिल को स्वीकार किया। यही नहीं अखिल भारतीय श्रमिकों के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक कांफ्रेंस बुलाती है जो इंडियन लेबर कांफ्रेंस कहलाती है। उसमें आई० एन० टी० यू० सी० के भी सदस्य हैं। ए० आई० टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर सभा आदि सभी मजदूर संबंधी संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। वहां पर एच० एम० एस०, आई० एन० टी० यू० सी० और ए० आई० टी० यू० सी० तीनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिल कर उन उसूलों को, जिन पर यह मूल अधिनियम आधारित है, स्वीकार किया। भवन के माननीय सदस्यों की बातें सुन कर हैरत होती है और तकलीफ भी। मेरा भी ताल्लुक मजदूर संगठनों से रहा है, राजनीति की बात छोड़िये। राजनीति से ऊपर, यह बिल बेहद अच्छी चीज है।

माननीय चन्द्रसिंह रावत ने कुछ अल्फाज कहे और उस पर हमारे विरोधी भाइयों ने ताली बजाई। ताली बजाने की बात हो तो ताली बजाई जाय। यह मेज भी इसीलिये है कि कोई ऐसी बात हो तो ताली बजायी जाय। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि इस बिल को लाने का क्या मंशा है जिसका विरोध करते हुए गोविन्द सिंह जी ने भी कहा कि मजदूरों की कमाई मजदूरों को ही दी जाय। जिस दिन यह मसला हमारे सामने आया तो ऐसा नहीं था कि जल्दी से इस बिल को कोई हमें पास करना था। सन् ५१ से इसके ऊपर चर्चा चल रही है।

सन् ५५ के नवम्बर के महीने में सरकार के पास आखिरी जवाब आया। आंकड़े इकट्ठे किये गए। ८५८ फैक्टरीज के मालिकों के पास चिट्ठियां भेजी गयीं। यह कहना उचित होगा कि फैक्टरियों से ही यह बिल ताल्लुक रखता है और खेतिहर मजदूरों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस बिल से उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है। केवल जो सरकार द्वार रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं उनमें से ८५८ को चिट्ठियां भेजी गयीं। उनसे पूछा गया कि जब से तुम्हारी फैक्टरी बनी तब से कितना रुपया उस मद में है जिस मद को "अनपेड वेजेज" के नाम से पुकारते हैं। ६५२ फैक्टरीज ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई पैसा नहीं है और १९६ फैक्टरीज ने मंजूर किया कि हमारे पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है, जिसकी तादाद ६,९५,०६४ रुपये, कुछ आने और कुछ पाई है। ये फैक्टरीज इस ६,९५,०६४ रुपये का तीन साल पहले से जो बुक आफ एकाउन्ट थी उसमें कैरी आन करती चली आ रही थीं। नवम्बर, ५५ तक यह स्थिति थी। हमसे कहा जाता है कि कितना रुपया हमने मजदूरों को दिलवाया। कोई माननीय सदस्य बतलायें अगर किसी ट्रेड यूनियन ने किसी मजदूर की मजदूरी दिलाने के लिये सरकार को कहा या लिखा हो और उसको मजदूरी न दिलाई गयी हो। हमने इस प्रदेश में मजदूरों का लाखों रुपया एरियर आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करवाया। कोई पैसा किसी का मारने की हमारी नियत नहीं है। लेकिन होता क्या है? यह रुपया जो लोगों को नहीं मिलता है तो इसके कुछ कारण हैं। किसी मजदूर का प्राविडेंट फंड है और वह मर गया लेकिन उसने वारिस नहीं लिखा है। बाद में वारिसों में झगड़ा हो गया और मुकदमा चल रहा है। आखिर में यह हुआ कि इसको मिलना चाहिये और उसको मिलना चाहिये। कोई लावारिस मर गया। कोई छोड़ कर चला गया और लौट कर आता नहीं है कि कौन ५ रुपये ५ आने ५ पाई के लिये फैक्टरी में जाय। मजदूरों के वेतनों के सम्बन्ध में दुनियां में मनीआर्डर का कोई तरीका निकला नहीं है जिसके द्वारा रुपया उनको भेज दिया जाय। सबको फैक्टरी में ही आना पड़ता है। ऐसी ही छोटी-मोटी रकमें मिल कर इतना रुपया हो गया।

आज बड़े-बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये गये पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से ही कोई बात साबित नहीं हो जाया करती। "चाटुकार", "व्याजखोर" न जाने क्या-क्या कहा गया। मुझे पता नहीं किसके लिये कहा गया। हमने तो पूंजीपतियों के पेट में जाने से पैसा बचाया और यह कोशिश की जिनकी कमाई का पैसा है उन्हीं के काम न भी आया हो तो उनकी बिरादरी के काम आये। वैसे भी हमारे देश में और दुनिया भर में यह कहावत है कि आदमी अपने ही पेट के लिये ही जिन्दा नहीं रहता है, समाज के लिये भी जिन्दा रहता है। अगर किसी का कोई पैसा छूट गया और वह उसके समाज के काम आ गया तो इसमें क्या किसी व्याजखोर के घर में व्याज की रकम दे दी गई, ऐसा मैं नहीं माना? जब यह अजीब बहस यहां पेश की गयी और मैं यहां बैठा-बैठा सुनता रहा और खयाल करता रहा कि इसका क्या जवाब दूंगा, लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से यह पूरी कोशिश है कि मुनासिब ढंग से यह पैसा इस्तेमाल किया जाय।

दो एक बातें और कहना चाहता हूं। हमारे जिन भाइयों ने इस बिल पर खुद भी कहा उनमें से नारायणदत्त जी तो कुछ कह कर चले गये। अगर वह होते तो उनकी बात का जवाब मिल जाता, पर उन्होंने कहा कि इस बिल में फिर एक गलती है। उन्होंने बताया कि उद्देश्य और कारणों में हमने लिखा है कि बोर्ड के नाम पैसा जमा किया जाय। मुबारकबाद है उनको। जब जैसी चीज पसन्द आयी, पढ़ ली। अंग्रेजी में तो पढ़ा मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक हिन्दी में पढ़ा। हुजूर वाला, उसे भी अंग्रेजी में पढ़ने की तकलीफ फरमाई होती तो साफ हो जाता कि उद्देश्य और कारणों में हमने क्या लिखा है। मुझे अफसोस है कि वह कापी अंग्रेजी में माननीय सदस्यों के पास नहीं है। मुझे तो सप्लाई की गयी और अधिष्ठाता महोदय, आपकी टेबिल पर भी होगी। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि यह बिल जो है वह इस पैसे को उस फंड में vest करेगा। हां, इस बात को मैं तसलीम करता हूं कि तर्जुमा करते वक्त हिन्दी में फंड की जगह बोर्ड लिख दिया गया, लेकिन उससे बिल के ऊपर कोई आघात नहीं आता, क्योंकि यह जो अंग्रेजी में बिल है, इसको

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मंजूर करना पड़ेगा कि यह अथारिटेटिव वरजन आफ दि ऐक्ट फ़ार परपजेज आफ कोर्ट है और इसमें लफ्ज "फंड" बड़ा साफ-साफ आया है। फिर भी इसका मुझे अफसोस है और मैं माननीय सदस्यों से इसकी माफी चाहता हूं कि "फंड" के बदले "बोर्ड" हिन्दी अनुवाद में आ गया।

कुछ भाइयों ने श्रमिकों को तनख्वाह न मिलने की बात कही। उसके लिये पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट है, उस पर लेक्चर देना नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कानूनों की विवेचना करने के लिये सदन स्कूल भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर कुछ माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न श्रमिक कानूनों के मुताल्लिक जानना चाहते हों तो वह मेरे कमरे में आवें, वहां उनसे बात-चीत कर लूंगा।

एक दो बात और मैं कहना चाहता था और वह यह कि यहां पर हमारे इस विधेयक के सम्बन्ध में कहा गया कि हो सकता है और भी गलतियां रह गयी हों। मैं यह बात भी नहीं मानता कि जितनी चीजें हम कर रहे हैं उनमें कोई फ़ाइनलिटी ऐसी चीज है जो इनफ़िनिटी तक रही रहेगी। हमारा समाज बढ़ रहा है, जरूरत जब पड़ेगी तो फिर आप के सामने आयेंगे, लेकिन इस गलती को यहां यह सरकार नहीं मान सकती। अधिष्ठाता महोदय, क्षमा करेंगे, इसमें स्टेट वेलफ़ेयर बोर्ड की, ऐडवाइजरी कमेटी की और इस सदन की इन तीनों की जब गलतियां हो गयीं तो आपके सामने आये हैं। अकेले हमारे मत्थे सब ग़लतियों को थोप देना कोई शोभनीय और न्यायोचित बात नहीं है। ये गलतियां सब स्तरों पर नजरअन्दाज हो गयीं जिनकी वजह से यह बिल लाना पड़ा। तो यह सब चीजें सभी से ताल्लुक रखती हैं और ये जो बातें कही गयीं अकेले सरकार के लिये वह गैरताल्लुक थीं।

मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव अवधेश प्रताप जी ने रखा है उसको यह हाउस नामंजूर करेगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १--३

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६।

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६ की धारा २ का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (११) में शब्द "परन्तु उसे न दी गयी हो, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, देय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर उसे न तो दी गयी हों और न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो तथा इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६ की धारा १० का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१-क) के रूप में रख दिया जाय :--

"(१-क) बोर्ड सतत् अनुक्रम वाली एक निगमित संस्था होगी। जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने इस नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध उसी नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस सत्तारूढ़ दल के पंचनामी राज्य में सरकार का केवल एक ही विभाग समाज कल्याण का है .....

श्री अधिष्ठाता--पहले आप जो संशोधन पेश करना चाहते हैं उसे सदन में पढ़ दें।

श्री राजेन्द्रसिंह--मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि--

खंड २ की पंक्ति ७ में शब्द 'हो' और शब्द 'तथा' के बीच में शब्द 'और न ही वह उसे प्रथक देने के हेतु सहमत हो' रख दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने खंड २ की पंक्ति ७ में शब्द 'हो' और 'तथा' के बीच में इन शब्दों के बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस संशोधन में संशोधन प्रस्तुत करने के लिय निम्नांकित तर्क प्रस्तुत करता हूं। इसके पहले मैं यह कह रहा था और इस सरकार को मैंने एक ही नाम 'पंचनामी राज्य' का दिया था। इस सरकार का एक ही विभाग समाज कल्याण का है। मैं यह कहने के लिये तो प्रस्तुत नहीं हूं कि इस सरकार के अन्य विभाग समाज कल्याण के लिये नहीं हैं या असमाजी हैं। किन्तु, चूंकि एक ही विभाग खुला हुआ है तो कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि अन्य विभाग असमाजी हैं या अकल्याणकारी हैं।

मैंने इस सरकार के लिये एक शब्द कहा था कि यह पंचनामी सरकार है। इसलिये कि आज तक इसके ५ नाम आ चुके हैं --

(१) राम राज्य,
(२) धर्म निरपेक्ष राज्य,
(३) कल्याणकारी राज्य,
(४) मंगलकारी राज्य,
(५) समाजवादी ढांचे का राज्य।

इतनी शीघ्रता से अपने नामों तथा पालिसीज को बदलना इस सरकार के लिये साधारण कार्य है। सरकार ने श्रमिकों के लिये यह कानून बनाया है कि फैक्टरीज में जो श्रमिकों का रुपया है.....

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो अपना संशोधन उपस्थित किया है उसी पर कहें तो अच्छा है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—अब मैं उसी पर आ रहा हूं । यह श्रमिकों के निमित्त नियम बनाया गया है कि श्रमिकों को जो तीन वर्ष से निधि नहीं मिल सकी है और फैक्टरीज में पड़ी हुई है, उसे सरकार ले सकती है, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं । परन्तु इसी के साथ-साथ इसमें यह प्राविजन अवश्य होना चाहिये कि इस निधि को सरकार को लेने का अधिकार तो है, लेकिन यदि श्रमिक नहीं चाहता है तो सरकार उसको न ले । यह विधेयक इसीलिये प्रस्तुत किया गया है कि सरकार इस तीन वर्ष की निधि को ले सकेगी, परन्तु श्रमिकों को अधिकार नहीं होगा कि वह सरकार से अलग से धन ले सकें । मैंने यह प्रस्ताव इसीलिये रखा है और इसमें प्रावीजन रखा है कि यदि श्रमिक चाहे तो इस धन को अलग से ले सके । यदि श्रमिक अलग से नहीं लेना चाहता है तो सरकार को अधिकार होगा कि वह इस धन को लेकर काम में लाये । यदि मेरा यह प्रस्ताव मान लिया जायगा तो श्रमिक निश्चित करेगा कि यह धन किसके पास जाय—उसी निधि में जाय या श्रमिक के पास जाय । इसलिये मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करने की कृपा करेगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन आया है, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कुछ संगत सा नहीं है और कोई मेल नहीं खाता जिससे इस विधेयक का हिस्सा बने । मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि इससे न कोई फर्क पड़ता है और न कोई असर आता है । इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस मिनट या जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—मैं स्वयं ही इस पर विचार करने वाला था । आज मुझे भी दस मिनट और चाहिये, कुछ यहां की व्यवस्था के बारे में मुझे कहना है । इसलिये दस मिनट वह और दस मिनट यह, बीस मिनट और चाहिये ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय २० मिनट और बढ़ा दिया जाय अर्थात् आज ५ बज कर २० मिनट तक यह सदन बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय श्रम मंत्री जी ने बड़े सारगर्भित भाषण में हमको अपने शब्द जाल में फांस कर यह बतलाया कि उनका सम्बन्ध कई श्रम संस्थाओं से रहा है जिनमें मजदूरों के साथ उन्होंने काम किया है । इसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं । हम यह जानते हैं कि उन्होंने कई मजदूर संस्थाओं में आज से नहीं मुद्दतों से काम किया है । इसीलिये हम चाहते थे कि आज ऐसा संशोधन इस माननीय सदन के सामने आता जिससे मजदूरों का वास्तव में कल्याण होता । अभी जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने कहा उसमें मैं इतना और कहना चाहता हूं कि जो रुपया मजदूरों से लिया जा रहा है क्या वाकई में उससे उस श्रमिक का कल्याण होगा । मैं माननीय मंत्री जी के भाषण में यही चाहता था कि वे इसका कुछ हवाला देते । लेकिन जो संशोधन विधेयक सदन के सामने रखा गया है वह वास्तविकता से बिलकुल परे है, क्योंकि जब आज अपने मुल्क की पर कैपिटा इनकम हम देखते हैं तो सन् ५३ के आंकड़ों के हिसाब से एक मजदूर की केवल ६-७ आने इनकम आती है और इसके बाद यह कहा जाता है कि अगर तीन साल तक वह अपनी मजदूरी नहीं लेता है तो वह रुपया श्रम कल्याण निधि को दे दिया जायगा । लेकिन हम देखते हैं कि कितने मजदूरों की मजदूरी निकल जाती है । इसलिए मजदूरों से पूछ लिया जाय कि वह उस धन को लेना चाहते हैं या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह संशोधन पर रहें। जनरल डिस्कशन हो चुका है उस पर न जायं।

श्री प्रतापसिंह—ठीक है, मैं राजेन्द्रसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मजदूरों से पूछ लिया जाया करे, दरियाफ्त कर लिया जाया करे कि लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वह उसको नहीं लेना चाहते हैं तब वह धन श्रम-कल्याण निधि को दे दिया जाय, नहीं तो उनके परिवार को मिलना चाहिए।

श्री राजेन्द्रसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अभी यह कहा कि इस संशोधन के मानने न मानने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उन्हें इसको मान लेने में कोई इन्कार नहीं हो सकता।

मैं अब एक बात और उनको संतुष्ट करने के लिये कहना चाहता हूं। यह धन तीन के पास जा सकता है, फैक्टरीवालों के पास, फैक्टरीवालों की समर्थक सरकार के पास या स्वयं मजदूर के पास। माननीय श्रम मंत्री जी का कहना है कि श्रम कल्याण निधि में जाय। ठीक है जाय, लेकिन उनसे पूछ तो लिया जाय कि आप इस धन को पृथक रूप से लेना चाहते हैं या नहीं और अगर वह नहीं लेना चाहते हैं तो वह निधि को दे दिया जाय।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्रमिक लोग इसको छोड़ चुके हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—अगर वह छोड़ चुके हैं तब तो वह स्वयं कह देगा कि मैं इसको नहीं लेना चाहता।

इसके अतिरिक्त खंड २ में जो शब्द हैं वह इस प्रकार हैं:—

> "किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, देय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर उसे न तो दी गयी हों और न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो।"

"न उसने इन्हें पाने का दावा किया हो" शब्द ही यह कहते हैं कि श्रमिक को दावा करने का अर्थात् उस धनराशि को पाने का पृथक रूप से अधिकार है। जब उससे पूछ लिया जाय तब वह धन श्रमनिधि में लिया जाय। इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि अगर वह दावा करना चाहता है कि श्रमिक को उसकी धनराशि दे दी जाय तो उसे दे दी जाय, नहीं तो निधि में जाय। मैं श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री प्रतापसिंह—आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन, सर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि वे उस रुपये को छोड़ चुके हैं और नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसे उदाहरण मालूम हैं जो इसके विपरीत हैं। कोई भी अपना रुपया छोड़ने के लिये तैयार नहीं होता। उनको रुपया मिला नहीं है और निधि में ले लिया गया है। मैं चाहता हूं कि वे जरा इसकी सफाई कर दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिष्ठाता महोदय, मेरी दुश्वारी यह है कि शायद या तो मैं अपनी बात साफ नहीं कह पा रहा हूं या माननीय सदस्य मेरी बात को समझने में बुनियादी तौर पर कोई दुश्वारी महसूस कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—उनके कहने का यह मतलब नहीं है कि आप उस बात को मान ही लें। यदि न कहा हो तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मने यह कहा कि जो पैसा मजदूरों को तनख्वाह के रूप में, बोनस के रूप में या किसी भी प्रकार से मिलता है, जो देय धनराशि मजदूर की है यदि वह तीन वर्ष के अन्दर उसको न मिले, वह उसको न ले पाया हो या लिये बगैर ही चला गया हो, कैसी भी स्थिति ले ली जाय, तो वह पैसा इस निधि में आ जायगा। अभी तक उस पैसे को फैक्टरियां हड़प करती चली आ रही थीं। एक बात तो यह कही थी और दूसरी बात यह कही थी कि ३ साल के बाद भी हम नहीं लेंगे, अगर उसने उस पैसे के लिये अपना क्लेम कर रखा हो और वह सेटिल न हो पाया हो। मान लीजिये कि उसने क्लेम किया और उसमें तीन साल के बजाय पांच साल लग गये, तीन साल के अंदर वह सैटिल नहीं हो पाया, तो भले ही वह पैसा चला जाय, उसमें कोई उज्र नहीं है, लेकिन यदि वह उसको न ले, न क्लम करे, तो वह पैसा इस निधि में आ जाय। इतना ही स्पष्टीकरण मैं इसमें देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ७ में शब्द 'हो' और शब्द 'तथा' के बीच में शब्द 'और न ही वह उसे पृथक देने के हेतु सहमत हो' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ के खंड २, ३ और १ तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

इस बिल के सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है। अब मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में संशोधनार्थ प्रवर समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया नियमावली में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक प्रवर समिति निर्वाचित की जाय—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
श्री चरण सिंह
श्री लक्ष्मीरमण आचार्य
श्री राम प्रसाद देशमुख
श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती
श्री सुल्तान आलम खां
श्री मथुरा प्रसाद पांडेय
श्री श्रीनाथ (आजमगढ़)

श्री रामचन्द्र विकल
श्री केशव पांडेय
श्री रामगोपाल
श्री घनश्याम सिंह
श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव
श्री प्रताप सिंह
श्री हिम्मत सिंह
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
श्रीमती सज्जन देवी महनोत

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रक्रिया नियमावली में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक प्रवर समिति निर्वाचित की जाय--

(१) श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
(२) श्री चरण सिंह
(३) श्री लक्ष्मी रमण आचार्य
(४) श्री राम प्रसाद देशमुख
(५) श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती
(६) श्री सुल्तान आलम खां
(७) श्री मथुरा प्रसाद पांडेय
(८) श्री श्रीनाथ (आजमगढ़)
(९) श्री रामचन्द्र विकल
(१०) श्री केशव पांडेय
(११) श्री राम गोपाल
(१२) श्री घनश्याम सिंह
(१३) श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
(१४) श्री पद्माकर लाल
(१५) श्री प्रताप सिंह
(१६) श्री हिम्मत सिंह
(१७) श्री चन्द्रजीत यादव
(१८) श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
(१९) श्रीमती सज्जन देवी महनोत

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अधिष्ठाता—आदरणीय सदस्यगण, मेरे लिये आज यह पहला ही अवसर था कि अब मैं यहां पर बैठा। वैसे मुझे इसके बारे में बिलकुल पता नहीं था कि मुझे आज यहां पर बैठना पड़ेगा। अब हम लोगों का यहां पर समय बरबाद होता है तो उसके लिए तो बहुत ही लांछन की बात है। आज जब कि सदन सवा दो बजे शुरू होना चाहिये था लंच के बाद वह करीब २–२५ पर शुरू हुआ, यह वास्तव में नहीं होना चाहिये। मैं यहां के अन्य कार्यकर्त्तागण तथा सचिव साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे आगे किसी प्रकार से समय बरबाद न हो। मुझे खेद है कि आप लोगों को इतने समय तक इन्तजार करना पड़ा। इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
७ मई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

महीना					निर्माण किये गये स्टैन्ड-पोस्टों की संख्या
जुलाई,	१९५५	..	..	..	१
अगस्त	,,	..	..	..	३
सितम्बर	,,	..	..	..	३
अक्टूबर	,,	..	..	..	—
नवम्बर	,,	..	..	..	—
दिसम्बर	,,	..	..	..	—
जनवरी,	१९५६	..	..	..	१२
फरवरी	,,	..	..	..	४०
मार्च	,,	..	..	..	—
अप्रैल	,,	..	..	..	५
मई	,,	..	..	..	२
जून	,,	..	..	..	३
जुलाई	,,	..	..	..	—
अगस्त	,,	..	..	..	३
सितम्बर	,,	..	..	..	२
अक्टूबर	,,	..	..	..	२
नवम्बर	,,	..	..	..	—
दिसम्बर	,,	..	..	..	२
जनवरी,	१९५७	..	..	..	३४
फरवरी	,,	..	..	..	६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नथी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

जिला हरदोई में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की सूची

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्य	लम्बाई मी० फ०	अनुमानित लागत
१—संडीला औरास-चकलबंसी सड़क का निर्माण		रु०
नई पक्की सड़कों का निर्माण		
२—संडीला-बेनीगंज सड़क ..	१५ ०	..
३—पिहानी से सीतापुर शाहजहांपुर सड़क (छपरतला) तक	८ ४	.. ७,४४,०००
४—बिलग्राम-सांडी हरपालपुर-सिवयापुर सड़क ..	२५ ४	.. ९,१८,०००
५—सिवायजपुर-राजेपुर सड़क जिले की सीमा तक	७ ०	.. ३,५०,०००
६—ऐगवां रेलवे फीडर सड़क ..	१ ४	.. ७५,०००
७—बेहटा गोकुल रेलवे फीडर सड़क	१ ४	.. ७५,०००
८—टोडरपुर रेलवे फीडर सड़क ..	१ ०	.. ५०,०००
९—कोंढ़ा रेलवे फीडर सड़क ..	० ४	.. २५,०००
१०—बालामऊ रेलवे फीडर सड़क	१ ४	.. ७५,०००
११—दलेलनगर रेलवे फीडर सड़क	१ ४	.. ७५,०००
शकर मिलों के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण		
१२—बिलग्राम-सांडी लिंक सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक्स	१ ०	
१३—पिहानी-गौशाला सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक्स	२ ३	.. ४,६४,०६३
१४—राधेपुरवा-सकतपुर सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक्स	६ ०	
भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार	८ ०	.. २,२४,०००
	योग	३०,७५,०६३

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०० पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त तथा अन्य विषयों की व्यवस्था करने के निमित्त संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ में अतिरिक्त संशोधन करने का विधेयक

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे चल कर प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों काऐक्ट, १९४७ को संशोधित किया जाय ;

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४—ङ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ४—ङ का संशोधन।

"(१) राज्य सरकार एक समिति संघटित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

धारा ४—घ के अधीन सूचियां तैयार करने के निमित्त समिति।

(१) अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी और जो ऐसा व्यक्ति होगा जो या तो हाईकोर्ट का जज हो या रहा हो;

(२) राज्य सरकार के मुख्य सचिव;

(३) श्रम विभाग में राज्य सरकार के सचिव;

(४) राज्य सरकार के लीगल रिमेम्बरेंसर, तथा

(५) उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन द्वारा नाम निर्देशित कमीशन का एक सदस्य।"

३—मूल अधिनियम की धारा ४—झ में, प्रतिबन्धक के खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ४—झ का संशोधन।

"(२) परिवर्तन का प्रभाव जिन मजदूरों पर पड़ने की संभावना हो। वे ऐसे व्यक्ति हों जिन पर फंडामेंटल ऐंड सप्लीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल ऐन्ड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्पोरेरी सर्विस) रूल्स, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, अथवा कोई अन्य नियम अथवा विनियम लागू होते हों जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञापित किये जायं।"

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ६–क का संशोधन।

४––मूल अधिनियम की धारा ६–क की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक में शब्द "सामाजिक न्याय के आधार पर" के स्थान पर शब्द "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ-व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से" रख दिये जायं।

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ६–ज का संशोधन।

५––मूल अधिनियम की धारा ६–ज की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(१) जब किसी मालिक द्वारा धारा ६–ञ से ६–द के उपबन्धों के अधीन, अथवा किसी निपटारे अथवा पंचनिर्णय के अधीन, अथवा इस ऐक्ट के अधीन नियुक्त य संघटित पंच-निर्णायक (abjudicator) या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (State Industrial Tribunal) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये पंच-निर्णय के अधीन, कोई धनराशि किसी मजदूर को देय हो तो वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये मजदूर राज्य सरकार के पास धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो राज्य सरकार उस धनराशि का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को दे देगी जो उसे उसी प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह मालगुजारी की बकाया हो।"

मालिक द्वारा देय धनराशि की वसूली।

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ६–झ का संशोधन।

६––मूल अधिनियम की धारा ६–झ की उप-धारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(३) किसी यूनियन का कोई अधिकारी तब तक किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत न होगा जब तक कि इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६ के अधीन यूनियन की रजिस्ट्री हुए दो वर्ष न हो गये हों तथा यूनियन एक ही व्यवसाय के लिए रजिस्टर्ड न हुआ हो :

ऐक्ट संख्या १६, १९२६।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनियनों के किसी फेडरेशन का कोई अधिकारी ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो निर्धारित किये जायं, किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ में नई धाराएं ६–ध, ६–न ६–प का बढ़ाया जाना।

७––मूल अधिनियम की धारा ६–द के पश्चात् निम्नांकित नई धाराएं ६–घ से ६–प तक के रूप में जोड़ दिया जाय :––

अविधिक हड़तालों तथा द्वारावरोधों का निषेध।

'६–ध––(१) किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त कोई व्यक्ति––

(क) हड़ताल करने के पूर्व तीस दिन के भीतर मालिक को हड़ताल का नोटिस दिये बिना अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर; अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल के दिनांक की समाप्ति के पूर्व; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष समझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति से तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(ङ) किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(च) ऐसे काल में जबकि कोई समझौता अथवा पंचनिर्णय लागू है तो उस समझौत अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर,

हड़ताल न करेगा।

(२) कोई भी मालिक अपने किसी मजदूर को—

(क) द्वारावरोध करने के पूर्व तीस दिन के भीतर उसे द्वारावरोध की नोटिस दिये बिना; अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट द्वारावरोध के दिनांक की समाप्ति के पूर्व; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष ससझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति के तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(ङ) किसी श्रम-न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह मजदूर उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(च) ऐसे काल में जब कोई समझौता या पंचनिर्णय लागू है तो उस समझौते अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर,

द्वारावरोध द्वारा काम पर आने से न रोकेगा।

(३) इस धारा के अधीन हड़ताल या द्वारावरोध (lock-out) की नोटिस उस दशा में आवश्यक न होगी जब कि औद्योगिक संस्था में द्वारावरोध या हड़ताल, जैसी भी दशा हो, पहिले से चल रही हो, किन्तु मालिक ऐसे द्वारावरोध या हड़ताल की सूचना, इस सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी को उस दिन दे देगा जिस दिन हड़ताल या द्वारावरोध घोषित किया जाय।

(४) इस धारा के अधीन दी गयी हड़ताल या द्वारावरोध की प्रत्येक नोटिस में एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जिसके तीन दिन के भीतर यदि नोटिस के अनुसार हड़ताल या द्वारावरोध न किया जाय तो नोटिस प्रभावी न रह जायगी और हड़ताल या द्वारावरोध के लिये एक नयी नोटिस फिर देनी होगी।

(५) उप-धारा (१) में उल्लिखित हड़ताल की नोटिस व्यक्तियों की ऐसी संख्या द्वारा ऐसे ढंग से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दी जायगी जो इस संबंध में नियत किये जायं।

(६) उपधारा (२) में उल्लिखित द्वारावरोध की नोटिस ऐसी रीति से दी जायगी जो नियत की जाय।

अविधिक हड़तालें तथा द्वारा वरोध।

६-न--(१) कोई भी हड़ताल या द्वारावरोध अविधिक होगा यदि वह धारा ६-ध का उल्लंघन करके आरम्भ या घोषित किया जाय अथवा उस दिनांक के बाद तक जारी रखा जाय जब कि उस हड़ताल या द्वारावरोध से, जैसी भी दशा हो, संबंधित औद्योगिक झगड़े पर कोई विचार करना आरम्भ करे या वह किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास निर्णय के निमित्त अभिदिष्ट किया जाय।

(२) किसी औद्योगिक संस्था में किसी अविधिक द्वारावरोध के फलस्वरूप घोषित की गई हड़ताल या किसी अविधिक हड़ताल के फलस्वरूप घोषित किया गया द्वारावरोध अविधिक न समझा जायगा।

अविधिक हड़तालों या द्वारावरोधों के लिये उभाड़ने या उकसाने का निषेध।

६-प--कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल या द्वारावरोध में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत हो या जो आरम्भ होने पर उनके विपरीत होगा, भाग लेने या उसके अग्रसारण के लिये अन्य प्रकार से कार्य करन में न सहायता देगा, न उभाड़ेगा और न उकसायेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५७ की धारा १६ का संशोधन।

८--उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं तथा सदा से बढ़ाये हुये समझे जायं:--

"तथा मूल अधिनियम की धारा ६-क के उपबंध ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय बने रहेंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५७ की धारा १७ का संशोधन।

९--उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (२) में शब्द "राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी" के पश्चात् आने वाले शब्द निकाल दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० में कतिपय परिवर्तन करना आवश्यक है। इन परिवर्तनों का संबंध धारा ४-ङ के अधीन श्रम न्यायालयों तथा श्रम न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने के निमित्त समिति के लिये राज्य लोक सेवा आयोग से एक सदस्य के लिये जाने से राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले पंचनिर्णय की सार्वजनिक आधार पर अप्रवर्तनीय प्रख्यापित करने की सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में की गई व्यवस्था के सदृश व्यवस्था करने से तथा औद्योगिक संस्थाओं में हड़तालों एवं द्वारावरोधों के विनियमन से है। संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त एवं कुछ अन्य शाब्दिक एवं पारिणामिक परिवर्तनों के प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

जुगल किशोर,
श्रम मंत्री।]

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य (संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को और संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को और संशोधित किया जाय;

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन ।

२--यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में--

(१) खंड (इ) में शब्द "Constituted" के पश्चात् शब्द "and shall, respectively, include "Additional Collector", "Additional District Magistrate" and"Additional Sub-Divisional-Magistrate"" बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़े हुये समझे जायं, तथा

(२) खंड (एस) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (एस एस) के रूप में बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही बढ़ा हुआ समझा जाय--

"(ss) "Sub-divisional Officer" includes an Additional Sub-divisional Officer designated or appointed as such by the appropriate authority;"

३--मूल अधिनियम की धारा ५-ए के--

(१) खंड (१) में संख्या के पश्चात् विराम-चिन्ह "कोलन" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द बढ़ा दिये जायं ।

(२) खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एम) और (एन) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*m*) is blind or dumb; or

(*n*) has been removed from office under sub-clause (iii) or (iv) of clause (*g*) of sub-section (1) of section 95 unless such period as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as he State Government may have ordered in any particular case has elapsed ;" तथा

(३) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिये जायं--

"Provided that the period of disqualification under clauses (*d*), (*g*), (*h*), (*i*), (*j*), (*k*) or (*l*) shall be five years from such date as may be prescribed :

Provided further that the disqualification under clause (*e*) shall cease upon payment of arrears :

Provided also that a disqualification under clauses (*d*), (*g*), (*h*), (*i*), (*j*), (*k*) or (*l*), may, in the manner prescribed, be removed by the State Government."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के--

(१) खंड (सी) में शब्द 'fee" के स्थान पर जहां कहीं यह आया हो, शब्द tax रख दिया जाय; तथा

(२) खंड (इ) में शब्द "fees" और "fee" के स्थान पर शब्द "a tax" और "tax" क्रमशः रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९५ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ९५ की उपधारा (१) के--

(१) खंड (जी) के--

(१) उप-खंड (३) के अन्त में आया हुआ शब्द "or" निकाल दिया जाय,

(२) उप-खंड (४) के अन्त में आये हुये विराम चिन्ह "फुल-स्टाप" के स्थान पर अर्ध विराम चिन्ह "कामा" रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "or" बढ़ा दिया जाय,

(३) उप-खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-खंड (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*v*) Suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (*a*) to (*m*)of section 5-A" और

(२) खंड (जी) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एच) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*h*) remove a person if, having been elected as a Pradhan, he does not possess the qualification specified in section 5-B."

वैधीकरण (Validation)

६--सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि--

(क) मूल अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन अथवा अनुसार, उक्त प्रारम्भ से पूर्व किसी एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर द्वारा प्रदत्त समस्त आज्ञायें (उस आज्ञा अथवा निर्णय को छोड़कर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ही रद्द कर दी गई हो या कर दिया गया हो) कृतकार्य अथवा कार्यवाहियां, प्रचारित निदेश अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो यदि खंड (एस एस) मूल अधिनियम की धारा २ का अंश रहा होता तो वैध अथवा उचित रूप से यथा स्थिति प्रदत्त, कृत, प्रचारित अथवा प्रयुक्त होते, विधि की दृष्टि से उसी प्रकार वैध और उचित होंगे तथा समझे जायेंगे मानों कि मूल अधिनियम की धारा २ में इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन समस्त सारवान दिनांकों पर प्रचलित थे।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर के समक्ष निर्वाचनों को चुनौती देने वाले विचाराधीन समस्त प्रार्थना-पत्र उसी प्रकार निर्णय किये जायेंगे मानों कि मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (एस एस) के उपबन्ध समस्त सारवान दिनांकों पर प्रचलित रहे हों।

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ विधान मंडल द्वारा १९४७ में पारित हुआ था तथा उसके अधीन संगठित गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों ने १५ अगस्त, १९४९ से कार्य करना आरम्भ किया था। इस ऐक्ट में कुछ संशोधन १९५० तथा १९५२ में किये गये और १९५४ में यू० पी० पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम समिति की, जिसमें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य थे, सिफारिशों पर अधिनियम में लगभग आमूल परिवर्तन कर दिया गया। पंचायतों के विगत सामान्य निर्वाचन के दौरान में विधि के उपबन्धों में अग्रतर परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों द्वारा गांव सभा, गांव पंचायत अथवा न्यायपंचायत के अधीनस्थ पदों को ग्रहण करने के निमित्त अर्हताओं को और अधिक स्पष्ट किया गया है अर्थात् असमर्थ एवं अनुपयुक्त व्यक्तियों तथा अनटचेबिलिटी (आफेंसेज) ऐक्ट, १९५५ के तथा अन्य विधियों के अधीन दोष-सिद्ध व्यक्तियों को पंचायत के निर्वाचनों में खड़े होने से वंचित करने के निमित्त तथा उन अनर्ह व्यक्तियों को, जो किसी प्रकार भी निर्वाचित होने में सफल रहे हों, हराने के निमित्त और एक ऐसी अवधि निश्चित करने के निमित्त जब तक कि कतिपय अनर्हतायें प्रवृत रहें तथा निर्वाचन याचिकाओं (election petitions) का निस्तारण सुकर बनाने के निमित्त व्यवस्था की गयी है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उद्धान प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४१ एल० ए०—१९५७—७९६।